[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, तारीख 15 अक्तूबर, 2012 में प्रकाशनार्थ]

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
(राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2012

सं0 15-31/2012-एनटीसीए.- जबकि, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38-ण की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन पर्यटन गतिविधियों के लिए आदर्श मूलक मानक और उनका सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व्याघ्र आरक्षितियों के 'बफर' और 'क्रोड' (कोर) क्षेत्र में व्याघ्र संरक्षण के लिए व्याघ्र परियोजना हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत अधिकथित करने की शक्ति है ;

और अतएव, केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38-ण की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन यथा अनुध्यात क्रोड क्षेत्रों और 'बफर' क्षेत्रों और पर्यटन, जिसके अंतर्गत कल्याणकारी और धार्मिक पर्यटन भी है, का नियतन करने के संबंध में और साथ ही वन और गैर वन क्षेत्रों में व्याघ्र संरक्षण के संबंध में व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत विरचित करने के लिए प्रतिबद्ध है ;

अतः,अब, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38-ण की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा फा.सं0-3-1/2003-पी.टी., तारीख 21 फरवरी, 2008 द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण व्याघ्र आरक्षों के 'बफर' और क्रोड क्षेत्र में व्याघ्र संरक्षण के प्रयोजन के लिए अनुसरण किए जाने वाले निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत बनाता है और व्याघ्र आरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन क्रियाकलापों के लिए आदर्श मूलक मानक अधिकथित करता है, अर्थात्:--

1. संक्षिप्त नाम- इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (पर्यटन गतिविधियों के लिए आदर्श मूलक मानक और व्याघ्र परियोजना) मार्गदर्शी सिद्धांत, 2012 है ।

भाग-क

व्याघ्र परियोजना के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की 38-ण (1) (ग) के अधीन मार्गदर्शी सिद्धांत

अध्याय-1

2. व्याघ्र संरक्षण.—

(1) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय के माध्यम से, अन्य बातों के साथ, व्याघ्र संरक्षण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहयोग प्रदान करती है ।

(2) वन्यजीव संरक्षण से संबंधित दिन-प्रतिदिन का प्रबंधन तथा नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है ।

3. **पृष्ठभूमि.--**

3.1 अब केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में चल रही "व्याघ्र परियोजना" लगभग 14,000 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में विभिन्न राज्यों (असम, बिहार, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र,उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल) की 9 आरक्षितियों/आरक्षों में भारत सरकार द्वारा 1973 में प्रारंभ की गई थी । तब से, परियोजना का 17 व्याघ्र राज्यों में 35123 वर्ग कि.मी. अधिसूचित क्रोड/क्रांतिक व्याघ्र प्राकृत्वासों तथा 28750.73 वर्ग कि.मी. के 'बफर'/उपान्त क्षेत्रों के साथ 17 व्याघ्र राज्यों के लगभग 63874.68 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैले हुए 41 व्याघ्र आरक्षितियों (टीआर) में पर्याप्त बड़े क्षेत्र में विस्तार हो चुका है । यह देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2 % है । 41 व्याघ्र क्षेत्रों का कुल क्रोड/क्रांतिक व्याघ्र प्राकृत्वास देश के वन आच्छादित क्षेत्र का 5.2 % है । देश में 668 संरक्षित क्षेत्र है (सितंबर, 2012), जिनमें से 41 को क्रोड/क्रान्तिक गहन व्याघ्र प्राकृत्वास (6 %) नामित किया गया हैं । पांच नई व्याघ्र आरक्षितियों/आरक्षों के सृजन के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन दिया जा चुका है, और वे स्थल है : पीलीभीत (उत्तर प्रदेश), रातापानी (मध्य प्रदेश), सूनाबेडा (ओडिशा), मुकुंदरा पहाड़ियां (दर्रा, जवाहर सागर और चंबल वन्यजीव अभयारण्य सहित) (राजस्थान) और सत्यमंगलम (तमिलनाडु) । व्याघ्र आरक्षिति घोषित करने के लिए कुद्रेमुख (कर्नाटक) को अंतिम अनुमोदन दिया जा चुका है । निम्निलिखित क्षेत्रों को व्याघ्र आरक्षिति के रूप में घोषित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है : (i) बोर (महाराष्ट्र), (ii) सुहेलवा (उत्तर प्रदेश), (iii) नागजीरा-नवेगांव (महाराष्ट्र), (iv) गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान (छत्तीसगढ़), (v) महादेइ अभयारण्य (गोवा) और (vi) श्रीविलीपुतूर ग्रिजिल्ड विशाल गिलहरी/मेगामलाई वन्यजीव अभयारण्य /वरुशनादु घाटी (तमिलनाडु) ।

3.2 अभिहित व्याघ्र आरक्षितियों/आरक्षों में परियोजना के अधीन चल रहे संरक्षण प्रयासों के कारण, विश्व में 13 व्याघ्र रेंज देशों में भारत में स्त्रोत क्षेत्रों सहित व्याघ्रों की अधिकतम संख्या है । जैसा कि व्याघ्र, सह शिकारियों, भक्ष्य और प्राकृत्वास अथवा वासस्थल के देश स्तरीय निर्धारण में प्रकट हुआ है, व्याघ्र परियोजना ने संकटापन्न व्याघ्र के पुनः वर्धन को एक सुनिश्चित मार्ग पर बढ़ाया है । इस संदर्भ में हाल के (2010) निष्कर्ष व्याघ्र आरक्षितियों और संरक्षित क्षेत्रों के बाहर क्षेत्रों में व्याघ्रों की संख्या की दयनीय प्रास्थिति इंगित करते हैं । कुल मिलाकर, ऐसे राज्यों की व्याघ्र आरक्षितियों और संरक्षित क्षेत्रों में व्याघ्र संख्या, चल रहे संरक्षण प्रयासों की अपेक्षा करते हुए वर्धनीय है ।

3.3 व्याघ्र परियोजना में एक समग्र, पारिस्थितिकीय सोच है । इसकी क्रोड बफर रणनीति, संरक्षण और विकास पहल ने हमारे देश में वन्यजीव प्रबंध की संकल्पना को एक नया आयाम दिया और स्व-स्थाने संरक्षण के लिए "आदर्श" है ।

4. व्याघ्र, सह-परभक्षी, भक्ष्य और उनके प्राकृत्वास अथवा वासस्थल की वर्तमान प्रास्थिति

4.1 मार्च, 2011 में व्याघ्रों, सह-परभक्षी और उनके भक्ष्य की प्रास्थिति का दूसरा देशव्यापी निर्धारण जारी किया गया । 2010 का यह निर्धारण व्याघ्र कार्यबल द्वारा सिफारिश किये गये उत्कृष्ट पद्धति का प्रयोग करके ऐसा दूसरा देशव्यापी निर्धारण है । ये निष्कर्ष 1706 (1520-1909) की अनुमानित संख्या के साथ 2010 में व्याघ्रों की संख्या में देशव्यापी 20% वृद्धि इंगित करते हैं । वर्ष 2006 में व्याघ्रो की अनुमानित संख्या 1411 (1165-1657) थी । जुड़े हुए प्राकृत्वासों अथवा वासस्थलों से व्याघ्रों के निवास में 12.6 % की कमी भी रिपोर्ट की गई है । यह व्याघ्र आरक्षितियों और व्याघ्र स्त्रोत जनसंख्या से बाहर कम सघनता वाले आसपास के और छितरे हुए क्षेत्रों में हुआ है ।

4.2 व्याघ्रों की संख्या में यह वृद्धि इस तथ्य के कारण है कि उत्तराखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक में व्याघ्र संख्या ने व्याघ्र सघनता में वृद्धि दर्शित की है । सुंदरबन, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और महाराष्ट्र के हिस्सों को सम्मिलित करने से वृद्धि में योगदान हुआ है ।

4.3 व्याघ्रों की उपस्थिति और सघनता प्राकृत्वासों की उपलब्धता पर निर्भर थी जो दूरस्थ स्थित थे, जिनमें न्यूनतम मानव हस्तक्षेप था और बड़े जंगली भक्ष्यों (चीतल, सांबर, गौर और जंगली शूकर) की उच्च उपलब्धता थी ।

4.4 भारत में व्याघ्र वाले वनों को निम्नलिखित परिदृश्य संकुलों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् :
(क) शिवालिक पहाड़ियां और गंगा का मैदान,
(ख) केन्द्रीय भारत,
(ग) पूर्वी घाट,
(घ) पश्चिमी घाट,
(ङ) पूर्वोत्तरी पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र के मैदान, और
(च) सुंदरबन ।

4.4.1 शिवालिक-पहाड़ियों और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पांच पृथक जनसंख्याओं में 353 (320-388) की अनुमानित आबादी के साथ 6712 वर्ग कि.मी. के वन प्राकृत्वास में व्याघ्र थे ।

4.4.2 केन्द्रीय भारत का मैदान (पूर्वी घाट के नागार्जुनसागर श्री सैलम समेत) एवं कुछ अन्य छितरे आवासों के साथ 20 व्याघ्र आबादी में वितरित 601 (518 से 685) की अनुमानित आबादी के साथ 39,017 वर्ग कि.मी. में व्याघ्रों की उपस्थिति रिपोर्ट की गई ।

4.4.3 पश्चिमी घाट मैदान 29,607 वर्ग कि.मी. था और 2006 की तुलना में वहां लगभग 11.5 % की कमी रजिस्ट्रीकृत की गई । वर्तमान व्याघ्र आबादी 534 (500 से 568) अनुमानित की गई थी जिसमें 2006 से 32 % की वृद्धि रजिस्ट्रीकृत की गई ।

4.4.4 4,900 वर्ग कि.मी. व्याघ्र प्राकृत्वास और 118 से 178 व्याघ्रों की आबादी पूर्वोत्तर के लिए न्यूनतम माना जाना चाहिए, चूंकि संपूर्ण परिदृश्य क्षेत्र को व्यवस्थित रुप से सम्मिलित नहीं किया गया।

4.4.5 कैमरा ट्रैपिंग और सैटेलाइट टेलीमेट्री के संयोजन से सुंदरबन के व्याघ्रों की आबादी का अनुमान लगाया गया । प्रति 100 वर्ग कि.मी. में 4.3 (एसई 0.3) व्याघ्र का व्याघ्र घनत्व अनुमानित किया गया । भारतीय सुंदरबन में कुल 64 से 90 व्याघ्रों की आबादी आंकलित की गई ।

4.5 वर्तमान में, उत्प्रवास के बिना दीर्घकालीन अस्तित्व के लिए वांछित संख्या केवल कुछ क्षेत्रों जैसे नागरहोल-बांदीपुर-मुदुमलाई-वेयनाड-मोयर-सेगुर, कॉर्बेट, सुंदरबन (भारत और बांगलादेश) और काजीरंगा-कारबीआंगलोंग में है । व्याघ्रों की शेष आबादी को आनुवांशिक एवं आबादी की संख्या के दृष्टिकोण से व्यवहार्यता हेतु प्राकृत्वास संयोजन की आवश्यकता है ।

4.6 व्याघ्र की तुलनात्मक प्रास्थिति (2006 और 2010)

परिदृश्य संकुल	व्याघ्र अनुमान 2006			व्याघ्र अनुमान 2010		
	संख्यात्मक निम्नसीमा	आबादी अनुमान	उच्च सीमा	संख्यात्मक निम्न सीमा	आबादी अनुमान	संख्यात्मक उच्च सीमा
शिवालिक गंगा के मैदान	259	297	335	320	353	388
केन्द्रीय भारत और पूर्वीघाट	486	601	718	518	601	685

पश्चिमी घाट	336	402	487	500	534	568
पूर्वोत्तर पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदान	84	100	118	118	148	178
सुंदरबन	निर्धारण नहीं	निर्धारण नहीं	निर्धारण नहीं	64	70	90
कुल	**1165**	**1411**	**1657**	**1520**	**1706**	**1909**

4.7 भारत में व्याघ्र उपस्थिति वाले परिदृश्य संकुल, व्याघ्र आरक्षिति और भारत में प्रस्तावित/अनुशंसित व्याघ्र आरक्षितियां निम्नलिखित नक्शों में दर्शित किए गए है :

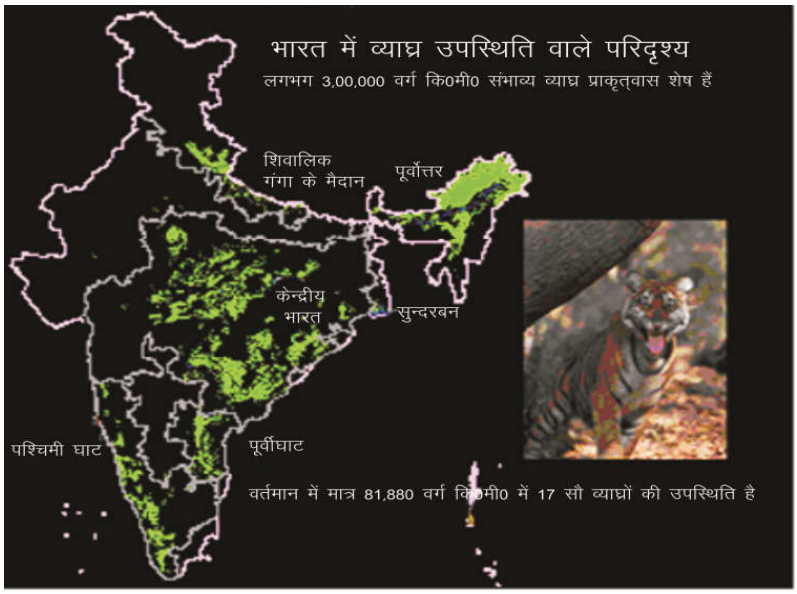

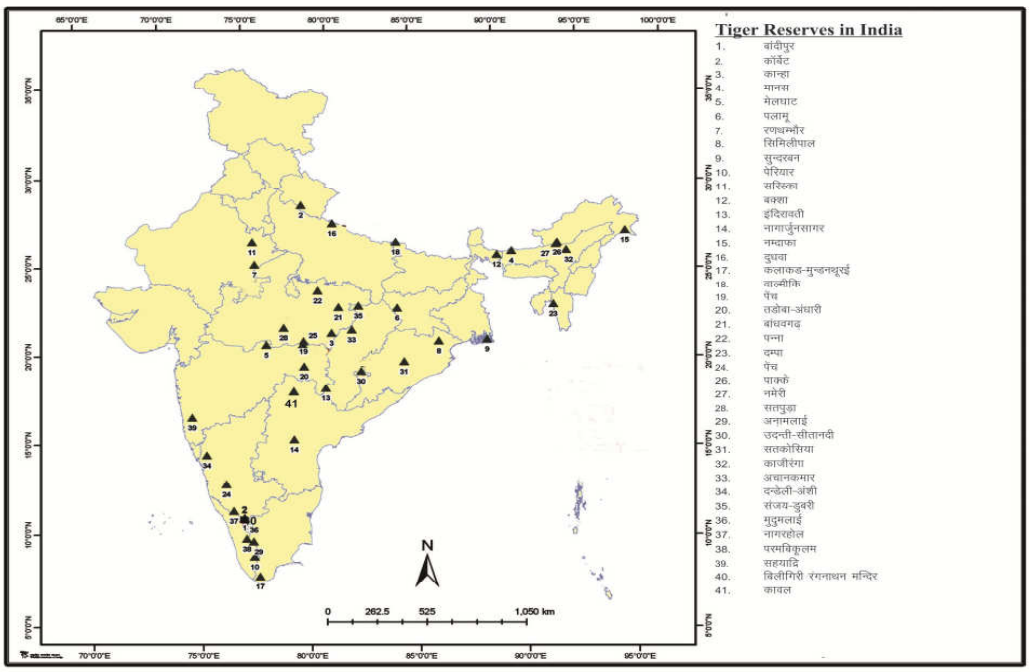

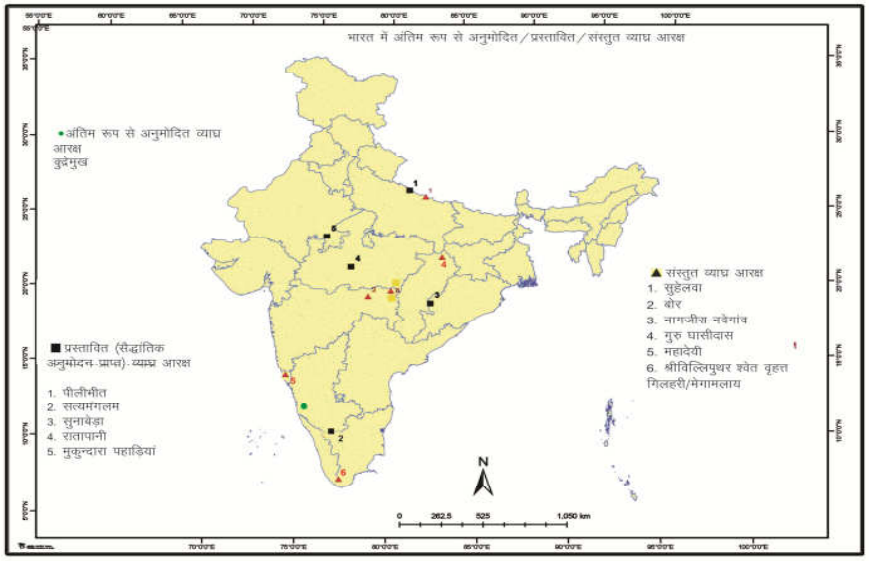

5. **व्याघ्र आरक्षितियों का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन–**

5.1 हमारी दशाओं के अनुकूल प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आई0यू0सी0एन0) के पैमाने पर आधारित व्याघ्र आरक्षितियों का स्वतंत्र मूल्यांकन 28 व्याघ्र आरक्षितियों के लिए पहली बार 2005-2006 में किया गया । यह निर्धारण प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आई0यू0सी0एन0) के विशेषज्ञों द्वारा पुनर्वलोकित किया गया । दोनों निर्धारणों के साथ-साथ पुनर्वलोकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष वर्ष 2006 में रखी गई ।

5.2 परिष्कृत पैमाने पर आधारित स्वतंत्र निर्धारण का दूसरा चक्र 39 व्याघ्र आरक्षितियों के लिए 2010-2011 में किया गया । यह भी हमारी दशाओं के अनुकूल, विश्व भर में प्रयुक्त ढांचे पर आधारित है । सभी में, 30 सूचकों का उपयोग करके पांच स्वतंत्र दलों ने मूल्यांकन संचालित किया । ढांचा 6 तत्वों से मिलकर बना था : संदर्भ, योजना, आगत, प्रक्रिया, निर्गत और निष्कर्ष ।

5.3 देश स्तरीय व्याघ्र अनुमान में अनुसरित 39 व्याघ्र आरक्षिति परिदृश्य समूहों में समूहबद्ध किए गए । लाल गलियारे, में व्याघ्रों से मिलकर बना एक अतिरिक्त प्रवर्ग (वामपक्ष चरमपंथी द्वारा प्रभावित क्षेत्रों) को भी सम्मिलित किया गया । मूल्यांकन का निष्कर्ष निम्नानुसार है :

रेटिंग	व्याघ्र आरक्षितियों की संख्यां	प्रतिशत
बहुत अच्छी	15	38
अच्छी	12	31
संतोषप्रद	8	21
खराब	4	10
कुल	**39**	**100**

5.4 2010-2011 और 2005-2006 की प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन रेटिंग की 28 व्याघ्र आरक्षितियों के लिए तुलना की गई, जो 2005-2006 के मूल्यांकन का भाग थीं । 'बहुत अच्छी' रेटिंग 4 % बढ़ी, 'अच्छी' रेटिंग 3 % बढ़ी, 'संतोषप्रद' रेटिंग 7 % बढ़ी, 'खराब' जस की तस रही ।

सारणी-1 परिदृश्य क्षेत्र समूहों का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन स्कोर (%) (2010-11)

समूह संख्या	समूह नाम	राज्य	व्याघ्र आरक्षितियों की संख्या	माध्य प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन स्कोर %	प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन स्कोर रेंज %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	शिवालिक-गंगा का मैदान परिदृश्य संकुल और केन्द्रीय भारत परिदृश्य संकुल तथा पूर्वीघाट परिदृश्य संकुल	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र	8	64	56-73
II	केन्द्रीय भारत परिदृश्य संकुल और पश्चिमी घाट परिदृश्य संकुल	मध्य प्रदेश	6	79	56-88
III	शिवालिक गंगा का मैदान परिदृश्य संकुल और केन्द्रीय भारत परिदृश्य संकुल तथा पूर्वी घाट परिदृश्य संकुल	बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड	8	42	33-63
IV	पश्चिमी घाट परिदृश्य संकुल	कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु	9	75	63-80
V	पूर्वोत्तरी पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदान तथा सुंदरबन	अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, पश्चिमी बंगाल	8	66	56-77
	कुल		**39**	**65**	**33-88**

तालिका-2(क)-एमईई प्रक्रिया (2010-11) का प्रवर्गवार परिणाम

क्रम सं.	**प्रवर्ग**	**व्याघ्र आरक्षिति का नाम**
1.	बहुत अच्छा	अन्नामलाई, बांधवगढ़, बांदीपुर, भद्रा, डांडेली-अंशी, कालाकाड़-मुंदनथुरई, कान्हा, काजीरंगा, मुदुमलाई, परंबीकुलम, पैंच (मध्य प्रदेश), पेरियार, सतपुड़ा, सुंदरबन
2.	अच्छा	बक्सा, कार्बेट, डंपा, दुधवा, मानस, मेलघाट, नागरहोल, पक्के, पैंच (महाराष्ट्र), रणथंभौर, ताडोबा-अंधारी
3.	संतोषप्रद	अचानकमार, नमेरी, नामदफा, संजय, सहयाद्रि, वाल्मीकि
4.	खराब	सतकोसिया

सारणी-2(ख) "लाल गलियारे" में आने वाली व्याघ्र आरक्षितियों की माध्य प्रबंधन प्रभावशीलता प्रक्रिया (2010-11) का प्रवर्गवार परिणाम

क्रम सं0	प्रवर्ग	व्याघ्र आरक्षिति का नाम
1.	बहुत अच्छा	---

60 2.	अच्छा	नागार्जुनसागर-श्रीसेलम
3.	संतोषप्रद	सिमलीपाल
4.	खराब	इंद्रावती, पलामू, उदंती-सीतानदी

सारणी-2(ग) उन व्याघ्र आरक्षितियों की माध्य प्रबंधन प्रभावशीलता प्रक्रिया (2010-11) का प्रवर्गवार परिणाम, जिनके सभी व्याघ्र हाल ही में समाप्त हो गए हैं ।

क्रम सं0	प्रवर्ग	व्याघ्र आरक्षिति का नाम
1.	बहुत अच्छा	पन्ना
2.	अच्छा	----
3.	संतोषप्रद	सरिस्का
4.	खराब	---

व्याघ्र आरक्षितियों की माध्य प्रबंधन प्रभावशीलता प्रक्रिया का सार

रेटिंग	व्याघ्र आरक्षितियों की संख्या	प्रतिशत
बहुत अच्छा	15	38
अच्छा	12	31
संतोषप्रद	8	21
खराब	4	10
कुल	**39**	100

सारणी-3 व्याघ्र आरक्षितियों की माध्य प्रबंधन प्रभावशीलता रैटिंग की तुलना प्रक्रिया 2005-06 और 2010-11

प्रवर्ग	2005-06	%	2010-11	%
बहुत अच्छा	09	32	10	36
अच्छा	10	36	11	39
संतोषप्रद	07	25	05	18
खराब	02	07	02	07
कुल	**28**		**28**	

सारणी-4(क) : शीर्ष सूचकों का निष्पादन (पहले दस)

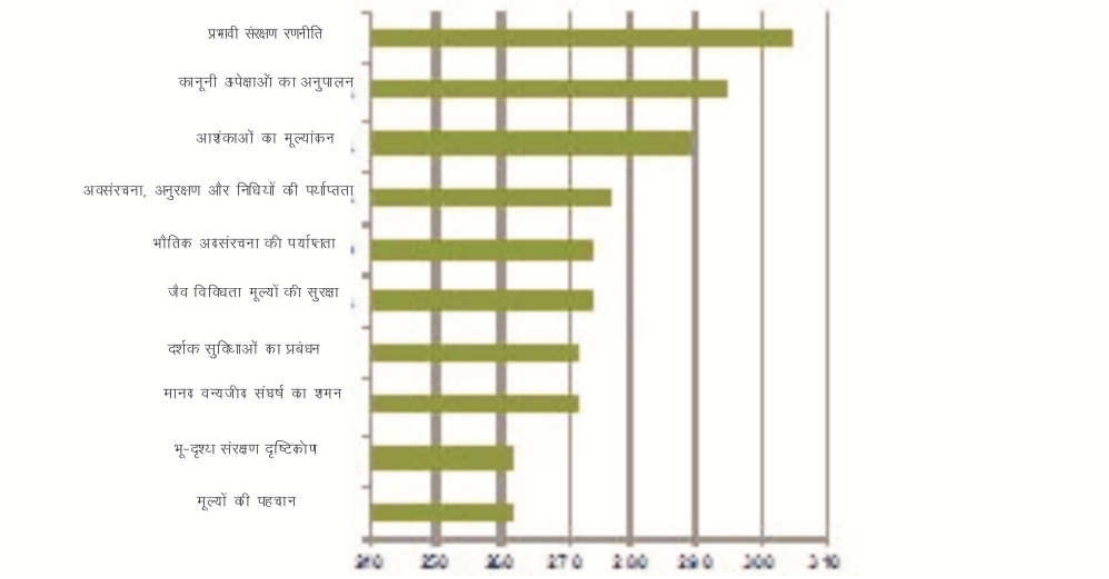

सारणी-4(ख) : शीर्ष सूचकों का निष्पादन (मध्य दस)

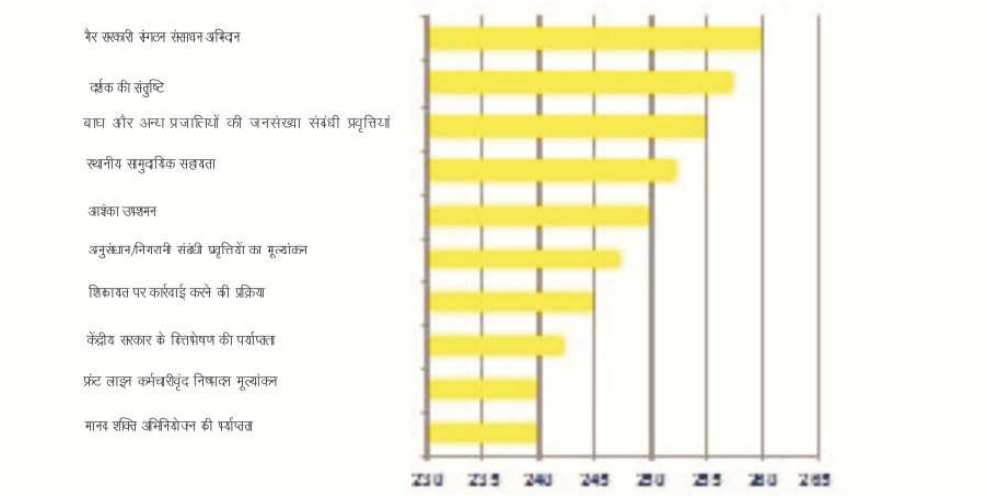

सारणी-4(क) : शीर्ष सूचकों का निष्पादन (अंतिम दस)

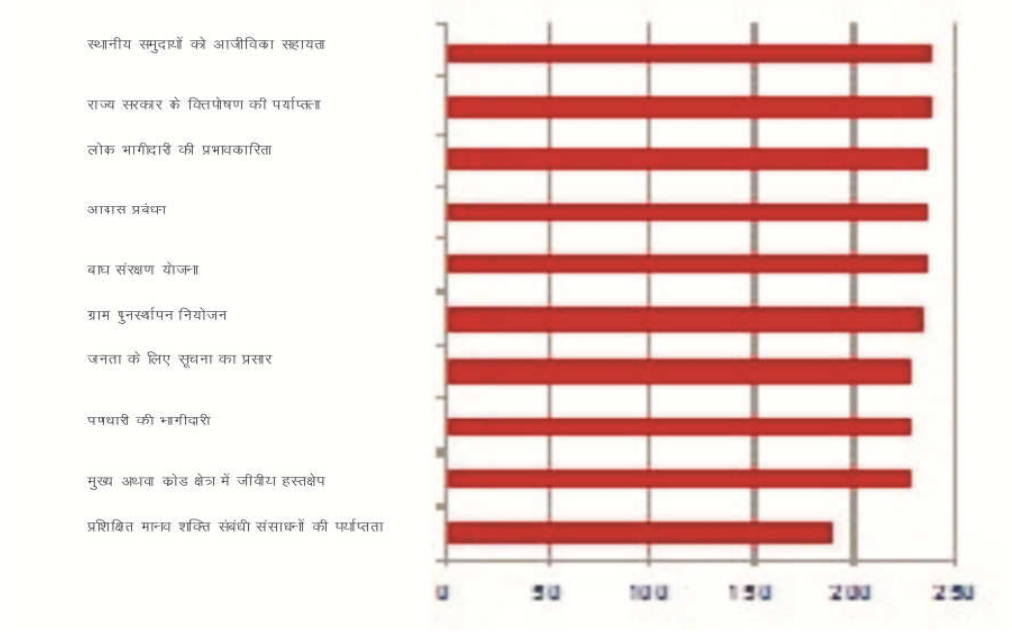

6. व्याघ्र आरक्षों से बाहर के क्षेत्रों में व्याघ्र के ह्रास के लिए सामान्य कारण--

व्याघ्र आरक्षों /संरक्षित क्षेत्रों से बाहर के क्षेत्रों में व्याघ्र के ह्रास के लिए कारण निम्नवत् हैं :

(i) निम्नलिखित के कारण संरक्षित क्षेत्रों / व्याघ्र आरक्षों से बाहर वन प्रास्थिति का अवकर्षण :

(क) मानवीय दवाब ;

(ख) पशुधन दवाब ; और

(ग) पारिस्थितिकीय रूप से अपोषणीय भू उपयोग ।

(ii) विखंडन के परिणामस्वरूप जनसंख्या स्रोत से जीन प्रवाह की हानि ।

(iii) भक्ष्य जैवभार (बायोमास) के रूप में वन गुणवत्ता की हानि ।

(iv) मानव-पशु संघर्ष के कारण व्याघ्रों की मृत्यु ।

(v) अवैध शिकार के कारण व्याघ्रों की मृत्यु

(vi) राजमार्गों जैसी भारी मात्रा में प्रयुक्त अवसंरचना आदि के मद्दे अशांति के कारण संतानोत्पति अथवा प्रजनन की हानि

(vii) बाहरी क्षेत्रों में पर्याप्त संरक्षा का अभाव

(viii) विद्रोह/विप्लव या कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याएं--

7. व्याघ्र संरक्षण के प्रति वर्तमान दृष्टिकोण--

पारिस्थितिकीय रूप से अपोषणीय भू उपयोग, जैविक दवाब और अवैध शिकार के मद्दे प्राकृत्वास विखंडन के कारण निम्नलिखित दृष्टिकोण अनिवार्य है :

7.1 व्याघ्र आरक्षों, संरक्षित क्षेत्रों और व्याघ्र वाले वनों में व्याघ्रों की आबादी "स्रोत" और उनके भक्ष्य का समेकन और सुदृढ़ीकरण--

इसमें निम्नलिखित सक्रिय प्रबंधकीय हस्तक्षेप अंतर्वलित हैं, अर्थात् :-

(i) संरक्षण, अवैध शिकार प्रतिरोधी संक्रियाएं/आसूचना नेटवर्किंग ;

(ii) व्याघ्र आरक्षों के भीतर अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण ;

(iii) पुनर्स्थापन के माध्यम से अनतिक्रांत स्थान का सृजन ;

(iv) अग्रणी/अग्रगामी कर्मचारीवृंद, स्थानीय लोगों तथा अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करना (जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्रों का सुदृढ़ीकरण और संबद्ध क्षेत्रों अर्थात् प्रवर्तन, आसूचना नेटवर्किंग, पर्यटन क्रियाकलापों आदि में प्रशिक्षण भी है) ।

7.2 प्राकृत्वास संयोजकता को प्रत्यावर्तित करके "स्रोत-नितल गत्यात्मकता" का प्रबंध करना--

इसमें निम्नलिखित प्रबंधकीय हस्तक्षेप अंतर्वलित है :

(i) वन का अवकर्षण न करके स्थानीय लोगों को उनके द्वारा प्रदान की गई पारिस्थितिकीय प्रणाली सेवाओं एवं गलियारे अथवा दीर्घा मूल्यों के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहन प्रदान करना (पारिस्थितिकीय प्रणाली सेवाओं के लिए संदाय) ;

(ii) निर्बाध चारण को रोकने के अतिरिक्त पौधा रोपण आरंभ करने और प्राकृतिक प्रकन्दों की संरक्षा करने के लिए स्थानीय लोगों के लिए प्रोत्साहन ;

(iii) पशुओं को थान पर भोजन कराने को प्रोत्साहित करना और दुग्ध उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन देना ;

(iv) स्थानीय लोगों को लकड़ी के ईंधन के संग्रहण के प्रति वन पर उनकी निर्भरता को कम करने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त गैस कनैक्शन उपलब्ध कराना ।

7.3 व्याघ्र भू-धृति गत्यात्मकताओं के मुकाबले में बफर जोन का महत्व--

7.3.1 व्याघ्र एक प्रादेशिक प्राणी है जो क्षेत्र में अपनी विद्यमानता की पहचान बनाता है और प्रदेश की रक्षा करता है । यह सर्व विदित तथ्य है कि क्षेत्र में निवासी नर इलाकों की आंशिक अतिव्याप्तियां होती रहती हैं । तथापि, अतिव्याप्ति का स्तर घातक संहारक टकरावों को बढ़ावा देती है । नर व्याघ्र के इलाके के भीतर अति व्याप्ति रीति में अनेक मादा इलाके भी आते हैं । व्याघ्र भू-धृति गत्यात्मकताएं सर्वश्रेष्ठ व्यस्कों की विद्यमानता को सुनिश्चित करती हैं जो निकट के वन क्षेत्रों से वृद्ध नरों के स्थान पर तरुण वयस्कों को आवधिक रूप से रखकर स्रोत जनसंख्या के रूप में कार्य करते हैं । (पट्टिका–1)

7.3.2 व्याघ्र पारिस्थितिकी पर उपलब्ध शोध आंकड़े का चल रहा अध्ययन और विश्लेषण यह उपदर्शित करता है कि प्रजनन अवस्था में मादा व्याघ्रों (बाघिनों) की न्यूनतम आबादी, जिसे 80-100 व्याघ्रों (क्रोड क्षेत्रों के भीतर और इनके इर्द-गिर्द) की जीवनक्षम आबादी को बनाए रखना आवश्यक है, 800-1200 वर्ग किलो मीटर के अनतिक्रांत स्थान की अपेक्षा करती है । व्याघ्र "समावेशी प्रजाति" होने के कारण, वे अन्य वन्यजीवों (सह-परभक्षी, भक्ष्य) की जीवनक्षम आबादी और वन की जीवंतता को भी सुनिश्चित करेंगे, जिससे संपूर्ण क्षेत्र/प्राकृत्वास क्षेत्र की पारिस्थितिकीय जीवनक्षमता सुनिश्चित होगी । अतः, वन संयोजकता वाले बफर क्षेत्र व्याघ्र परियोजनाओं के लिए अनिवार्य हैं क्योंकि ऐसे क्षेत्र आबादी के उप वयस्कों, तरुण वयस्कों, क्षणभंगुर जीवों और वृद्ध सदस्यों का पालन-पोषण करते हैं । तरुण वयस्क आवधिक रूप से स्रोत आबादी क्षेत्रों से निवासी वृद्ध हो रहे नरों और मादाओं को प्रतिस्थापित करते हैं ।

7.3.3 बफर क्षेत्र व्याघ्र की आबादी और अन्य वन्य जीवों पर अवैध शिकार संबंधी दवाब के "आघात" को समावेशित कर लेता है । बफर क्षेत्रों में प्राकत्वास में घोर गिरावट की दशा में, स्रोत जनसंख्या को लक्ष्य बनाया जाएगा और अंततः उसका नाश हो जाएगा ।

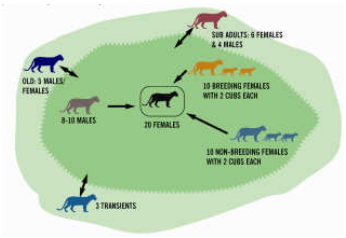

पट्टिका 1 : व्याघ्र भू-धृति गत्यात्मकताएं । जीवनक्षम जनसंख्या (80-100 व्याघ्र) को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रजनन अवस्था में व्याघ्रों की न्यूनतम जनसंख्या, जिसे 800-1200 वर्ग किलोमीटर के अनतिक्रांत स्थान की आवश्यकता होती है ।

7.4 दीर्घाओं अथवा गलियारों का महत्व--

7.4.1 वन्य जन्तुओं की एकांतवासी जनसंख्या संकीर्णता के कारण विलुप्त होने के जोखिम का सामना करती है। विभिन्न प्राकृत्वासों में वन्य जन्तुओं के लिए उपलब्ध ह्रासित अवसर के कारण प्राकृत्वास विखंडन वन्यजीव प्रवाह अथवा संचलन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है । इससे, बाद में, परिदृश्य में जीन प्रवाह रुक जाता है। द्विपीय जैव भूगोल के संतुलन का सिद्धांत वन्य जन्तुओं के वर्धित संचलन के कारण प्राकृत्वास दीर्घा अथवा गलियारों से लगे हुए विशाल वन्यजीव क्षेत्रों में या लघुत्तर क्षेत्रों में अधिक प्रजातियों की बहुलता की भविष्यवाणी करते हैं । जन्तुओं के संचलन को सुगम बनाने के अतिरिक्त ऐसे संयोजनकारी प्राकृत्वास क्रोड क्षेत्रों से आबादी के अधिप्लावन के लिए आश्रय के रूप में भी कार्य करते हैं । वे सटे हुए प्राकृत्वास को बसाने के लिए मूल वन्यजीव आबादी के प्रजनन और संचलन को सुगम बनाकर लघुत्तर "स्रोत" के रूप में भी कार्य करते हैं । नदियां या पर्वत श्रृखंलाएं जैसी प्राकृतिक रैखिक मुखाकृतियॉ वन्यजीव आबादी के लिए सीमाओं के रूप में कार्य कर सकती हैं । तथापि, मानवीय हस्तक्षेपों (राजमार्ग, नहर, उद्योग, सड़क, रेल की पटरी, संचरन लाइन) के कारण दीर्घाओं अथवा **गलियारों** में अशांति वन्यजीव के लिए हानिकारक है ।

7.4.2 "स्रोत" जनसंख्या वह जनसंख्या है जो ऐसे जन्तुओं के आधिक्य की उत्पत्ति करती है और जो संभाव्य उप निवेशक हैं । दूसरी तरफ, "नितल" वे जनसंख्याएं हैं जिनमें मृत्यु जन्म से अधिक होती है और उनकी अचलता अप्रवासियों के निरंतर अंतर्वाह पर निर्भर होती है (पट्टिका 2) ।

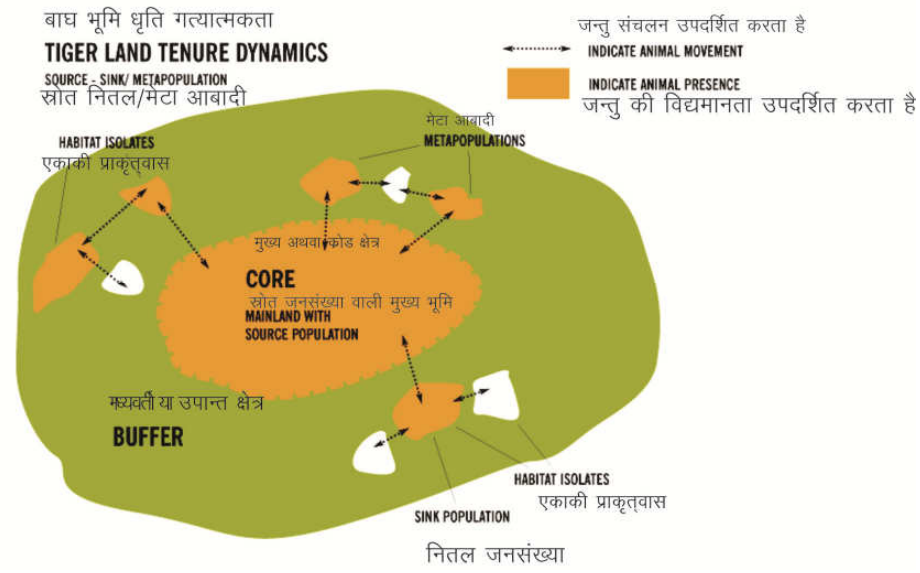

पट्टिका **2 : व्याघ्र भू-धृति गत्यात्मकता**

7.4.3 परिदृश्य में उपयुक्त प्राकृत्वास के खंड वन्यजीव आबादी (स्थानीय आबादी) के लिए सहायक हो सकते हैं जिसे विभिन्न अशांतिकारी कारकों के कारण एक दूसरे से अलग किया जा सके । सामूहिक रूप से स्थानीय आबादी के ऐसे खंड "प्रादेशिक आबादी" के नाम से जाने जाते हैं । उप विभाजित आबादी की यह सामान्य स्थिति, जो संचलन के माध्यम से नई जीनों को पूरा करने के लिए परिदृश्य में एक-दूसरे के साथ अन्योन्यक्रिया करती है, "मेटा आबादी" के रूप में जानी जाती है । व्याघ्र भूमि धृति गत्यात्मकताओं के संदर्भ में क्रोड बफर क्षेत्र मेटा आबादी माडल के "मुख्य भूमि" या "क्रोड उपग्रह" के समरूप होते हैं । व्याघ्र आरक्षों का क्रोड क्षेत्र विभिन्न आकारों की आस-पास की स्थानीय आबादी और एकांतवास की परिवर्तनशील स्तरों हेतु उपनिवेशों के लिए स्रोत उपलब्ध कराता है । क्रोड क्षेत्र अपनी अनतिक्रांत प्रकृति को बनाए रखने के लिए संरक्षण निवेशों के कारण विलोपन का तुरंत अनुभव नहीं कर सकेगा । तथापि, बफर क्षेत्र में आस-पास के एकांत खंड स्थानीय विलोपन से ग्रस्त हो सकते हैं, यदि वन्यजीव समुत्थानों को क्षेत्र की मुख्य धारा में नहीं लाया जाता है । अतः, निम्नलिखित को सुगम बनाने के लिए बफर जोन और साथ ही दीर्घाओं अथवा **गलियारों** के लिए मेटा आबादी प्रबंध दृष्टिकोण अपेक्षित है :-

(क) घटती हुई स्थानीय व्याघ्र जनसंख्या में वृद्धि करना ;

(ख) प्रत्यावर्तनीय प्रबंधन के माध्यम से प्राकृत्वास खंडों में पुनः उपनिवेशन को सुगम बनाना ;

(ग) एकांत आबादी के बीच प्राकृत्वासों (अग्रगमन हेतु आवास उपादान) के खंडों के माध्यम से नए क्षेत्रों का उपनिवेशन करने के लिए व्याघ्र को अवसर उपलब्ध कराना (पट्टिका 3) ।

मेटा आबादी

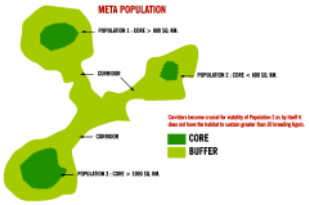

पट्टिका 3: मेटा आबादी गत्यात्मकता । आबादी 2 की जीवनक्षमता को बनाए रखने के लिए दीर्घाएं अथवा गलियारे महत्वपूर्ण बन जाती हैं क्योंकि उसमें 20 प्रजननशील बाघों से अधिक पोषण करने के लिए प्राकृत्वास नहीं होते हैं ।

7.5 **मानव-व्याघ्र संघर्षों को रोकने/उनका समाधान करने के लिए अन्य सेक्टरों के साथ त्वरित पद्धतियों के माध्यम से परिदृश्य में बाघ/वन्यजीव समुत्थानों को मुख्य प्रवाह में लाना** - विभिन्न सेक्टरों का अंतर्वलित होना जैसे: वन, कृषि, जिला कलेक्टर सेक्टर के माध्यम से कल्याणकारी क्रियाकलाप, पर्यटन, मत्स्य पालन, चाय-काफी संपदाएं, सड़क और रेल परिवहन, उद्योग, खनन, तापीय विद्युत संयंत्र, सिचाईं परियोजनाएं, मंदिर पर्यटन और परिदृश्य में प्रचालित संचार परियोजनाएं, मानव-व्याघ्र संघर्ष का प्रभावी रूप से समाधान करने में सक्रिय और व्याघ्र तथा वन्यजीव समुत्थानों को मुख्य प्रवाह में लाने में सहायक होंगे ।

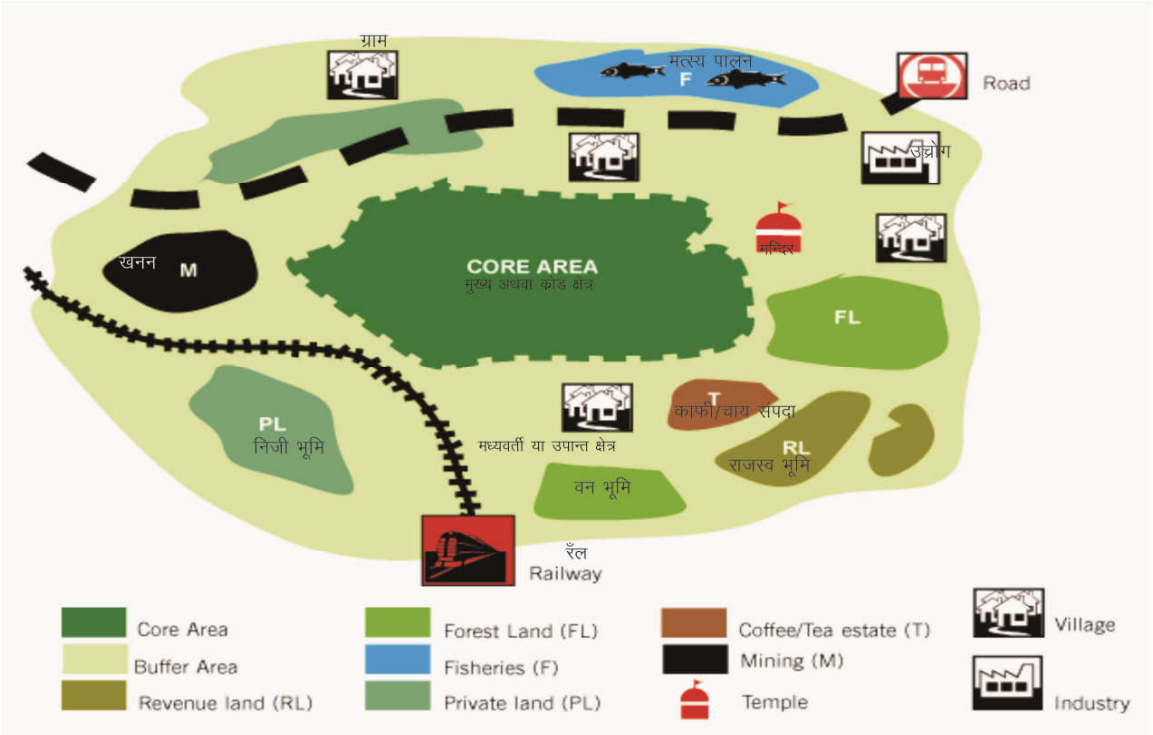

पट्टिका 4 : व्याघ्र परिदृश्य में उत्पादन सेक्टर

8. व्याघ्र संरक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए अपनाई गई मील का पत्थर साबित होने वाली पहलें

देश में व्याघ्र संरक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए गत वर्षों में अनेक मील का पत्थर साबित होने वाली पहलें अपनाई गई हैं । प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्यरत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा गठित व्याघ्र कार्यबल की अत्यावश्यक सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं । अन्य बातों के साथ–साथ इन पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं, अर्थात् :

8.1 राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण और व्याघ्र तथा अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन करने के लिए समर्थकारी उपबंधों का उपबंध करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का संशोधन ।

8.2 व्याघ्र आरक्ष के क्रोड क्षेत्र के संबंध में अपराध या जहां अपराध का संबंध व्याघ्र आरक्ष में भक्ष्य या व्याघ्र आरक्षों की सीमाओं आदि से है, के लिए दंड में वृद्धि ।

8.3 अवैध शिकार रोधी गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण, जिनके अंतर्गत संसूचना/बेतार सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ–साथ स्थानीय लोगों से मिलकर बने कार्यबल के अतिरिक्त भूतपूर्व सेना कार्मिक/गृहरक्षियों से अंतर्वलित अवैध शिकार रोधी दस्ते के अभिनियोजन के लिए व्याघ्र आरक्षों वाले राज्यों को उनके द्वारा यथा प्रस्तावित वित्तपोषण सहायता उपलब्ध कराकर मानसून गस्त के लिए विशेष रणनीति भी है ।

8.4 व्याघ्र आरक्ष प्रबंधन में आदर्श मूलक मानकों को, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करते हुये आरक्ष विनिर्दिष्ट व्याघ्र संरक्षण योजना की तैयारी कर, संसद के समक्ष वास्तविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पटल पर प्रस्तुत कर व्याघ्र संरक्षण के सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का दिनांक 04.09.2006 से प्रभावी गठन, मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय संचालन समितियों का गठन और व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना।

8.5 वन्यजीव के अवैध व्यापार का प्रभावी रूप से नियंत्रण करने के लिए 6 जून, 2007 से बहु आयामी व्याघ्र और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन ।

8.6 पांच नए व्याघ्र आरक्षों के सृजन के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन सिद्धांत रूप में प्रदान कर दिया गया है, और ये स्थल हैं : पीलीभीत (उत्तर प्रदेश), रातापानी (मध्य प्रदेश), सुनाबेड़ा (ओडिशा), मुकुन्दारा पहाड़ी (जिसके अंतर्गत दर्रा, जवाहर सागर और चंबल वन्यजीव अभयारण्य भी हैं) (राजस्थान) और सत्यमंगलम (तमिलनाडु)) । कुद्रेमुख (कर्नाटक) को व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए अंतिम अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त, राज्यों को सलाह दी गई है कि वे निम्नलिखित क्षेत्रों को व्याघ्र आरक्षित क्षेत्रों के रूप में घोषित करने के लिए प्रस्ताव भेजें : (i) बोर (महाराष्ट्र), (ii) सुहेलवा (उत्तर प्रदेश), (iii) नागजीरा - नवेगांव (महाराष्ट्र), (iv) गुरु घासीदास नेशनल पार्क (छत्तीसगढ़), (v) महादेयी अभयारण्य (गोवा), और (vi) श्रीविल्लिपुथर ग्रिजिल्ड विशाल गिलहरी/मेगामलाय वन्यजीव अभयारण्य/ वरुशनादु घाटी (तमिलनाडु) ।

8.7 व्याघ्र संरक्षण के सृदृढ़ीकरण के लिये व्याघ्र परियोजना संबंधी पुनरीक्षित दिशानिर्देश, राज्यों को जारी किए गए हैं जिनके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, चालू क्रियाकलापों के अतिरिक्त, क्रोड और क्रांतिक व्याघ्र प्राकृत्वासों में रह रहे लोगों के लिए वर्धित ग्राम पुनर्स्थापन/पुनर्वास पैकेज के लिए राज्यों को वित्तपोषण सहायता (एक लाख रूपए/परिवार से दस लाख रुपए प्रति परिवार), पारंपरिक रूप से भक्ष्य करने में अंतर्वलित समुदायों का पुनर्वास/पुनर्स्थापन, व्याघ्र आरक्षों से बाहर वनों में आजीविका एवं वन्यजीव समुत्थान का मुख्यधारा में जुड़ाव तथा प्राकृत्वास विखंडन को रोकने के लिए सबल रणनीति के माध्यम से दीर्घा या गलियारा सरंक्षण सम्मिलित है।

8.8 व्याघ्र (सह-परभक्षी, भक्ष्य जन्तु और प्राकृत्वास प्रास्थिति मूल्यांकन सहित) का ऑकलन अथवा अनुमान करने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति विकसित की गई है और उसे मुख्य प्रवाह में लाया गया है । इस ऑकलन अथवा अनुमान एवं मूल्यांकन के निष्कर्ष भावी व्याघ्र संरक्षण नीति के लिए न्यूनतम मानदंड हैं ।

8.9 2006 में यथा संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 फ के अधीन क्रोड या क्रांतिक व्याघ्र प्राकृत्वास के रूप में 17 व्याघ्र राज्यों द्वारा 35123.9547 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अधिसूचित किया गया है ।

8.10 वन्यजीवों को प्रभावी संरक्षण प्रदान करने के लिये राज्यों को विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजना यथा व्याघ्र परियोजना और एकीकृत विकास योजना के अधीन उनकी क्षमता और अवसंरचना में वृद्धि करने के लिये वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलबध करायी जाती है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

8.11 भारत का, चीन के साथ व्याघ्र संरक्षण संबंधी नयाचार अथवा आदर्श पत्र के अतिरिक्त वन्यजीव और संरक्षण में सीमापार अवैध व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए नेपाल के साथ द्विपक्षीय समझौता हुआ है ।

8.12 सुन्दरबन के रायल बंगाल व्याघ्र के संरक्षण के लिए बांग्ला देश के साथ एक नयाचार अथवा आदर्श पत्र पर सितंबर, 2011 में हस्ताक्षर किए गए हैं ।

8.13 व्याघ्र और तेंदुआ संरक्षण संबंधी एक उप-समूह रुसी परिसंघ के साथ सहयोग के लिए गठित किया गया है।

8.14 व्याघ्र श्रेणी देशों का एक वैश्विक व्याघ्र मंच व्याघ्र संरक्षण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मुद्दों का समाधान करने के लिए सृजित किया गया है ।

8.15 सीआईटीईएस (लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन) के पक्षकारों के सम्मेलन के 14वें अधिवेशन के दौरान, जो हेग में 3 जून से 15 जून, 2007 तक आयोजित किया गया था, भारत ने वन्य व्याघ्र का संरक्षण करने के लिए ही समर्थकारी स्तर तक ऐसी बंधित आबादी को सीमित करने के लिए, वाणिज्यिक पैमाने पर व्याघ्र प्रजनन आपरेशनों वाले पक्षकारों को इन निदेशों के साथ चीन, नेपाल और रुसी परिसंघ के साथ एक संकल्प पुनर्स्थापित किया है । यह संकल्प लघु संशोधनों सहित एक विनिश्चय के रूप में अंगीकृत किया गया था । इसके अतिरिक्त, भारत ने व्याघ्र पालन को समाप्त करने के लिए, और एशियाई बड़ी बिल्लियों के शरीर के अंगों और व्युत्पन्नों के संचित पुंज को समाप्त करने के लिए अपील करते हुए हस्तक्षेप किया है । व्याघ्र के शरीर के अंगों के व्यापार पर प्रतिबंध को बनाए रखने के महत्व पर बल दिया गया था ।

8.16 जेनेवा में 23 जुलाई से 27 जुलाई, 2012 तक सीआईटीईएस (लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन) की स्थायी समिति के 62वें अधिवेशन के दौरान भारत के प्रबल हस्तक्षेप के आधार पर सीआईटीईएस

सचिवालय ने विनिश्चय 14.69 को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के लिए पक्षकारों को अधिसूचना संख्या 2012/054 तारीख 3.9.32012 जारी किया है और 25 सितंबर, 2012 तक सचिवालय को रिपोर्ट देने के लिए कहा है (व्याघ्र आदि के बंधित प्रजनन आपरेशनों को प्रतिबंधित करने पर हुई प्रगति) ।

8.17 सरिस्का और पन्ना व्याघ्र आरक्षों, जहां व्याघ्र स्थानीय रूप से लुप्त हो चुके थे, की आबादी का पुनर्निर्माण करने के लिए सक्रिय प्रबंधन के अन्तर्गत बाघों/बाघिनों का पुनर्स्थापन किया गया है ।

8.18 व्याघ्र एवं उसके शिकार की कम आबादी प्रास्थिति वाले व्याघ्र आरक्षों में सक्रिय प्रबंधन के माध्यम से भक्ष्य आधारित और व्याघ्र जनसंख्या के स्व-स्थाने निर्माण के लिए विशेष सलाहकारी राय जारी की गई हैं ।

विशेष व्याघ्र संरक्षण बल (एसटीपीएफ) का सृजन

8.19 वित्त मंत्री द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, 29.02.2008 के उनके बजट भाषण में उद्घोषित नीतिगत पहलों में व्याघ्र संरक्षण से संबंधित कार्रवाई बिन्दू अंतर्विष्ट हैं । विशेष व्याघ्र संरक्षण बल (एसटीपीएफ) खड़ा करने के लिए, सशस्त्रीकृत करने के लिए और अभिनियोजन के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) को 50.00 करोड़ रुपए के एकमुश्त अनुदान के आधार पर उक्त बलों के लिए प्रस्ताव 13 व्याघ्र आरक्षों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है । वर्ष 2008-09 के दौरान एसटीपीएफ के सृजन के लिए कॉर्बेट, रणथम्भौर और दुधवा व्याघ्र आरक्ष को 93 लाख रुपए जारी किए गए हैं । तब से ही एक विकल्प-II के रूप में पुलिस के स्थान पर वन कार्मिकों को अभिनियोजित करने के लिए एसटीपीएफ के मार्गदर्शी सिद्धांत पुनरीक्षित किए गए हैं जिनमें वन गुर्जर जैसे स्थानीय लोगों को सम्मिलित करने की गुंजाइश है । वर्ष 2010-11 और वर्ष 2011-12 के दौरान 270 लाख रुपए की रकम एसटीपीएफ को खड़ा करने के लिए, उसे सशस्त्रीकृत करने और अभिनियोजित करने के लिए सिमिलीपाल व्याघ्र आरक्ष को उपलब्ध कराई गई है । कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में एसटीपीएफ अभिनियोजित कर दी गई है ।

8.20 ट्रैफिक-इंडिया के सहयोग से, एक आनलाइन व्याघ्र अपराध डाटा बेस की शुरुआत की गई है और आरक्ष विनिर्दिष्ट सुरक्षा योजना को तैयार करने के लिए सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए गए हैं ।

हाल ही में की गई पहलें

8.21 व्याघ्र राज्यों के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) को कार्यान्वित करना जो व्याघ्र संरक्षण पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निधि प्रवाहों से संबद्ध है ।

8.22 व्याघ्र आरक्षित क्षेत्रों का त्वरित मूल्यांकन किया गया है ।

8.23 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित और व्याघ्र तथा उसके भक्ष्य की कम आबादी प्रास्थिति वाले व्याघ्र आरक्षों को भेजे गये विशेष कार्य बल (प्रवीण बल) ।

8.24 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित व्याघ्र आरक्ष और व्याघ्र तथा उसके कम आबादी प्रास्थिति वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियो को विशेष पहल करने के लिए संबोधन ।

8.25 प्रभावी क्षेत्र गश्त और अनुश्रवण के लिए 'व्याघ्र अनुश्रवण प्रणाली-गहन संरक्षण और पारिस्थितिकीय प्रास्थिति (एम-एसटीआरआईपीईएस)' आरंभ करने के अतिरिक्त अवसंरचना और क्षेत्र संरक्षण का आधुनिकीकरण करने के लिए किए गए उपाय ।

8.26 चालू सभी भारतीय व्याघ्र आंकलन में गैर सरकारी विशेषज्ञों के अंतर्वलन के लिए किए गए उपाय ।

8.27 प्रोत्साहन प्रदान करने के अलावा, फील्ड पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण के माध्यम से फील्ड परिदान में सुधार करने के लिए की गई पहलें ।

8.28 व्याघ्र आरक्षों में निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के संबंध में आरंभ की गई कार्रवाई ।

8.29 वर्ष 2010 में पूरे किए गए देश स्तरीय व्याघ्र प्रास्थिति मूल्यांकन के दूसरे दौर, जिसमें 1706 की व्याघ्र आबादी आकलन सहित वृद्धि को उपदर्शित करने वाले निष्कर्ष हैं, क्रमशः 1520 और 1909 की निचली और ऊपरी

सीमाएं भी हैं की तुलना में वर्ष 2006 के पिछले देश स्तरीय आंकलन में यह आबादी 1411 है और क्रमशः निचली और ऊपरी सीमाएं 1165 और 1657 हैं ।

8.30 वैश्विक रूप से प्रयुक्त कार्य ढ़ाचे के आधार पर 39 व्याघ्र आरक्षों के लिए 2010-11 में किए गए व्याघ्र आरक्षों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के स्वतंत्र निर्धारण का दूसरा दौर ।

8.31 अतिरिक्त संघटकों के साथ व्याघ्र परियोजना के लिए आवंटन में वृद्धि ।

8.32 समस्या ग्रस्त क्षेत्रों में मानव- व्याघ्र संघर्षों के शमन के लिए विशेष सहायता उपलब्ध कराना ।

8.33 नई दिल्ली में आयोजित चौथे सीमा पार परामर्शी समूह अधिवेशन के परिणाम के रूप में, एक संयुक्त संकल्प पर जैव विविधता और व्याघ्र संरक्षण के लिए नेपाल के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं ।

8.34 नागपुर, बंगलूरु और गुवाहाटी में राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

8.35 फेज IV व्याघ्र आरक्ष स्तरीय अनुश्रवण का शुभांरभ ।

8.36 व्याघ्र परियोजना के पुनरीक्षित लागत प्राक्कलन को अगस्त, 2011 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है जिसमें 11वीं योजना की अवधि के लिए आबंटन को 650 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता से बढ़ाकर 1216.86 करोड़ रुपए कर दिया गया है । उर्ध्वगामी पुनरीक्षण अधिसूचित क्रोड अथवा क्रांतिक व्याघ्र प्राकृत्वासों से ग्रामों के पुनर्स्थापन के लिए वर्धित कार्रवाई और अतिरिक्त संघटकों के समावेशन के कारण आवश्यक हो गया है ।

9. 12वीं योजना अवधि के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र--

9.1 विशेष व्याघ्र संरक्षण बल (एसटीपीएफ) को खड़ा करने के लिए, उसे सशस्त्रीकृत करके और अभिनियोजित करने के लिए राज्यों को समर्थन देकर संरक्षण में वृद्धि करना (अब तक एसटीपीएफ नागरहोल व्याघ्र आरक्ष के लिए कर्नाटक में एवं तडोबा–अंधारी एवं पेंच व्याघ्र आरक्षों के लिये महाराष्ट्र में ही गठित की गई है; वित्तपोषण सहायता उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान को उपलब्ध कराई गई है जहां उसके गठन की प्रक्रिया चल रही है) । वित्तपोषण, सिमिलीपाल व्याघ्र आरक्ष में एसटीपीएफ के गठन के लिए ओडिशा को भी उपलब्ध कराया गया है ।

9.2 जीवनक्षम आबादी हेतु व्याघ्रों के लिये अनतिक्रांत स्थान (800–1200 वर्ग किलोमीटर) उपलब्ध कराने हेतु क्रोड क्षेत्रों से स्वैच्छिक ग्राम पुनर्स्थापन के लिए राज्यों को वर्धित वित्तपोषण सहायता की आवश्यकता ।

9.3 अवसंरचना और प्राकृत्वास प्रबंध का सुदृढ़ीकरण ।

9.4 वन्यजीव अपराध रोकथाम में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग ।

9.5 क्षेत्र कार्मिकों का क्षमता निर्माण ।

9.6 प्रतिशोध वधों को रोकने के लिए मानव-वन्यजीव संघर्षों से निपटना ।

9.7 पारस्परिक प्रतिबद्धताओं वाले पारिस्थितिकीय विकास के लिए ग्राम स्तरीय भागीदारी नियोजन के माध्यम से बहु उपयोगी जोन के रूप में व्याघ्र आरक्षों के बफर/उपान्त क्षेत्रों का प्रबंध करने के लिए राज्यों की सहायता करके क्रोड/क्रांतिक व्याघ्र प्राकृत्वास के सीमावर्ती क्षेत्रों में आजीविका निर्भरता के मुद्दे का समाधान करना (41 व्याघ्र आरक्षितियों में से सभी द्वारा बफर क्षेत्र अधिसूचित किया गया है) । व्याघ्र आरक्षों द्वारा अधिसूचित क्रोड और क्रांतिक व्याघ्र प्राकृत्वास तथा बफर और उपान्त क्षेत्रों के ब्यौरे **परिशिष्ट क** और **परिशिष्ट ख** पर हैं ।

9.8 व्याघ्र आरक्ष विनिर्दिष्ट क्षमता निर्माण द्वारा निरंतर अनुश्रवण हेतु फेज–4 का शुभारंभ ।

9.9 सक्रिय प्रबंधन जिसमें परिदृश्य के भीतर उपयुक्त कम सघनता वाले व्याघ्र प्राकृत्वासों में व्याघ्र का स्थानान्तरण अंतर्वलित है ।

9.10 समर्थकारी क्षेत्रोन्मुखी अनुसंधान कार्य ।

9.11. नागपुर, गुवाहटी और बैंगलुरू में राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एन.टी.सी.ए.) के क्षेत्रीय कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण (नागपुर और बैंगलुरू क्षेत्रीय कार्यालय में सहायक वन महानिरीक्षक (एआईजी) अभिनियोजित, गुवाहटी में एक सहायक वन महानिरीक्षक के अतिरिक्त, 3 क्षेत्रीय कार्यालयों में वन महानिरीक्षकों का अभिनियोजन अपेक्षित है)।

9.12. नए व्याघ्र आरक्षों की घोषणा करना और उन्हें समेकित करना (5 सिद्धान्ततः अनुमोदित किए गए, और अन्य 6 के लिए राज्य को परामर्श दिया गया है) । इसके अतिरिक्त कर्नाटक में एक व्याघ्र आरक्ष के लिए स्वीकृति दी गई है।

9.13. जागरुकता प्रोत्साहित करना/सहायक आरक्ष विनिर्दिष्ट सम्प्रेषण नीति - पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ व्याघ्र संरक्षण के लिए जन समर्थन उत्पन्न करना ।

10. उपक्रियाकलापों सहित कार्य रणनीति

10.1 संरक्षण को बढ़ाना : (अवैध शिकार प्रतिरोधी दल/व्याघ्र संरक्षण बल का अभिनियोजन)

व्याघ्र आरक्ष में अवैध शिकार प्रतिरोधी प्रचालन स्थल विनिर्दिष्ट है । तथापि, निम्नलिखित क्रियाकलाप, अन्य बातों के साथ, व्याघ्र आरक्ष में संरक्षण रणनीति का प्रारूप हो सकता है, अर्थात् :-

(क) विशेष व्याघ्र संरक्षण बल को खड़ा करना, सशस्त्रीकरण और अभिनियोजन करना ।

(ख) वन्यजीव अपराध रोकथाम में सूचना प्रौद्यगिकी का उपयोग ।

(ग) क्षेत्र पैट्रोलिंग के लिए (एम एस टी आर आई पी ई एस) आरंभ करना ।

(घ) अवैध शिकार प्रतिरोधी दलों को अभिनियोजन ।

(ड.) विद्यमान गश्त कैंपों/चौकियों की स्थापना और अनुरक्षण करना और कैंप श्रमिकों का गश्त के लिए अभिनियोजन ।

(च) दस्ता (व्याघ्र संरक्षण बल) गठित करके वाहन द्वारा गश्त करना, क्षेत्रीय कर्मचारिवृन्द श्रमिकों और पुलिस /एस ए एफ / भूतपूर्व सेना कार्मिक का दस्ते के लिए गश्ती कलेन्डर विहित करने से इतर अपराधियों को पकड़ने के लिए बेतार हैंडसेट और अन्य साज सामान सहित उनका समावेश करना ।

(छ) बेतार नेटवर्क की स्थापना और अनुरक्षण ।

(ज) संयुक्त रूप से स्थानीय पुलिस के साथ रेलवे स्टेशनों, लोकल ट्रेनों, बस स्टापों, बसों, जलपान और अल्पाहार गृहों पर अचानक छापे डालना ।

(झ) संरक्षित क्षेत्रों के भू-भाग और अभिगम्य को विचार में लेते हुए आपरेशन मानसून के रूप में मानसून के दौरान विशेष विनिर्दिष्ट स्थल संरक्षण उपायों को सुनिश्चित करना ।

(ञ) पूर्व सेना कार्मिकों/होम गार्डों का अभिनियोजन किया जाना ।

(ट) गश्त, जल निकासों, मानवयुक्त अवरोधों की निगरानी के लिये स्थानीय कार्य बल का अभिनियोजन करना ।

(ठ) आयुध और गोला-बारुद का उपापन ।

(ड) हाथियों के दस्तों का उपापन/अनुरक्षण ।

(ढ) सूचना देने वालों को पुरस्कार ।

(ण) न्यायालय वादों के प्रतिवाद के लिए विधिक सहायता ।

(त) वाहनों, नावों का उपापन ।

(थ) क्षेत्रोपकरण (फील्ड गियर), रात्रि दर्शन युक्ति अथवा उपकरण का उपापन ।

10.2 समय सीमा के भीतर व्याघ्र आरक्षों में वन्यजीवों के लिये अनतिक्रांत स्थान विनिश्चय करना और क्रोड अथवा क्रांतिक व्याघ्र प्राकृत्वासों से ग्रामीणों का पुनर्स्थापन एवं अधिकारों का विनिश्चयन।

10.2.1 अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के साथ ही वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में, व्याघ्र आरक्षों अथवा संरक्षित क्षेत्रों के क्रोड एवं क्रांतिक व्याघ्र अथवा वन्यजीव प्राकृत्वास के भीतर मान्यता प्राप्त वन क्षेत्र में (अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वन निवासियों) व्यक्तियों के अधिकारों को व्याघ्र या वन्य प्राणियों को अनतिक्रांत स्थान उपलब्ध कराने के उपबंध के लिए उपांतरित किया जा सकेगा और पुनर्वास अपेक्षित हो सकेगा । इस हेतु प्रतिकर का संदाय अपेक्षित है (वर्तमान में केन्दीय प्रवर्तित योजना के अधीन दिए गए पुनर्वास पैकेज के अतिरिक्त अधिकारों का व्यवस्थापन सम्मिलित है)। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का अध्याय 4 (धारा 24) धारा 18 (अभयारण्य स्थापना के लिए) या धारा 35 (राष्ट्रीय पार्क स्थापना के लिए) राज्य सरकार द्वारा घोषित भूमि में या भूमि पर अर्जन के अधिकारों के लिए उपबंध करता है । वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 2, ऐसी भूमि या अधिकारों को अर्जित करने के लिए कलेक्टर को प्राधिकृत करती है । अतः उनके अधिकारों के उपांतरण/व्यवस्थापन के भाग के रूप में व्यक्तियों की अचल संपत्ति के लिए प्रतिकर का संदाय है जो कि एक वैधानिक अपेक्षा है ।

10.2.2 व्याघ्र पारिस्थितिकी विज्ञान पर उपलब्ध अनुसंधान आंकड़ों के सतत् अध्ययन और विश्लेषण से उपदर्शित होता है कि बाघिनों (मादा बाघ) की न्यूनतम संख्या जो प्रजनन अवस्था में हैं एवं जिनका अनुरक्षण करना आवश्यक है, 80-100 व्याघ्रों की जीवनक्षम संख्या (क्रोड क्षेत्र मे या उसके आसपास) के लिए 800-1000 वर्ग किलो मीटर स्थान अपेक्षित है । व्याघ्र की "सर्वाच्छादित प्रजाति" होने के कारण इससे अन्य वन्य पशुओं (सह परभक्षी, भक्ष्य) और जंगल की जीव्य संरक्षा भी सुनिश्चित हो जाएगी जिसके द्वारा संपूर्ण क्षेत्र या प्राकृत्वास की पारिस्थितिकी जीव्यता सुनिश्चित होगी । अतः, व्याघ्र और अन्य वन्य पशुओं की मूल संरक्षा को जीवित रखने के लिए व्याघ्र आरक्षितियों के क्रोड क्षेत्रों को अनतिक्रांत बनाए रखने की पारिस्थितिकीय अनिवार्यता हो जाती है।

10.2.3 प्रस्तावित पैकेज के निम्नलिखित दो विकल्प हैं, अर्थात् :-

(क) विकल्प 1--वन विभाग द्वारा किसी पुनर्वास या पुनःस्थापन प्रक्रिया को अंतर्वलित किये बिना ऐसे परिवारों को जो यह विकल्प अपनाते है, को संपूर्ण पैकेज राशि (प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए) का संदाय ।

(ख) विकल्प 2--वन विभाग द्वारा संरक्षित क्षेत्र और व्याघ्र आरक्षिति से ग्रामों का पुनःस्थापन या पुनर्वास का किया जाना ।

10.3 व्याघ्र आरक्षितियों के भीतर अवसंरचना को बढ़ाना,--

अन्य बातों के साथ निम्नलिखित क्रियाकलाप, व्याघ्र आरक्षितियों की अवसंरचना (नए व्याघ्र आरक्षिति को समर्थन सहित) को प्रवलित करने के भाग के रूप में होगी, अर्थात् :-

(क) सिविल कार्य (कर्मचारी क्वाटर, परिवार होस्टल, कार्यालय सुधार, गश्ती शिविर अथवा पैट्रोलिंग कैंप, गृह व्यवस्था भवन, म्यूजियम, कलवर्ट्स) ।

(ख) सड़क नेटवर्क का अनुरक्षण, सृजन और उन्नयन करना ।

(ग) बेतार टावर का अनुरक्षण और सृजन ।

(घ) अग्नि निगरानी टावर का रखरखाव और सृजन करना ।

(ड.) पूलों, बॉधों, एनीक्टस का अनुरक्षण और सृजन ।

(च) अग्निरेखा/अग्नि अवरोघक का अनुरक्षण और सृजन ।

(छ) मिट्टी के तालाब का अनुरक्षण और सृजन ।

(ज) वाहनों (जिप्सी, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर इत्यादि) का उपापन और अनुरक्षण ।

(झ) प्राकृत्वास सुधार कार्य ।

(ञ) हाईवेयर, साफ्टवेयर और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का उपापन ।

(ट) कम्पास, दूरी मापक (रेंज फाइंडर), भौगोलिक स्थापन प्रणाली (जीपीएस), कैमरा ट्रैप का उपापन।

(ठ) प्रबंधन योजना के लिए उपग्रह से प्राप्त चित्रों का उपापन ।

(ड) प्रबंधन योजना के लिए नक्शा अंकरूपण सुविधा ।

10.4 प्राकृत्वास सुधार और जल विकास,--

इसमें, अन्य बातों के साथ सम्मिलित हो सकेगी, अपतृण उन्मूलन, घास के मैदानों में उगने वाले समूहचर पौधों को हटाना। घास सुधार, जल अवरोध संरचनायें और इसी प्रकार की अन्य। ये पहलें वन्यजीव के लिए प्राकृत्वास के चारा एवं चारण मूल्य में वृद्धि कर पायेंगी।

10.5 मानव - पशु संघर्ष को संबोधन (वन्य पशुओं के कारण मानव मृत्यु, मांसभक्षी द्वारा पशुधन क्षति, वन्य खुरदार पशुओं द्वारा फसलों की क्षति के प्रकरणों में एकरूपता सुनिश्चत करते हुये समयबद्ध प्रतिकर उपलब्ध कराना) (फसल हानि के लिए प्रतिकर एक नया घटक है)

इसमें सम्मिलित हो सकेगा,--

(क) वन्य पशुओं के कारण मवेशी उत्थापन, मानव मृत्यु और फसलों के विनाश के लिए प्रतिकर का संदाय ।

(ख) फसल संरक्षण संरचना का सृजन ।

(ग) समस्याकारक पशुओं को पकड़ने के लिए जाल, पिंजरों का उपापन/लगाना ।

(घ) शामक उपकरण अथवा प्रशान्तक उपस्कर, बचाव वाहन और औषधि का उपापन ।

10.6 बफर/सीमावर्ती क्षेत्रों में सह अस्तित्व कार्यसूची

व्याघ्र आरक्षिति के चारों ओर सीमावर्ती क्षेत्रों का गलियारा मूल्य है और उनकी पारिस्थितिकीय वहनीयता इस क्षेत्र को संसाधनों के अत्यधिक प्रयोग और अनुचित भूमि प्रयोग के कारण पारिस्थितिकीय नितल में परिवर्तित होने से रोकने हेतु महत्वपूर्ण है। यह आह्वान है कि ऐसे सीमावर्ती क्षेत्रों का व्याघ्र आरक्षिति के चारो ओर बफर क्षेत्र के रूप में निरूपण किया जाये जिससे निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके :

(क) वनों पर उनकी निर्भरता को कम करने के लिए स्थानीय पणधारी को पारिस्थितिकीय रूप से साध्य आजीविका विकल्पों का उपबंध करना ।

(ख) क्रोड क्षेत्रों से निकलने वाले वन्य पशुओं को प्राकृत्वास प्रतिपूर्ति हेतु स्वास्थ्यकर निवेश के माध्यम से स्थानीय व्यक्तियों की भागीदारी द्वारा वन क्षेत्र को संरक्षित करना ।

10.7 व्याघ्र आरक्षिति के चारों ओर रहने वाले परम्परागत शिकारी जनजातियों का पुनर्वास

व्याघ्र आरक्षिति और व्याघ्र गलियारों के चारों ओर रहने वाले परम्परागत शिकार में शामिल होने वाले अधिसूचना से पृथक की गई जनजातियों के लिए पुनर्वास और विकास कार्यक्रम चलाने की सख्त आवश्यकता है । वन्य पशुओं का परम्परागत तरीके से शिकार करने वाली जनजातियां और समुदाय, जो अधिसूचित नहीं है, निम्न प्रकार से हैं : बहेलिया, अम्बालगर, बदाक, मोन्गिया, बवरिया, मोंगलिया, परधी, बोया, कैकाद्, कैरवल, नट, निरशिकारी, पिचारी, वालयार, येनादि, चकमा, मिजो, ब्रू, सोलंग और न्यिशी। जबकि यह सूची सुविस्तृत नहीं है, योजना अवधि के दौरान कल्याण कार्यक्रम के अधीन (एन.टी.सी.ए. के भागरूप में की गई पहल) ऐसे लगभग 5000 परिवारों को लिया जाना अपेक्षित है । पुनर्वास और कल्याण पैकेज स्थल विनिर्दिष्ट, विचारणीय रीति से जीवनयापन विकल्प सहित प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें शामिल हो: वन्य जीव संरक्षण के लिए पैदल गश्ती में अभिनियोजित ऐसे व्यक्तियों को मजदूरी देना, सिंचाई सहित कृषि भूमि उपलब्ध कराना, आधारभूत स्वास्थ्य देखभाल, आवास और संबंधित समुदाय कल्याण निवेश और प्राथमिक शिक्षा सुविधा । कार्यक्रम की संरचना के दौरान अधिसूचना से निकाली गयी जनजातियों को विस्थापित करने के लिये मुक्ति सेना द्वारा पूर्वार्जित अनुभव पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाना अपेक्षित है ।

10.8 अनुसंधान और कार्यसाधन :--

अखिल भारतीय व्याघ्र ऑकलन जिसमें व्याघ्र कार्य बल द्वारा अनुमोदित नये प्रणाली विज्ञान का प्रयोग हुआ है, के परिणाम स्वरूप कार्य ईकाईयों के लिये स्थायी अनुश्रवण नयाचार का उद्भव हुआ है। व्याघ्र की स्त्रोत आबादियों के अनुश्रवण हेतु व्याघ्र आरक्ष स्तरीय फेज–4 चलाया जायेगा। इसके आगे क्षेत्रोन्मुखी अनुसंधान एवं कर्मचारीवृंद को भौगोलिक स्थापन प्रणाली (जीपीएस), कैमरा ट्रैप, रात्रि दृष्टि यंत्र, दूरी मापक एवं हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर सहित संबंधित सहायक सामग्रियों से सुसज्जित करने के पोषण अभियान में सहायता प्रदान की जायेगी।

10.9 कर्मचारीवृंद विकास और निर्माण क्षमता :--

10.9.1 इसमें शामिल होंगे :--

(क) क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण ।

(ख) परियोजना भत्ता और विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध कराना ।

(ग) भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग, अवैध शिकार प्रतिरोधी प्रचालन में विशेषीकृत प्रशिक्षण ।

(घ) विधि शास्त्र अथवा न्याय शास्त्र और वन्य जीव विधि चिकित्साशास्त्र में विशेषीकृत प्रशिक्षण ।

(ङ) अन्य आरक्षितियों में अच्छे अभ्यास के मूल्यांकन के लिए अध्ययन भ्रमण करना ।

(च) विकीर्णन कार्यशाला ।

(छ) पार्क व्याख्या में विशेषीकृत प्रशिक्षण ।

(ज) प्रबंधन योजना में विशेषीकृत प्रशिक्षण ।

10.9.2 उपरोक्त विवेचन कार्य कर्मचारीवृंद के कौशल को बढ़ाने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । अपराध पहचान और उससे संबंधित कौशल में विशेषज्ञता प्रशिक्षण न होने के कारण अवैध शिकार घटित होने के कई उदाहरण है ।

10.10 व्याघ्र युक्त वनों में वन्यजीव मुद्दों को मुख्य धारा में लाना और प्राकृत्वास विखंडन रोकने के लिये स्वास्थ्यकर रणनीति के माध्यम से स्थानीय लोगों को अंतर्वलित करते हुये गलियारा संरक्षण को प्रोत्साहन।

इसमें शामिल होंगे:--

(क) मानव-पशु संघर्ष निवारण ।

(ख) समस्या मूलक और विपथगामी वन्य पशुओं का अभिग्रहण ।

(ग) वन्य पशुओं का अनुश्रवण ।

(घ) अवैध शिकार प्रतिरोधी प्रचालन ।

(ङ) प्राकृत्वास सुधार उपाय ।

10.11 वन्य जीव संरक्षण के हित में रक्षोपाय और प्रति संगत उपाय (नवीन क्रियाकलाप)

अनेक व्याघ्र आरक्षितियों पर अत्यधिक प्रयुक्त अवसंरचना जैसे सड़कें, रेलपथ और अन्यों के कारण प्रभाव पड़ा है । अनेक आरक्षितियों से होकर जाने वाली उच्च प्रसरणशील विद्युत लाइनों के कारण अवैध शिकारियों द्वारा वन्य जीवों को विद्युत शक्ति से मारने के कारण उनकी मृत्यु हुई है । इन वन्य जीवों के हित में अनेक रक्षोपाय और प्रति संगत उपाय अपेक्षित है, जिन्हें विनिर्दिष्ट स्थल आधार पर सहयोग दिया जाएगा ।

10.12 आधारभूत अवसंरचना, परामर्श हेतु व्याघ्र परियोजनाबद्ध मुख्यालय व्यय, विशेषज्ञ दलों द्वारा क्षेत्र दौरा, अखिल भारतीय व्याघ्र आकॅलन/व्याघ्र का सतत् अनुश्रवण (फेस-4), व्याघ्र आरक्षितियों के बाहर व्याघ्रों का राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण अनुदान के माध्यम से अनुश्रवण हेतु सहायता, राष्ट्रीय व्याघ्र कैमरा ट्रैप फोटो डाटाबेस संग्रह का विकास करने, अनुश्रवण प्रयोगशाला की स्थापना के अतिरिक्त एन.टी.सी.ए. के केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में सुदृढ़ीकरण के लिए समर्थन का उपबंध करना ।

10.13 व्याघ्र आरक्षितियों का स्वतंत्र अनुश्रवण और मूल्यांकन,--

विश्वव्यापी स्वीकृत संकेतकों का उपयोग करके स्वतंत्र अनुश्रवण के दूसरे चक्र को पूरा किया गया है । यह आगे भी परिष्कृत किया जायेगा और जारी रहेगा ।

10.14 **नए व्याघ्र आरक्षितियों की स्थापना और विकास :**

10.14. 'व्याघ्र परियोजना' एक पुनीत पारि–तंत्र दृष्टिकोण है । यद्यपि, मुख्य संकेन्द्र प्रमुख अथवा सर्वोत्कृष्ट प्रजाति 'व्याघ्र' पर है, तथापि, यह परियोजना खाद्य श्रृंखला में अन्य पोषणात्मक स्तरों को उन्नत करके पारिस्थितिकीय प्रणाली के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए है । व्याघ्र जो कि पारिस्थितिकीय खाद्य श्रृंखला के शीर्ष बिंदु पर है, की पारिस्थितिक रूप से जीवनक्षम संख्या, सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया जाना अनिवार्य है । विकसित देशों में वनों पर लोगों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत इसका कोई अपवाद नहीं है । निष्कर्ष रूप में, व्याघ्र का प्राकृतिक वास कई स्थानों पर अभिखंडित और क्षीण हो गया है, जिसके लिए एक संकेंद्रित संरक्षण दृष्टिकोण की जरूरत है । हमारे संरक्षित क्षेत्र/ व्याघ्र आरक्षितियां अन्य उपयोग प्रतिमानों के सागर में 'द्वीपों' के सदृश है । 'द्वीपीय जैव भौगोलिक दृष्टि' से, आनुभाविक साक्ष्यों से यह उपदर्शित होता है कि 'विच्छिन्न' आरक्षितियां 'पारिस्थितिकीय पृथ्कीकरण' के कारण अपनी प्रजातियों को बहुत तेजी से खो देती है । इसके अतिरिक्त, विखंडीकरण के अलावा यह स्थिति जैविक दाब, विस्थापित भक्ष्य-परभक्षी अनुपात, संरक्षा के वांछित स्तर को सुनिश्चित करने के प्रभावी उपायों के अभाव और समीप के पणधारियों के लिए अपनी निर्भरता वन संसाधनों पर कम करने के लिए पारि–विकासबद्ध उपायों के अभाव के कारण अवश्रेणीकृत वन आच्छादन से अति निकृष्ट हो गई है । 'व्याघ्र परियोजना' उपर्युक्त स्थिति से निपटने के लिए दूरगामी रूप से सहायक सिद्ध होगी, व्याघ्र परियोजना की संचालन समिति ने तारीख 23 जनवरी, 2003 को हुई अपनी बैठक में नए व्याघ्र आरक्षित क्षेत्रों को सम्मिलित किए जाने की सिफारिश की थी जिससे 'व्याघ्र परियोजना' के विद्यमान 37761 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र को दसवीं योजना अवधि के दौरान बढ़ाकर 50,000 वर्ग किलोमीटर किया जा सके ।

10.15 व्याघ्र परियोजना के कर्मचारीवृंद को परियोजना भत्ता का उपबंध :

व्याघ्र आरक्षिति वाले राज्यों के कर्मचारीवृंदों के परियोजना भत्तों के लिए व्याघ्र राज्यों को समर्थन (सौ प्रतिशत) दिया जायेगा।

10.16 कर्मचारीवृंद कल्याण क्रियाकलाप :

कर्मचारीवृंद कल्याणकारी निवेश जैसे अग्रणी/अग्रगामी कर्मचारीवृंद के बच्चों के लिए निकटवर्ती नगरों या ग्रामों में आवासीय सुविधा व्यवस्था, मिट्टी के तेल, औषधि, क्षेत्र किट, मच्छरदानी, टार्च और जैसे समर्थकारी वस्तुओं का प्रदाय किया जायेगा।

10.17 व्याघ्र आरक्षिति में पर्यटन/ पारि पर्यटन को प्रोत्साहन--

व्याघ्र आरक्षिति के संदर्भ में 'पर्यटन' से "पारि पर्यटन" अपेक्षित है, जिसे पारिस्थितिकीय रूप से वहनीय प्राकृत्–पर्यटन होने की आवश्यकता है । यह पर्यटन उद्योग के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभर रहा है। व्याघ्र आरक्षों के सीमांत क्षेत्र में वास कर रहे स्थानीय, आश्रित समुदाय के जीवन स्तर में सुधार हेतु समुदायिक प्रयास आधारित, वहनीय एवं न्यायसंगत व निष्पक्ष होने के कारण यह 'सामूहिक पर्यटन' से भिन्न है। बफर क्षेत्रों पर संकेन्द्रन सहित, वहन क्षमता के अनुसार विनियमन के अधीन, व्याघ्र संरक्षण योजना के भाग के रूप में, व्याघ्र आरक्ष विनिर्दिष्ट पर्यटन योजना के सादृश्य आश्रित स्थानीय समुदाय को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से पारिपर्यटन को बढ़ावा देना 'व्याघ्र परियोजना' के अंतर्गत प्रस्तावित है। चूंकि राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों क्षेत्रों, जो अब क्रोड एवं क्रांतिक व्याघ्र प्राकृत्वास के रूप में नामित है, में पर्यटन होता रहा है, स्थल विनिर्दिष्ट वहन क्षमता के अधीन उक्त क्षेत्रों में विनियमित निम्नसंघाती पर्यटन (अभ्यागमन) की अनुमति दी जायेगी। तथापि, कोई नई पर्यटन अवसंरचना ऐसे क्रोड या क्रांतिक व्याघ्र प्राकृत्वासों में अनुज्ञात नही की जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त, बफर वन क्षेत्रों को भी उक्त क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगो की सक्रिय भागीदारी के साथ, वन्यजीव प्राकृत्वासों के रूप में विकसित किया जाना चाहिये। लोगो की क्रोड और क्रांतिक व्याघ्र अंतरापृष्ठ संघर्षो को कम करते हुये इन क्षेत्रों में पारिपर्यटन गतिविधियों से स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाने के अतिरिक्त यह व्याघ्र आबादी के जीवन–चक्र गतिकी हेतु विस्तृत प्राकृत्वास उपलब्ध करायेगा। पणधारियों के लिए अवसरों में पर्यटकों के लिए कम लागत के आवासों का प्रबंधन, गाइड सेवा उपलब्ध कराना, विक्रय बाजार उपलब्ध कराना, भ्रमण का प्रबंध करना, विशिष्ट सांस्कृतिक नृत्यों को आयोजित करना एवं ऐसे ही अन्य घटक सम्मिलित होंगे।

11. **व्याघ्र परियोजना के अधीन स्थानीय जीवनयापन**--

व्याघ्र परियोजना के अधीन लगभग 24 करोड़ रुपए (जिसमें राज्यों द्वारा दिए गए 50 प्रतिशत बराबरी का भाग छोड़कर) पचास प्रतिशत केंद्रीय सहायता की रकम के साथ वार्षिक लगभग 24 लाख मानव दिन उत्पन्न होंगे, कई स्थानीय जनजातियां ऐसे स्थानीय कार्यबल का गठन करती है (गैर जनजातीय के अतिरिक्त) जैसे मध्य प्रदेश में बैगाज, गौंड, महाराष्ट्र में गौंड, आंध्र प्रदेश में चेंचू, कर्नाटक में शोलिगा, उत्तराखंड में गुजर, तमिलनाडु से इरुला जैसे कुछ नाम है। ऐसे स्थानीय जनजातियों का विकास अंतिम दो वर्षों में प्रोत्साहित और समर्थित किया गया ।

12. **विभिन्न योजना अवधि पर प्रारंभ से व्याघ्र परियोजना के अधीन विनियोजित वित्त पोषण के ब्यौरे**,--

व्याघ्र परियोजना 1973 से प्रारंभ पर्यावरण और वन मंत्रालय की केंद्रीय प्रयोजित योजना है । परियोजना में गत वर्षों में पर्याप्त व्यय हुआ है । प्रारंभ से परियोजना के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में किए गए उपबंध निम्नवत् है :

पंचवर्षीय योजना	लाख (रुपए)
(1)	(2)
योजना 4 (केवल 1973-74)	2.53
योजना 5 (1974-75 से 1978-79)	387.25
आवर्ती योजना (1979-80)	63.90
योजना 6 (1980-81 से 1984-85)	494.86
योजना 7	1475.42
1990-92	700.98
1991-93	549.81
योजना 8	3890.09
योजना 9	7500.00
योजना 10	1500.00
योजना 11	792.96
कुल	109284.8 (लाख) या 1092.85 करोड़

परिशिष्ट 'क'

2006 में यथा संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन अधिसूचित भारत में व्याघ्र आरक्षिति के कोड अथवा कांतिक व्याघ्र प्राकृत्वास की सूची

(24-09-2012 को यथाविद्यमान)

क्रम सं0	सर्जन का वर्ष	व्याघ्र आरक्षिति का नाम	व्याघ्र राज्य	कोड अथवा कांतिक व्याघ्र प्राकृत्वास का क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)
1	2	3	4	5
1.	1973-74	बांदीपुर	कर्नाटक	872.24
2.	1973-74	कॉर्बेट	उत्तराखंड	821.99
3.	1973-74	कान्हा	माध्य प्रदेश	917.43
4.	1973-74	मानस	असम	840.04
5.	1973-74	मेलघाट	महाराष्ट्र	1500.49
6.	1973-74	पलामू	झारखंड	414.08
7.	1973-74	रणथम्भौर	राजस्थान	1113.364
8.	1973-74	सिमिलीपाल	ओडिशा	1194.75
9.	1973-74	सुन्दरबन	पश्चिम बंगाल	1699.62
10.	1978-79	पेरियार	केरल	881.00
11.	1978-79	सरिस्का	राजस्थान	881.1124
12.	1982-83	बक्शा	पश्चिम बंगाल	390.5813
13.	1982-83	इंदिरावती	छत्तीसगढ़	1258.37
14.	1982-83	नागार्जुनसागर	आंध्र प्रदेश	3721.00**
15.	1982-83	नम्दाफा	अरुणाचल प्रदेश	1807.82
16.	1987-88	दुधवा	उत्तर प्रदेश	1093.79
17.	1988-89	कलाकड-मुन्डनथूरई	तमिलनाडु	895.00
18.	1989-90	वाल्मीकि	बिहार	598.45
19.	1992-93	पेंच	मध्य प्रदेश	411.33
20.	1993-94	तडोबा-अंधारी	महाराष्ट्र	625.82
21	1993-94	बांधवगढ़	मध्य प्रदेश	716.903
22.	1994-95	पन्ना	मध्य प्रदेश	576.13
23.	1994-95	दम्पा	मिजोरम	500.00
24.	1998-99	भद्रा	कर्नाटक	492.46
25.	1998-99	पेंच	महाराष्ट्र	257.26
26.	1999-2000	पाक्के	अरुणाचल प्रदेश	683.45
27	1999-2000	नमेरी	असम	200.00
28.	1999-2000	सतपुड़ा	मध्य प्रदेश	1339.264
29.	2008-2009	अऩामलाई	तमिलनाडु	958.59
30.	2008-2009	उदन्ती-सीतानदी	छत्तीसगढ़	851.09
31.	2008-2009	सतकोसिया	उड़ीसा	523.61
32.	2008-2009	काजीरंगा	असम	625.58
33.	2008-2009	अचानकमार	छत्तीसगढ़	626.195
34.	2008-2009	दन्डेली-अंशी	कर्नाटक	814.884

35.	2008-2009	संजय-डुबरी	मध्य प्रदेश	812.571
36.	2008-2009	मुदुमलाई	तमिलनाडु	321.00
37.	2008-2009	नागरहोल	कर्नाटक	643.35
38.	2008-2009	परमबिकूलम	केरल	390.89
39.	2009-2010	सह्याद्रि	महाराष्ट्र	600.12
40.	2011-2012	बिलीगिरी रंगनाथन मन्दिर	कर्नाटक	359.10
41.	2012-2013	कावल	आंध्र प्रदेश	893.23
			कुल	**35123.9547**

**आंध्र प्रदेश सरकार ने नागार्जुन सागर श्रीसैलम व्याघ्र आरक्ष (ना.श्री.व्या.आ.) के क्रोड क्षेत्र के विस्तारित रूप में गुन्डला ब्रहमेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य को अधिसूचित किया है । विस्तारित क्षेत्रफल 1194 वर्ग कि.मी. है । अतः ना.श्री.व्या.आ. का कुल क्रोड क्षेत्रफल 3721 वर्ग कि.मी. है ।

परिशिष्ट 'ख'

2006 में यथा संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन अधिसूचित भारत में मध्यवर्ती (बफर) और उपान्त क्षेत्र की सूची

(24-09-2012 को यथाविद्यमान)

क्रम सं0	सृजन का वर्ष	व्याघ्र आरक्षिति का नाम	व्याघ्र राज्य	मध्यवर्ती / **उपान्त** क्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)
1	2	3	4	5
1.	1973-74	बांदीपुर	कर्नाटक	584.06
2.	1973-74	कॉर्बेट	उत्तराखंड	466.32
3.	1973-74	कान्हा	मध्य प्रदेश	1134.361
4.	1973-74	मानस	असम	2310.88
5.	1973-74	मेलघाट	महाराष्ट्र	1268.03
6.	1973-74	पलामू	झारखंड	715.85
7.	1973-74	रणथम्भौर	राजस्थान	297.9265
8.	1973-74	सिमिलीपाल	ओडिशा	1555.25
9.	1973-74	सुन्दरबन	पश्चिम बंगाल	885.27
10.	1978-79	पेरियार	केरल	44.00
11.	1978-79	सरिस्का	राजस्थान	332.23
12.	1982-83	बक्शा	पश्चिम बंगाल	367.3225
13.	1982-83	इंदिरावती	छत्तीसगढ़	1540.70
14.	1982-83	नागार्जुनसागर	आंध्र प्रदेश	1175.51
15.	1982-83	नम्दाफा	अरुणाचल प्रदेश	245.00
16.	1987-88	दुधवा	उत्तर प्रदेश	1107.9848
17.	1988-89	कलाकड-मुन्डनथूरई	तमिलनाडु	706.542
18.	1989-90	वाल्मीकि	बिहार	300.93
19.	1992-93	पेंच	मध्य प्रदेश	768.30225
20.	1993-94	तडोबा-अंधारी	महाराष्ट्र	1101.7711
21	1993-94	बांधवगढ़	मध्य प्रदेश	820.03509
22.	1994-95	पन्ना	मध्य प्रदेश	1002.42
23.	1994-95	दम्पा	मिजोरम	488.00
24.	1998-99	भद्रा	कर्नाटक	571.83
25.	1998-99	पेंच	महाराष्ट्र	483.96
26.	1999-2000	पाक्के	अरुणाचल प्रदेश	515.00
27	1999-2000	नमेरी	असम	144.00
28.	1999-2000	सतपुड़ा	मध्य प्रदेश	794.04397
29.	2008-2009	अऩामलाई	तमिलनाडु	521.28
30.	2008-2009	उदन्ती-सीतानदी	छत्तीसगढ़	991.45
31.	2008-2009	सतकोसिया	ओडिशा	440.26
32.	2008-2009	काजीरंगा	असम	548.00
33.	2008-2009	अचानकमार	छत्तीसगढ़	287.822
34.	2008-2009	दन्डेली-अंशी	कर्नाटक	282.63
35.	2008-2009	संजय-डुबरी	मध्य प्रदेश	861.931
36.	2008-2009	मुदुमलाई	तमिलनाडु	367.59

37.	2008-2009	नागरहोल	कर्नाटक	562.41
38.	2008-2009	परमबिकूलम	केरल	252.772
39.	2009-2010	सहयाद्रि	महाराष्ट्र	565.45
40.	2011-2012	बिलीगिरी रंगनाथन मन्दिर	कर्नाटक	215.72
41.	2012-2013	कावल	आंध्र प्रदेश	1125.89
			कुल	**28750.73**

भाग - क

अध्याय- II

व्याघ्र परियोजना के विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत

13. परिचय-

13.1 व्याघ्र परियोजना पर्यावरण और वन मंत्रालय की केंद्रीय रूप से प्रायोजित सतत् स्कीम है । पुनरीक्षित मार्गदर्शक सिद्धांतों में, माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा व्याघ्र कार्यबल की अत्यावश्यक सिफारिशों का क्रियान्वयन सम्मिलित हैं । इनमें, अन्य बातों के साथ वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित, जो 4 सितंबर, 2006 से प्रवृत्त हुआ है, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए समर्थन भी सम्मिलित हैं । क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं:-

(i) अवैध शिकार रोधी पहलें ;
(ii) व्याघ्र आरक्षों के भीतर अवसंरचना को सुदृढ़ करना ;
(iii) प्राकृतिक वास का सुधार और जल विकास ;
(iv) मानव - पशु समस्याओं का निदान ;
(v) मध्यवर्ती एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में परिदृश्य दृष्टिकोण के साथ सह अस्तित्व कार्यसूची ;
(vi) ऐसे लोगों के अधिकारों के निपटान के लिए राज्यों की सहायता के अतिरिक्त बेहतर पुनः अवस्थापन पैकेज की व्यवस्था करते हुए समय सीमा के भीतर क्रांतिक व्याघ्र प्राकृतिक वासों से गांवों के पुनः अवस्थापन एवं अनतिक्रांत स्थानों को विनिश्चित करना;
(vii) व्याघ्र आरक्षों में या उसके चारों ओर रहने वाली परंपरागत शिकार करने वाली जनजातियों का पुनर्वासन;
(viii) अनुसंधान और क्षेत्र उपस्करों के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना ;
(ix) व्याघ्र आरक्षों में कर्मचारीवृंद विकास और क्षमता निर्माण के लिए राज्यों की सहायता करना ;
(x) स्थानीय लोगों को प्राकृतिक वासों के विखंडन को रोकने के लिए अंतर्वलित करते हुए पुनःस्थापन योजना के माध्यम से व्याघ्र आरक्षों के बाहर व्याघ्र वाले वनों में वन्य जीव समस्याओं का निदान करना और गलियारा संरक्षण को सुगमता प्रदान करना ;
(xi) वन्य जीव संरक्षण के लिए व्याघ्र आरक्षों और व्याघ्र वाले वनों में या उसके चारों ओर सुरक्षोपाय और पूर्वोपस्कार उपाय प्रदान करना ;
(xii) केंद्र में राष्ट्रीय व्याघ्र सरंक्षण प्राधिकरण की अवसरंचना को सुदृढ़ करना ;
xiii) व्याघ्र आरक्ष का स्वतंत्र अनुश्रवण और मूल्यांकन करना ;
(xiv) आठ नए व्याघ्र आरक्ष की स्थापना और विकास करना ;
(xv) व्याघ्र आरक्ष में कार्य करने वाले सभी प्रवर्गों के कर्मचारीवृंद को परियोजना भत्ता की व्यवस्था करना ;
(xvi) व्याघ्र आरक्ष में तैनात अग्रणी/अग्रगामी कर्मचारीवृंद के बालकों को आधारिक शिक्षा सुकर करने के लिए आवास सुविधाएं प्रदान करना ;
(xvii) स्थानीय लोगों के फायदे हेतु पारि–पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना;

13.2 "व्याघ्र परियोजना" अप्रैल, 1973 में, "वैज्ञानिक, आर्थिक, सौंदर्यपरक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्यों के लिए और सभी समय पर लोगों के फायदे, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए राष्ट्रीय विरासत के रूप में जैविक महत्व के क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए भारत में व्याघ्रों की जीवनक्षम आबादी के अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के" उद्देश्य के साथ आरंभ की गई थी ।

13.3 व्याघ्र परियोजना', सफल रूप से कार्यान्वित हुई है और वर्तमान में, 63874.68 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए 17 राज्यों में 41 व्याघ्र आरक्ष हैं । उपरोक्त के अतिरिक्त, 5 का सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन

किया गया है और अन्य 6 के लिए राज्य सरकार को, कर्नाटक में एक व्याघ्र आरक्ष के लिए अनुमोदन प्रदान करने के अतिरिक्त, सलाह दी गई है । आरक्षों का चयन, देश में व्याघ्रों के समस्त भौगोलिक वितरण की अनन्य पर्यावरणीय प्रणाली और प्राकृतिक वास के प्रकारों को संरक्षित करने की आवश्यकता द्वारा मार्गदर्शित होता है ।

13.4 संकटापन्न प्रजाति और उनके प्राकृतिक वास का संरक्षण, संरक्षित क्षेत्र संजाल को सुदृढ़ करने और उसमें अभिवृद्धि करने, शिकार पर नियंत्रण, अनुश्रवण अनुसंधान और वन्य जीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने को, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य-योजना और वन्य जीव संरक्षण रणनीति, 2002 में उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है।

14. स्कीम के अधीन समर्थित पूर्व निधिकरण पैटर्न और मुख्य क्रियाकलाप--

वर्तमान योजना अवधि के दौरान, 100% केंद्रीय सहायता, राज्यों को समस्त गैर-आवर्ती मदों पर व्यय के लिए उपलब्ध कराई गई है; आवर्ती मदों के लिए, केंद्रीय सहायता, व्यय के 50% तक निर्बंधित की गई है, जबकि सुमेलित अनुदान परियोजना वाले राज्यों द्वारा किया जाता है। व्याघ्र परियोजना के अधीन अन्य बातों के साथ, क्रियाकलाप/क्षेत्र आगमों में सम्मिलित हैं :- **(अनावर्ती)** व्याघ्र आरक्षित क्षेत्रों में संरक्षण को सुदृढ़ करना, व्याघ्र आरक्षों में सशस्त्र बलों का परिनियोजन करना, प्रबंध, सड़कों, बेतार, सिविल कार्यों के लिए आधारिक अवसंरचना का सृजन करना, प्राकृतिक वास का विकास करना, जल संसाधनों की अभिवृद्धि करना, प्राकृतिक वास प्रत्यावर्तन के लिए प्रतिकरात्मक सुधारक उपाय, पारि विकास, गांव पुनःस्थान निर्धारण, अपराधों का पता लगाने में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस), क्षेत्र में व्याघ्र परियोजना निदेशालय के साथ सहयोगात्मक संयोजन रखते हुए व्याघ्र आरक्षों में अंकीय डाटाबेस की स्थापना, व्याघ्र आरक्षों का अनुश्रवण और मूल्यांकन, प्राकृतिक वास प्रास्थिति का अनुश्रवण, अति परिष्कृत प्रौद्योगिकी के साथ भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) क्षेत्र में व्याघ्रों, सह परभक्षी और भक्ष्य पशुओं का अखिल भारतीय स्तर पर आकलन करना, विभिन्न व्याघ्र श्रेणी राज्यों में व्याघ्रों की संख्या का लगातार अनुश्रवण करना, व्याघ्र आरक्षों में पर्यटकों के लिए वन्य जीव दर्शन का पोषण करना, व्याघ्र आरक्षों में मॉसभक्षियों द्वारा मानव वध और पशुधन हानियों के लिए ग्रामीणों को प्रतिकर प्रदान करना, कर्मचारीवृंद को 'परियोजना भत्ता' प्रदान करना, पशु-चिकित्सा सुविधा की स्थापना और व्याघ्र संरक्षण से संबंधित पोषक अनुसंधान और अनुसंधान परियोजनाएं, कर्मचारीवृंद की गतिशीलता को सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान और नए व्याघ्र आरक्षों के लिए वाहनों का प्रतिस्थापन और नए वाहनों को क्रय करना सम्मिलित है; **(आवर्ती)** गश्त और अवरोध फाटकों/बैरियर के लिए स्थानीय कार्यबल का सृजन और परिनियोजन, प्राकृतिक वास सुधार, लवण लेहों की व्यवस्था करना, जल सुविधा, अग्नि अवरोधक उपाय, विभिन्न मदों का अनुरक्षण, प्रकाशन और विस्तारण तथा विधि सहायता भी सम्मिलित हैं ।

15. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एन टी सी ए) का गठन,-

15.1 केंद्रीय सरकार ने व्याघ्र संरक्षण का संवर्द्धन करने के लिए "व्याघ्र परियोजना" आरंभ की थी, क्योंकि इसके संरक्षण का महत्व राज्य सीमाओं से परे फैला है । वनों और वन्य जीवों का प्रबंधन संबद्ध राज्यों का प्राथमिक रूप से उत्तरदायित्व है । परियोजना का क्षेत्र में कार्यान्वयन, अभिहित आरक्षों में संरक्षण और प्रबंधन उन परियोजना वाले राज्यों द्वारा किया जाता है जो व्यय की आवर्ती मदों को सुमेलित अनुदान प्रदान करते हैं, क्षेत्र कर्मचारीवृंद/अधिकारियों को परिनियोजित करते हैं तथा उनको वेतन देने की व्यवस्था भी करते हैं । पर्यावरण और वन मंत्रालय के व्याघ्र परियोजना निदेशालय को तकनीकी मार्गदर्शन और वित्त पोषण प्रदान करने का दायित्व दिया गया था ।

15.2 वर्षों से 'व्याघ्र परियोजना' के कार्यान्वयन ने व्याघ्र संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए विधिक पृष्ठभूमि के साथ वैधानिक प्राधिकरण की आवश्यकता पर बल दिया है । देश में व्याघ्र संरक्षण की समस्याओं को देखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय वन्यजीव परिषद् की सिफारिशों के आधार पर एक कार्यबल की स्थापना की गई थी । उक्त कार्यबल की सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के

सृजन के अतिरिक्त व्याघ्र परियोजना को वैधानिक और प्रशासनिक शक्तियां देते हुए उसको सुदृढ़ करना सम्मिलित है । यह भी सिफारिश की गई है कि वार्षिक रिपोर्ट को संसद में रखे जाने के लिए केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे व्याघ्र परियोजना के प्रति वचनबद्धता को समय-समय पर स्थानीय लोगों की चिंताओं को दूर करने के अतिरिक्त, पुनरीक्षित किया जा सके । उक्त कार्यबल की प्रमुख अत्यावश्यक सिफारिशें निम्नानुसार हैं :-

(i) शासन प्रणाली व्यवस्था को बल प्रदान करना ।

(ii) व्याघ्र संरक्षण, शिकार पर नियंत्रण, वन्य जीव अपराधियों का दोषसिद्ध करने और वन्य जीव शारीरिक अंगों और व्युत्पन्नों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क को तोड़ने के संबंध में प्रयासों को सशक्त करना।

(iii) मानव दबाव को कम करके व्याघ्रों के लिए शांत क्षेत्रों का विस्तार करना ।

(iv) सह–अस्तित्व की रणनीति के द्वारा स्थानीय लोगों के साथ संबंध में सुधार करना जो व्याघ्रों के प्राकृतिक वासों के साथ भागीदारी करते हैं ।

(v) जनता के वन, जल और हरित भूमि अर्थ नीतियों में विनिधान करके व्याघ्र संरक्षित सीमावर्ती क्षेत्रों में वन प्राकृतिक वासों को पुनःस्थापित करना ।

15.3 व्याघ्र आरक्ष, पर्यावरणीय आशांतियों और विभिन्न अन्य समस्याओं का सामना करते हैं । प्राकृतिक वास की कमी के कारण भूमि उपयोगों की समस्या के अतिरिक्त वनीय प्राकृतिक वासों के अत्यधिक उपयोग से प्राकृतिक वासों का विखंडन होता है । ऐसे भी मामले हैं, जहां गांव की अधिक जनसंख्या, एक बड़ी संख्या में मवेशियों के साथ, जो वनों में चरती हैं, नियमित या आंतरायिक अशांति के मुख्य स्रोत जैसे मंदिर और वाणिज्यिक इकाईयां जैसे चाय बागानों के अतिरिक्त, पर्यावरणीय पतन का कारण है । यह मानव वन्यजीव संघर्ष का कारण है जिससे व्याघ्र और भक्ष्य मर्त्यता उत्पन्न होती है ।

15.4 बहुत से दबाव परियोजना के क्षेत्र में कार्यान्वयन को प्रभावित करते हैं जैसे क्षेत्र ईकाइयों के लिए राज्यों को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता के जारी होने में विलंब होना, कर्मचारीवृंद रिक्तियां, क्षेत्र कर्मचारीवृंद की बढ़ती उम्र, क्षमता निर्माण पहलों की कमी, कमजोर प्रवर्तन एवं संरक्षण कार्य अनुश्रवण आदि का होना । हाल ही में हुई घटनाओं से इस तथ्य पर प्रकाश पड़ता है कि राज्यों में अधिक प्रतिबद्धता और सर्तकता की आवश्यकता है । प्रशासन को अपेक्षित क्षमता निर्माण और पर्यवेक्षण की आवश्यकता है ।

15.5 केंद्रीय सरकार स्तर (व्याघ्र परियोजना निदेशालय) पर भी प्रणाली को सुदृढ़ करने की अत्यावश्यकता है जो देश में व्याघ्र संरक्षण की देखभाल करने और मार्गदर्शन का आदेश करता है । राज्यों को सम्मिलित करना और परियोजना के क्षेत्र प्रशासन, पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करना और व्याघ्र आरक्षों में और उसके चारों ओर रहने वाले स्थानीय लोगों के हितों को सम्मिलित करते हुए भागीदारी आधार का निर्माण करना अत्याधिक महत्वपूर्ण है ।

15.6 स्थिति की अत्यावश्यकता पर विचार करते हुए व्याघ्र परियोजना को संशोधनों जैसे वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006, के माध्यम से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में समर्थकारी उपबंध करते हुए एक वैधानिक प्राधिकरण, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एन टी सी ए) में परिवर्तित किया गया है । यह, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए गए व्याघ्र कार्यबल की एक आवश्यक सिफारिश की पूर्ति करता है । एन टी सी ए, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रों और संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए सुदृढ़ संस्थागत तंत्रों का उपबंध करने के अतिरिक्त व्याघ्र आरक्ष के संरक्षण के लिए कानूनी आधार का उपबंध करते हुए व्याघ्रों को संरक्षित करने के लिए पर्यावरणीय और प्रशासनिक समस्याओं का निदान करेगा । प्राधिकरण, व्याघ्र आरक्षों के क्षेत्र निदेशकों के रूप में अच्छी सेवा का रिकार्ड रखने वाले अभिप्रेरित और प्रशिक्षित अधिकारियों के नियोजन के अतिरिक्त व्याघ्र संरक्षण के लिए मार्ग दर्शक सिद्धांतों को प्रवृत्त् करना भी सुनिश्चित करेगा और उनके अनुपालन का अनुश्रवण करेगा । यह समयबद्ध कर्मचारीवृंद विकास योजना के अतिरिक्त व्याघ्र आरक्षों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारीवृंद की क्षमता निर्माण को सुकर भी करेगा।

15.7 **'**व्याघ्र परियोजना**'** के तीन दशकों और केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के प्रयासों के होते हुए भी व्याघ्र, विश्व में सबसे संकटापन्न बड़े परभक्षी में से एक बने हुए हैं । कार्योत्पादक कारक बहुत से हैं और उनमें से उदाहरणतः कुछ चिन्हित महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख किया जा सकता है जैसे कृषि विस्तार और विकास के कारण प्राकृतिक वास का नुकसान, मानव - पशु संघर्षों के कारण लोगों द्वारा बदले की भावना से इनका मारा जाना और सबसे ऊपर अवैध अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्याघ्र के अंग के भागों और व्युत्पन्नों के लिए मांग । ये कारक वन्य में हमारी स्व–स्थाने आबादी का विनाश करते हैं । अतः विचारणाधीन, प्रजाति विनिर्दिष्ट और विविध रूप पारि–तंत्र परियोजना जैसे 'व्याघ्र परियोजना' का चालू रहना महत्वपूर्ण हो जाता है और इस स्थिति में व्याघ्रों और उसके प्राकृतिक वासों द्वारा सामना किए जा रहे समस्या का निदान करना कठिन हो जाता है ।

15.8 व्याघ्र संरक्षण में तीन मुख्य अनिवार्यतायें जो "परियोजना पद्धति" को आवश्यक बनाते हैं वह निम्नानुसार हैं:- व्याघ्र संरक्षण (व्याघ्र आरक्षों के भीतर और बाहर) के हित में प्राथमिक रूप से कार्यवाही करने के लिए संकेंद्रित दृष्टिकोण, स्थानीय पणधारी समुदायों का सहयोग प्राप्त करना और संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए आवश्यक अवसंरचना सुनिश्चित करना । इस तथ्य पर विचार करते हुए कि व्याघ्रों का संरक्षण राज्यों की सीमाएं पार करके पर्यावरणीय और राष्ट्रीय महत्व प्राप्त कर चुका है, केंद्रीय सरकार, वन्य जीव संरक्षण के लिए चल रही केंद्रीय रूप से प्रायोजित व्याघ्र परियोजना स्कीम और अन्य स्कीमों के माध्यम से राज्यों को वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करती है । वर्तमान में हमारे देश में 17 राज्यों के वनों में, व्याघ्र विद्यमान है, जिनमें उनके संरक्षित क्षेत्र और व्याघ्र आरक्ष भी सम्मिलित हैं ।

15.9 व्याघ्रों का छितराव और उनकी संख्या राज्यों में बहुत से पर्यावरणीय तथा मानवीय कारणों से भिन्न होता है जैसे वन का क्षेत्र, भू–भाग, प्राकृतिक भक्ष्य की उपलब्धता, शांत प्राकृतिक वास की विद्यमानता और संरक्षण के संबंध में किए गए प्रबंधीय प्रयासों की गुणवत्ता । चूंकि व्याघ्र पर्यावरणीय "खाद्य-श्रेणी" में ऊपर हैं, अतः उनके संरक्षण से पर्यावरण प्रणाली में रहने वाले सभी अन्य जातियों के पेड़-पौधे तथा पशुओं का समस्त प्रकार संरक्षण होता है । हम कह सकते हैं कि व्याघ्र पर्यावरणीय प्रणाली के दुरस्त होने के उपदर्शक हैं । एक स्वस्थ व्याघ्र की आबादी यह उपदर्शित करती है कि उनके प्राकृतिक वास में अन्य पर्यावरणीय घटक समान रूप से संतुलित है । चूंकि व्याघ्रों को बड़ी संख्या में भक्ष्य और अच्छे प्राकृतिक वास की आवश्यकता होती है, अतः इस प्रकार की परियोजना में किए गए विनिधान पूर्णतया न्यायोचित हैं ।

16. पुनरीक्षित केंद्रीय रूप से प्रायोजित व्याघ्र परियोजना स्कीम के अधीन चल रहे क्रियाकलाप और समर्थन दिए जाने वाले अतिरिक्त कार्य -

16.1 अवैध शिकार के विरुद्ध क्रियाकलाप (सतत्) (अवैध शिकार रोधी दस्ता और व्याघ्र संरक्षण बल के अभिनियोजन के लिये अनावर्ती और गश्त कैंप श्रमिकों और चौकीदारों हेतु मजदूरियों के लिए आवर्ती),-

व्याघ्र आरक्षों में अवैध शिकार रोधी प्रचालनों के क्षेत्र विनिर्दिष्ट हैं तथापि निम्नलिखित क्रियाकलाप, अन्य बातों के साथ साथ, व्याघ्र आरक्ष में संरक्षण नीति का भाग होंगे, अर्थात् :–

(i) विशेष व्याघ्र संरक्षण बल (एस टी पी एफ) के सृजन, सशस्त्रीकरण और परिनियोजन करने के लिए व्याघ्र आरक्षों को 100 प्रतिशत सहयोग प्रदान करना ।

(ii) अवैध शिकार रोधी दस्तों का परिनियोजन ।

(iii) विद्यमान गश्त कैंपों और चौकियों की स्थापना और उनका अनुरक्षण तथा गश्त के लिए कैंप श्रमिकों का परिनियोजन ।

(iv) दस्तों के लिए गश्ती कलैंडर विहित करने के अतिरिक्त संभावित अपराधियों की धर–पकड़ के लिए बेतार हस्त उपकरण और अन्य साज सामान सहित क्षेत्र कर्मचारीवृंद, श्रमिकों और पुलिस या एस ए एफ या पूर्व

सशस्त्र कार्मिकों या होमगार्डों से मिलकर बनने वाले दस्तों (व्याघ्र संरक्षण बल) का गठन करके वाहन पर गश्त का प्रबंध करना ।

(v) बेतार संजाल की स्थापना और अनुरक्षण ।

(vi) रेल स्टेशनों, स्थानीय रेलों, बस स्टापों, बसों, जलपान और अल्पाहार गृहों में स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त रूप से अचानक छापों का प्रबंध करना ।

(vii) भू-भाग और संरक्षित क्षेत्रों में पहुंच पर विचार करते हुए - "मानसून प्रचालन" के रूप में मानसून के दौरान विशेष विनिर्दिष्ट स्थल संरक्षण उपायों को सुनिश्चित करना ।

(viii) पूर्व सैन्य कार्मिकों और होमगार्डों का परिनियोजन ।

(ix) गश्त, जल निकासों, मानवयुक्त अवरोधों/फाटकों की निगरानी के लिए स्थानीय कार्यबल का परिनियोजन ।

(x) आयुध और गोला बारूद का उपापन ।

(xi) हाथी दस्ते का उपापन/अनुरक्षण ।

(xii) सूचना देने वालों को पुरस्कार ।

(xiii) न्यायालय के मामलों में बचाव के लिए विधिक सहायता ।

(xiv) वाहनों, नावों का उपापन ।

(xv) क्षेत्रोपकरण (फील्ड गेयर), रात्रि दर्शन युक्ति अथवा उपकरण का उपापन ।

16.2 व्याघ्र आरक्षों (सतत्) के भीतर अवसरंचना को सुदृढ़ किया जाना (नए सिविल कार्यों के लिए अनावर्ती और अनुरक्षण के लिए आवर्ती)

निम्नलिखित क्रियाकलाप, अन्य बातों के साथ व्याघ्र आरक्षों में अवसंरचना को पुनःप्रवृत्त करने का भाग होंगे (जिसमें नए व्याघ्र आरक्षों को समर्थन सम्मिलित हैं):

(i) सिविल कार्य (कर्मचारीवृंद आवास, परिवार होस्टल, कार्यालय सुधार, गश्ती शिविर अथवा पैट्रोलिंग कैंप, गृह व्यवस्था भवन, संग्रहालय, पुलिया) ।

(ii) सड़क संजाल का अनुरक्षण, सृजन और उन्नयन ।

(iii) बेतार टावर का अनुरक्षण और सृजन ।

(iv) अग्नि निगरानी टावर का अनुरक्षण और सृजन ।

(v) पुलों, बांधों, ऐनीकटों का अनुरक्षण और सृजन ।

(vi) अग्नि रेखा और अग्नि अवरोध का अनुरक्षण और सृजन ।

(vii) भूमिगत तालाबों का अनुरक्षण और सृजन ।

(viii) वाहनों का (जिप्सी, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर इत्यादि) उपापन और अनुरक्षण ।

(ix) प्राकृतिक वास सुधार कार्य ।

(x) हार्डवेयर, सौफ्टवेयर और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) का उपापन।

(xi) कंपास, दूरीमापक, भौगोलिक स्थापन प्रणाली (जीपीएस), कैमरा ट्रैपों का उपापन ।

(xii) प्रबंधन योजना के लिए उपग्रह प्रतिबिंबों का उपापन ।

(xiii) प्रबंधन योजना के लिए नक्शा अंकरूपण सुविधा ।

(xiv) एम-एसटीआर आई पी ई एस अनुश्रवण ।

(xv) ई - निगरानी अथवा इलेक्ट्रॉनिक आवेक्षण ।

16.3 प्राकृतिक वास सुधार और जल विकास (सतत्) (आवर्ती)

इनमें, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेंगे: अपतृण उन्मूलन, घास के मैदानों में उगने वाले समूहचर पौधों को हटाना, घास का सुधार, जलरोधी या जलसंचयी संरचनाएं और इसी प्रकार की अन्य । ये पहलें वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक वास में चारा और चरने की व्यवस्था में वृद्धि करेंगी ।

16.4 मानव पशु संघर्ष का निदान (वन्य प्राणियों के कारण मानव वधों, मॉसभक्षियों द्वारा पशुधन क्षति, वन्य खुरदारों पशुओं द्वारा फसल की क्षति के लिए समय से, समान प्रतिकर सुनिश्चित करना) (अनावर्ती) (फसल क्षति हेतु प्रतिकर नया घटक है)

16.4.1 इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-

(i) वन्य प्राणियों के कारण पशुधन क्षति, मानव वध और फसल क्षति* के लिए प्रतिकर का संदाय ।
(ii) फसल संरक्षा संरचना का सृजन ।
(iii) समस्यात्मक प्राणियों को पकड़ने के लिए फंदे, पिजड़ों का उपापन/लगाना ।
(iv) प्रशांतक उपस्कर, बचाव वाहन और औषधि का उपापन ।

16.4.2 उपरोक्त पहलें "उद्यान-लोक" द्वारा सामना की जा रही परेशानियों से बचने और उसके निराकरण के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं ।

(* राज्य में विद्यमान सन्नियमों के अनुसार वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, 2006 में यथासंशोधित, की धारा 38फ में यथा स्पष्टीकृत अंकित मध्यवर्ती क्षेत्र में समर्थित होगी ।)

16.5 बफर/सीमावर्ती क्षेत्रों में सह अस्तित्व कार्यसूची

व्याघ्र आरक्षिति के चारों ओर सीमावर्ती क्षेत्रों का गलियारे के रूप में महत्त्व है और उनकी पारिस्थितिकीय वहनीयता इस क्षेत्र को संसाधनों के अत्यधिक प्रयोग और अनुचित भूमि प्रयोग के कारण पारिस्थितिकीय नितल में परिवर्तित होने से रोकने हेतु महत्वपूर्ण है। यह आह्वान है कि ऐसे सीमावर्ती क्षेत्रों का व्याघ्र आरक्षिति के चारो ओर बफर क्षेत्र के रूप में निरूपण किया जाये जिससे निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके :

(क) वनों पर उनकी निर्भरता को कम करने के लिए स्थानीय पणधारी को पारिस्थितिकीय रूप से साध्य आजीविका विकल्पों का उपबंध करना ।

(ख) क्रोड क्षेत्रों से निकलने वाले वन्य पशुओं को प्राकृत्वास प्रतिपूर्ति हेतु स्वास्थ्यकर निवेश के माध्यम से स्थानीय व्यक्तियों की भागीदारी द्वारा वन क्षेत्र को संरक्षित करना ।

10 कि.मी. की त्रैज्यिक दूरी तक के व्याघ्र आरक्षितियों के बाहरी सीमांत क्षेत्र की वन आच्छादित प्रास्थिति का तुलनात्मक निर्धारण भारतीय वन सर्वेक्षण के सहयोग से किया गया है । राज्यों से व्याघ्र आरक्षितियों के भीतरी जोन के चारों ओर के सीमांत या मध्यवर्ती क्षेत्र का रेखांकन करने और स्थानीय लोगों से संबंधित आजीविका के मुद्दों को देखते हुए वन्य जीव संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38फ के अधीन यथा अपेक्षित व्याघ्र संरक्षण योजना प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है ।

16.6 व्याघ्र आरक्षितियों के आसपास रहने वाले परम्परागत आखेट करने वाली जनजातियों के लिए पुनर्वास पैकेज (नवीन क्रियाकलाप) (अनावर्ती)

व्याघ्र आरक्षितियों और व्याघ्र गलियारों के आसपास रहने वाली अधिसूचना से पृथक् की गई जनजातियों और परम्परागत आखेट में लगी हुई जनजातियों के लिए एक पुनर्वास और विकास कार्यक्रम को अविलम्ब आरम्भ करने की आवश्यकता है । वन्य पशुओं के परम्परागत आखेट में अधिसूचना से निकाली गई निम्नलिखित जनजातियां और समुदाय सम्मिलित हैं : बहेलिया, अम्बालगार, बदाक, मोंगिया, बावरिया, मोंगलिया, पारधी, बोया, ककाद, करवाल नट, निरशिकारी, पिचारी, वालयार, येनादि, चकमा, मिजो, ब्रू, सोलुंग और न्यिशी । जबकि ये सूची सुविस्तृत नहीं है, लगभग 5000 ऐसे परिवारों को, योजना अवधि के दौरान कल्याण कार्यक्रम (एन.टी.सी.ए. पहल का आरंभिक भाग) के अधीन सम्मिलित किए जाने की अपेक्षा की जाती है । किसी विनिर्दिष्ट स्थल पर जीविका विकल्पों के साथ परामर्शात्मक रीति में पुर्नवास और कल्याण पैकेज को विकसित किया जाना चाहिए, जिसमें शामिल होगा : ऐसे व्यक्तियों की मजदूरी, जो वन्य जीवों के संरक्षण हेतु पैदल गश्त करने के लिए अभिनियोजित है, उन्हे सिंचाई के साथ कृषि भूमि उपलब्ध करवाने, आधारभूत स्वास्थ्य देखभाल, आवासन और संबंधित सामुदायिक कल्याण निवेश और आधारभूत शिक्षा सुविधाएं । कार्यक्रम की संरचना के दौरान, अधिसूचना से पृथक् की गई जनजातियों को विस्थापित करने के लिए मुक्ति सेना द्वारा, पूर्वाजित अनुभव पर, निष्पक्ष रूप से विचार किया जाना अपेक्षित है ।

16.7 अनुसंधान और क्षेत्रीय उपस्कर (सतत्) (अनावर्ती)

व्याघ्र कृतिक बल/व्याघ्र कार्य बल द्वारा अनुमोदित नवीन प्रणाली का उपयोग करते हुए अखिल भारतीय व्याघ्र ऑकलन से क्षेत्रीय इकाइयों के लिए स्थायी अनुश्रवण नयाचार या संलेख की परिणति हुई है । नवीन ऑकलन प्रक्रिया में डाटा संग्रहण के प्रथम चरण (फेज-1) के लिए प्रयुक्त रूप विधान और नयाचार/संलेख को दिन प्रतिदिन के क्षेत्रीय अनुश्रवण में अंगीकृत किया जाना चाहिए । यह और कि क्षेत्रोन्मुखी अनुसंधान विकसित करने और भौगोलिक स्थापन प्रणाली (ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम), कैमरा ट्रैप, रात्रि दर्शन युक्ति या उपकरण, दूरी मापक तथा हार्डवेयर और साफ्टवेयर सहित उससे संबंधित सुविधाओं से कर्मचारीवृंद को सुसज्जित करने के लिए सहायता उपलब्ध करवानी होगी । जैसा कि राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की प्रथम बैठक में विनिश्चय किया गया था, व्याघ्र आरक्षिति की भौगोलिक सूचना प्रणाली भूसंपत्ति में परिष्कृत प्रक्रिया का उपयोग करते हुए वन्य पशुओं का प्रति दिन अनुश्रवण करना अपेक्षित है जिससे "पूर्वानुमान लगाना" अर्थात् वन्य जीव संरक्षण सुलभ हो जाएगा ।

16.8 कर्मचारीवृंद का विकास और सामर्थ्य निर्माण (सतत्) (अनावर्ती)

इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा :

(i) सामर्थ्य निर्माण और प्रशिक्षण ।

(ii) परियोजना भत्ता और विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध करवाना ।

(iii) भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) के उपयोग, शिकार रोकने वाली संक्रियाओं में विशिष्ट प्रशिक्षण ।

(iv) विधिशास्त्र और वन्य जीव विधि चिकित्साशास्त्र संबंधी विशिष्ट प्रशिक्षण ।

(v) अन्य आरक्षितियों में उत्तम पद्धतियों का आंकलन करने हेतु अध्ययन दौरे ।

(vi) विकीर्णन कार्यशालाएं ।

(vii) पार्क निर्वचन के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण ।

(viii) योजना प्रबंधन में विशिष्ट प्रशिक्षण ।

क्षेत्रीय कर्मचारीवृंद की कौशलवृद्धि के लिए उपर्युक्त उपादान अत्यन्त महत्वपूर्ण है । अपराध का पता लगाने और संबंधित कौशलों के विशिष्ट प्रशिक्षण के अभाव में अवैध शिकार के कई दृष्टांत घटित हुए हैं ।

16.9 वन्य जीवों के लिए अनतिक्रांत स्थानों का विनिश्चय और समय सीमा के भीतर व्याघ्र आरक्षिति में क्रोड अथवा क्रांतिक व्याघ्र प्राकृत्वास से ग्राम वासियों का पुनः स्थान निर्धारण और अधिकारों का परिनिर्धारण (अधिकारों का परिनिर्धारण एक नवीन क्रियाकलाप है) (अनावर्ती)

16.9.1 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में यह अपेक्षित है कि व्याघ्र आरक्षितियों तथा संरक्षित क्षेत्रों में क्रोड अथवा क्रांतिक व्याघ्र प्राकृत्वास और वन्यजीव प्राकृत्वासों के भीतर वन क्षेत्रों में मान्यताप्राप्त लोगों (अनुसूचित जातियों और अन्य परम्परागत वन निवासी) के अधिकार व्याघ्र तथा वन्य पशुओं के लिए अनतिक्रांत स्थान उपलब्ध करवाने के लिए उपान्तरित और परिनिर्धारित किया जाए, उसके लिए प्रतिकर (वर्तमान में केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अधीन दिए गए स्थापन निर्धारण पैकेज के अतिरिक्त अधिकारों का परिनिर्धारण) का संदाय अपेक्षित है । वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का अध्याय 4 (धारा 24), धारा 18 (किसी अभयारण्य के गठन के लिए) या धारा 35 (किसी राष्ट्रीय उद्यानों के गठन के लिए) के अधीन, राज्य सरकार द्वारा घोषित भूमि में या उसके अधिकारों के अर्जन के बारे में उपबंधित है । उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) कलक्टर को ऐसी भूमि या अधिकार अर्जित करने के लिए प्राधिकृत करती है । अतः लोगों की स्थावर संपत्ति के लिए प्रतिकर का संदाय, उनके ऐसे अधिकारों का, जो एक वैधानिक अपेक्षा है, उपांतरण या परिनिर्धारण का भाग होगा ।

16.9.2 व्याघ्र पारिस्थितिकीय विज्ञान पर उपलब्ध अनुसंधान आंकड़ों के सतत् अध्ययन और विश्लेषण से उपदर्शित होता है कि बाघिनों (मादा बाघ) की न्यूनतम संख्या जो प्रजनन अवस्था में हैं एवं जिनका अनुरक्षण करना आवश्यक है, 80-100 व्याघ्रों की जीवनक्षम संख्या (क्रोड क्षेत्र मे या उसके आसपास) के लिए 800-1000 वर्ग किलो मीटर स्थान अपेक्षित है । व्याघ्र की "सर्वाच्छादित प्रजाति" होने के कारण इससे अन्य वन्य पशुओं (सह परभक्षी, भक्ष्य) और जंगल की जीव्य संरक्षा भी सुनिश्चित हो जाएगी जिसके द्वारा संपूर्ण क्षेत्र या प्राकृत्वास की पारिस्थितिकीय जीव्यता सुनिश्चित होगी । अतः, व्याघ्र और अन्य वन्य पशुओं की मूल संरक्षा को जीवित रखने के लिए व्याघ्र आरक्षितियों के क्रोड क्षेत्रों को अनतिक्रांत बनाए रखने की पारिस्थितिकीय अनिवार्यता हो जाती है।

16.9.3 व्यावसायिक अभिकरण के सिफारिशों पर आधारित ग्राम पुनः परिनिर्धारण और पुनर्वास के लिए निम्नलिखित विकल्पों और मापदंडों के साथ नवीन पैकेज का प्रस्ताव किया गया जिसमें "राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनःनिर्धारण नीति, 2007" का पर्याप्त रूप से समावेश है, जिस पर विचार करते हुए वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का पुनः स्थापन करने में कठिनाइयां और अत्यावश्यकतायें अंतर्ग्रस्त है ।

16.9.4 प्रस्तावित पैकेज में दो विकल्प है, अर्थात् :--

विकल्प 1—किसी परिवार द्वारा इस विकल्प का चुनाव करने की दशा में उस परिवार का वन विभाग द्वारा कोई पुनर्वास और पुनःनिर्धारण प्रक्रिया को अंतर्ग्रस्त किए बगैर, संपूर्ण पैकेज राशि (प्रति परिवार 10 लाख रुपए) का संदाय ।

विकल्प 2--वन विभाग द्वारा संरक्षित क्षेत्र और व्याघ्र आरक्षिति से गांव का पुनःनिर्धारण और पुनर्वास करना ।

(i) विकल्प 1 की दशा में, अनुश्रवण करने की प्रक्रिया में संबद्ध जिले (जिलों) के जिला मजिस्ट्रेट की सम्मिलितता को सुनिश्चित करना होगा, जिससे ग्रामवासी, उन्हें उपलब्ध करवाई गई पैकेज की रकम से स्वयं का पुनर्वास कर सकें । इस संबंध में, उत्पन्न ब्याज के माध्यम से आय अभिप्राप्त करने के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में हितधारी के नाम की रकम के पर्याप्त भाग को जमा करते समय बाह्य अभिकरणों द्वारा आश्रय हेतु अधिमानतः संचालित किए जाने वाले तंत्र को भी सुनिश्चित करना होगा ।

(ii) विकल्प 2 की दशा में, प्रति परिवार दस लाख रुपए की दर से निम्नलिखित पैकेज (प्रति परिवार) प्रस्तावित है, अर्थात् :--

(क)	कृषि भूमि उपापन (2 हेक्टेयर) और विकास	:	कुल पैकेज का 35 प्रतिशत
(ख)	अधिकारों का परिनिर्धारण	:	कुल पैकेज का 30 प्रतिशत
(ग)	वास स्थान भूमि और गृह सन्निर्माण	:	कुल पैकेज का 20 प्रतिशत

(घ)	प्रोत्साहन	:	कुल पैकेज का 5 प्रतिशत
(ङ)	परिवार द्वारा संचित सामुदायिक सुविधा (पहुंच मार्ग, सिंचाई, पेयजल, स्वच्छता, विद्युत, दूर-संचार, सामुदायिक केंद्र, प्रार्थना के लिए धार्मिक स्थान, कब्रिस्तान और अन्त्येष्टि स्थल)	:	कुल पैकेज का 10 प्रतिशत

(iii) पुनः स्थापन प्रक्रिया का निम्नलिखित दो समितियों द्वारा अनुश्रवण और कार्यान्वयन किया जाएगा, अर्थात् :

निम्नलिखित से मिलकर बनी (राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति)

(क)	राज्य का मुख्य सचिव	-	अध्यक्ष
(ख)	संबंधित विभागों के सचिव	-	सदस्य
(ग)	राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रमुख वन संरक्षक	-	सदस्य
(घ)	संबद्ध व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान के गैर-शासकीय सदस्य	-	सदस्य
(ङ)	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	-	सदस्य-सचिव

निम्नलिखित से मिलकर बनी अन्य कार्यक्षेत्रों/सेक्टरों के अभिसरण को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति

(क)	जिला कलेक्टर	-	अध्यक्ष
(ख)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी0ई0ओ0)	-	सदस्य
(ग)	निम्नलिखित से शासकीय प्रतिनिधि : लोक निर्माण विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग, जनजातीय विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, विद्युत और सिंचाई विभाग	-	सदस्य
(घ)	व्याघ्र आरक्ष या संरक्षित क्षेत्र का उप निदेशक	-	सदस्य-सचिव

(iv) उपर्युक्त लागत मापदंड, राज्य और स्थान विनिर्दिष्ट परिस्थिति में लचीलापन लाने के लिए निर्देशात्मक प्रकृति के है और उन्हें क्रमशः राज्य सरकारों द्वारा स्थान विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार अंतर अवयव और अंतर परिवार समायोजन को अनुज्ञात करने के लिए उपांतरित किया जा सकेगा ।

(v) पुनर्वासित ग्राम को जिला स्तरीय स्कीमों को एक साथ मिलाकर पारि–विकास और स्थानीय विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा ।

(vi) पुनर्वासन प्रक्रिया में अंतर्वलित श्रमोन्मुख कार्यों को अधिमानतः उन ग्रामीणों के माध्यम से, जिन्हें पुनर्वासित किया जा रहा है, कार्यान्वित किया जाना होगा जिससे कि वे अपने समाधानप्रद रूप में क्षेत्रीय कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के अतिरिक्त उससे फायदे प्राप्त कर सकें ।

(vii) यदि पुनर्व्यवस्थापन किसी वन भूमि पर किया गया है तो नई बस्ती ग्राम स्तरीय समिति और ग्राम सभाओं के माध्यम से अपने सहभावी प्रयोग के लिए वन्य संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए पात्र होगी ।

(viii) जिला प्रशासन पुनर्वासित स्थल के समीप उचित कीमत दुकान, शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्र को सुलभ कराएगा ।

(ix) पुनर्वासन के पश्चात् "आश्रयदान" को केंद्रीय सहायता तथा जिला प्रशासन से जुड़ी स्कीमों के माध्यम से सतत् पारि–विकासात्मक निवेशों के साथ वन विभाग के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा । इस प्रयास में सक्षम स्वतंत्र अभिकरणों की सहायता, जहां कहीं उपलब्ध हो, ली जा सकती है ।

(x) पुनर्वासित ग्रामीणों को संरक्षित क्षेत्र से उद्भूत आजीविका के विकल्पों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी ।

(xi) यदि पुनर्वासन की लागत, जिसके अंतर्गत अधिकारों का परिनिर्धारण भी है, प्रति परिवार दस लाख रुपए से अधिक होती है तो राज्य सरकार अतिरिक्त लागत को वहन करेगी ।

(xii) पुनर्वासन प्रक्रिया एक समय सीमारहित प्रक्रिया होगी, क्योंकि पुनर्वासन प्रक्रिया की प्रगति राज्य के कार्यपालन पर निर्भर करेगी ।

16.10 व्याघ्र वाले वनों में वन्य जीव समुत्थानों का मुख्य प्रवाह और पुनर्नवीकृत युक्ति के माध्यम से, स्थानीय लोगों को शामिल करके, प्राकृतिक वास के विखंडीकरण को रोकने के लिए गलियारे के संरक्षण को आगे बढ़ाना (नवीन क्रियाकलाप) (अनावर्ती)

16.10.1 व्याघ्र आरक्षितियों या संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने वाले वनों में अधिकांश राज्यों में व्याघ्र और अन्य वन्य जीव हैं। इस समय, उन क्षेत्रों में, जहां पुनर्नवीकर और संरक्षात्मक निवेश अपेक्षित हैं, वन्यजीव समुत्थानों की ओर ध्यान देने की कोई स्कीम नहीं है । वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में ऐसे गलियारे क्षेत्रों की ओर ध्यान देने का उपबंध किया गया है । इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अंतर्वलित हैं, अर्थात् :--

(i) मानव–पशु संघर्ष निवारण ।

(ii) समस्यात्मक और विपथगामी वन्य पशुओं का अभिग्रहण ।

(iii) वन्य प्राणियों का अनुश्रवण ।

(iv) अवैध शिकार प्रतिरोधी प्रचालन ।

(v) प्राकृतिक वास सुधार संबंधी उपाय ।

16.10.2 राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और व्याघ्र आरक्षितियों के साथ के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तृणभक्षी वन्यजीवों द्वारा, जैसे नीलगाय, कृष्ण मृग, वन्य शूकर और हाथियों द्वारा कारित नुकसान के कारण उनकी फसलों को निरंतर विनाश का सामना करना पड़ता है । कई स्थानों पर तो यह स्थिति विकट हो जाती है, क्योंकि लोग वर्ष में एक बार होने वाली वर्षा से सिंचित फसल, जिसकी पैदावार बहुत कम है, पर ही निर्भर करते हैं । व्याघ्र आरक्षितियों और संरक्षित क्षेत्रों के आस–पास मनुष्य-पशु के बीच संघर्ष के कतिपय कारणों मे से यह एक मुख्य कारण है और वन्य जीव संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों के जिस समर्थन की अत्यधिक जरूरत है वह पाने में यह गंभीर रूप से बाधक है ।

16.10.3 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11 के अधीन राज्य के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक और उनकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी प्राण और संपत्ति, जिसके अंतर्गत खड़ी फसलें भी हैं, को नुकसान पहुंचाने वाले वन्य जीवों को मारने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं, किंतु ग्रामीण लोग इन पशुओं के साथ जुड़ी धार्मिक भावनाओं के कारण ऐसे वध किए जाने के पक्ष में प्रायः नहीं होते है। ऐसे वन्य जीवों को फंदे में फंसाना और उनका स्थानान्तरण, जिससे नाशकजीव मूल्य बढ़ता है, न तो साध्य है और न ही खर्च की दृष्टि से सही है । अतः, इस स्थिति में इस आवर्ती हानि से व्याघ्र आरक्षितियों के आसपास रहने वाले पणधारी लोगों का पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति किया जाना समय की मांग है । राज्य के वर्तमान मानदंडों के अनुसार, निरूपित बफर क्षेत्र में, जैसा कि 2006 में यथा संशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 फ में स्पष्ट किया गया है, इस घटक हेतु सहायता की जायगी।

16.11 वन्य जीव संरक्षण के हित में रक्षोपाय और प्रति संगत उपाय (नवीन क्रियाकलाप) (अनावर्ती)

अनेक व्याघ्र आरक्षितियों पर अत्यधिक प्रयुक्त अवसंरचना जैसे सड़कें, रेलपथ और अन्यों के कारण प्रभाव पड़ा है । अनेक आरक्षितियों से होकर जाने वाली उच्च प्रसरणशील विद्युत लाइनों के कारण अवैध शिकारियों द्वारा वन्य जीवों को विद्युत शक्ति से मारने के कारण उनकी मृत्यु हुई है । इन वन्य जीवों के हित में अनेक रक्षोपाय और प्रति संगत उपाय अपेक्षित है, जिन्हें विनिर्दिष्ट स्थल आधार पर सहयोग दिया जाएगा ।

16.12 आधारभूत अवसंरचना/परामर्श हेतु व्याघ्र परियोजनाबद्ध मुख्यालय व्यय, विशेषज्ञ दलों द्वारा क्षेत्र दौरा, अखिल भारतीय व्याघ्र ऑकलन/व्याघ्रों का सतत् अनुश्रवण (चतुर्थ चरण या फेस-4), व्याघ्र आरक्षितियों के बाहर

व्याघ्रों का राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण अनुदान के माध्यम से अनुश्रवण हेतु सहायता, राष्ट्रीय व्याघ्र कैमरा ट्रैप फोटो डाटाबेस संग्रह का विकास करने, अनुश्रवण प्रयोगशाला की स्थापना के अतिरिक्त एन.टी.सी.ए. के केंद्र तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के सुढ़ढ़ीकरण के लिए समर्थन का उपबंध करना (अनावर्ती)

16.13 व्याघ्र आरक्षितियों का स्वतंत्र अनुश्रवण और मूल्यांकन (सतत्) (अनावर्ती)

व्याघ्र आरक्षितियों का स्वतंत्र अनुश्रवण प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आई यू सी एन) प्रारूप के आधार पर विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा लगभग 45 मापदंडों का उपयोग करके किया गया था । अनुश्रवण रिपोर्टों का प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आई यू सी एन) द्वारा गहन पुनर्वलोकन किया गया था और उसे संसद के समक्ष रखा गया था । पुनः एक स्वतंत्र प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन वर्ष 2010-2011 में किया गया था, जिसे पुनः पश्चात्वर्ती वर्षों में दोहराया जाएगा ।

16.14 नये व्याघ्र आरक्षितियों की स्थापना और विकास (नवीन क्रियाकलाप) (आवर्ती और अनावर्ती, जैसा विभिन्न क्रियाकलापों में उपदर्शित किया गया है)

16.14.1 'व्याघ्र परियोजना' एक पुनीत पारि–तंत्र दृष्टिकोण है । यद्यपि, मुख्य संकेन्द्र प्रभाव प्रमुख अथवा सर्वोत्कृष्ट प्रजाति 'व्याघ्र' पर है, तथापि, यह परियोजना खाद्य श्रृंखला में अन्य पोषणात्मक स्तरों को उन्नत करके पारिस्थितिकीय प्रणाली के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए है । व्याघ्र, जो कि पारिस्थितिकीय खाद्य श्रृंखला के शीर्ष बिंदु पर है, की पारिस्थितिक रूप से जीवनक्षम संख्या, सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया जाना अनिवार्य है । विकसित देशों में वनों पर लोगों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत इसका कोई अपवाद नहीं है । निष्कर्ष रूप में, व्याघ्र का प्राकृतिक वास कई स्थानों पर अभिखंडित और क्षीण हो गया है, जिसके लिए एक संकेंद्रित संरक्षण दृष्टिकोण की जरूरत है । हमारे संरक्षित क्षेत्र/व्याघ्र आरक्षितियां अन्य उपयोग प्रतिमानों के सागर में 'द्वीपों' के सदृश है । 'द्वीपीय जैव भौगोलिक दृष्टि' से, आनुभाविक साक्ष्यों से यह उपदर्शित होता है कि 'विच्छिन्न' आरक्षितियां 'पारिस्थितिकीय पृथ्कीकरण' के कारण अपनी प्रजातियों को बहुत तेजी से खो देती हैं । इसके अतिरिक्त, विखंडीकरण के अलावा यह स्थिति जैविक दाब, विस्थापित भक्ष्य-परभक्षी अनुपात, संरक्षा के वांछित स्तर को सुनिश्चित करने के प्रभावी उपायों के अभाव और समीप के पणधारियों के लिए अपनी निर्भरता वन संसाधनों पर कम करने के लिए पारि विकासबद्ध उपायों के अभाव के कारण अवश्रेणीकृत वन आच्छादन से अति निकृष्ट हो गई है । 'व्याघ्र परियोजना' उपर्युक्त स्थिति से निपटने के लिए दूरगामी रूप से सहायक सिद्ध होगी । व्याघ्र परियोजना की संचालन समिति ने तारीख 23 जनवरी, 2003 को हुई अपनी बैठक में नए व्याघ्र आरक्षों/आरक्षितियों को सम्मिलित किए जाने की सिफारिश की थी जिससे 'व्याघ्र परियोजना' के विद्यमान 37761 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र को दसवीं योजना अवधि के दौरान बढ़ाकर 50,000 वर्ग किलोमीटर किया जा सके ।

16.14.2 निम्नलिखित व्याघ्र आरक्षितियों को घोषित किए जाने के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है :

क्रम सं0	व्याघ्र आरक्षिति का नाम	राज्य
1.	रातापानी	मध्य प्रदेश
2.	सुनाबेडा	ओडिशा
3.	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश
4.	मुकुन्दारा पहाड़ियॉ (जिसके अंतर्गत दर्रा, जवाहर सागर और चंबल वन्य जीव अभयारण्य भी हैं)	राजस्थान
5.	सत्यमंगलम्	तमिल नाडु

16.14.3 इसके अतिरिक्त, राज्यों को राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा व्याघ्र आरक्षितियों के रूप में सृजन किए जाने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों का सुझाव दिया गया है, जो निम्नानुसार है :

क्रम सं0	नाम	राज्य
1.	नागजीरा	महाराष्ट्र
2.	बोर	महाराष्ट्र
3.	सुहेलवा	उत्तर प्रदेश
4.	गुरू घासीदास	छत्तीसगढ़
5.	महदेई	गोवा
6.	श्रीविल्लीपुथुर ग्रिजिल्ड विशाल गिलहरी/मेगामलाई वन्यजीव अभयारण्य / वरूशनाडु वैली	तमिल नाडु

16.14.4 अंतिम अनुमोदन कुद्रेमुख व्याघ्र आरक्षिति (कर्नाटक) के लिए प्रदान कर दिया गया है ।

16.15 व्याघ्र **परियोजना के कर्मचारीवृंद (सभी प्रवर्ग) को परियोजना भत्ते का उपबंध (अनुसचिवीय कर्मचारीवृंद को परियोजना भत्ते का उपबंध किया जाना एक नया उपादान है) (अनावर्ती)**

16.15.1 व्याघ्र आरक्षितियों के अधिकारी और कर्मचारीवृंद, व्यय वित्त समिति और आर्थिक कार्य संबधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा नौंवी योजना अवधि के दौरान, यथा अनुमोदित परियोजना भत्ता नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार प्राप्त करते हैं :

(क) क्षेत्र निदेशक	-@ 1000 रुपये प्रतिमास
(ख) उपनिदेशक	-@ 750 रुपए प्रतिमास
(ग) सहायक निदेशक/ शोध अधिकारी/पशु चिकित्सा अधिकारी/ समतुल्य रैंक	-@ 650 रुपए प्रतिमास
(घ) वन रेंजर और समतुल्य रैंक	-@ 500 रुपए प्रतिमास
(ङ) वन पाल और समतुल्य रैंक	-@ 450 रुपए प्रतिमास
(च) वनरक्षक और समतुल्य रैंक	-@ 350 रुपए प्रतिमास

16.15.2 व्याघ्र आरक्षितियों के कार्यालय दूरस्थ स्थानों पर अवस्थित हैं। अधिकांश सचिवीय कर्मचारीवृंद कहीं नियमित वन कार्यालयों में तैनाती को वरीयता देते हैं, जिसके परिणास्वरूप व्याघ्र परियोजना कार्यालयों में नियमित कार्यालय कार्यकरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता हैं। राजस्व सेक्टर से विभिन्न चालू पूरक स्कीमों को व्याघ्र आरक्षों की पारिस्थितिकी विकास योजनाओं के एक भाग के रूप में परम्परानुबंधन किया जाता है। ऐसी सतत् स्कीम कार्यालय के कार्य को बढ़ाती हैं और इस कारण से समर्थ सचिवीय समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है । तथापि, अच्छी योग्यताओं को आकर्षित करने के लिए यह प्रस्ताव है कि नीचे प्रदर्शित रूप में वन आरक्षितियों के कार्यालय में कार्य करने के लिए सचिवीय कर्मचारीवृंद को परियोजना भत्ता दिया जाये।

वर्ग-2	500 रुपये (प्रति कर्मचारी प्रतिमास)
वर्ग-3	350 रुपये (प्रति कर्मचारी प्रतिमास)
वर्ग-4	200 रुपये (प्रति कर्मचारी प्रतिमास)

16.15.3 उपर्युक्त दरें वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से 1 सितंबर, 2008 से प्रभावी होते हुये पात्र कर्मचारियों की विद्यमान प्रवर्गों के लिए दुगुनी कर दी गयी है।

16.16 कर्मचारीवृंद कल्याणकारी क्रियाकलाप (चालू) (अनावर्ती),--

व्याघ्र आरक्षितियों के क्षेत्र कर्मचारीवृंद दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों में सेवा करते हैं जहॉ बहुधा जंगली जानवरों से आकस्मिक मुठभेड़ की जोखिम का सामना करने के अतिरिक्त स्थानिक बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू, जल जनित

संक्रमण की भी संभावना रहती है । इसके अतिरिक्त सामान्यतया ऐसी तैनाती गैर पारिवारिक तैनाती होती हैं और अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों को किसी निकट के गांव या नगर में जहां आधारभूत शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं होती हैं, अपने परिवार के भरण-पोषण की लागत को भी वहन करना पड़ता है । यहां यह कहना प्रासंगिक है कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में आवास कदाचित ही सहजता से उपलब्ध होते हैं । इसके अतिरिक्त प्रादेशिक वन प्रभागों अथवा मंडलों में कार्यरत अपने समकक्षियों की तुलना में व्याघ्र आरक्षितियों में कार्यरत कर्मचारीवृंद को, सीमावर्ती क्षेत्रों में अवस्थित स्थानीय समुदाय की वन संसाधनों तक स्वतंत्र अभिगम्यता पर रोक के कारण, उनका कोपभाजन बनना पड़ता है।

इस प्रकार किसी संरक्षित क्षेत्र या व्याघ्र आरक्षिति में अग्रिम पंक्ति के किसी क्षेत्र कार्मिक की भूमिका नियमित वन मंडल अथवा प्रभाग में अपने समकक्षी से भिन्न है । प्रबन्धन के विरूद्ध दुर्भावना पालने वालें लोगों द्वारा व्याघ्र आरक्षों एवं संरक्षित क्षेत्रों के कर्मचारीवृंद पर शारीरिक हमले ज्यादा आम हैं जिसके फलस्वरूप बहुधा आकस्मिक दुर्घटनायें घटित हो जाती हैं। इसलिए, कार्यकारी आयु समुह में अच्छी योग्यताओं को आकर्षित करने के लिए कर्मचारीवृंद के कल्याण के लिए सुविधाओं का उपबंध करना अनिवार्य है । योजना अवधि के दौरान कर्मचारीवृंद के कल्याण हेतु निवेश जैसे अग्रिम पंक्ति के कर्मचारीवृंदों के बच्चों के लिए निकटवर्ती नगरों या ग्रामों में आवासीय व्यवस्था, मिट्टी के तेल की आपूर्ति, औषधि, क्षेत्रकिट, मच्छरदानी, टार्च और ऐसे अन्य समर्थकारक सामाग्रियों हेतु सहयोग किया जायेगा।

16.17 व्याघ्र आरक्षिति में पर्यटन/ पारि पर्यटन को प्रोत्साहन (नए क्रियाकलाप) (अनावर्ती),--

व्याघ्र आरक्षिति के संदर्भ में 'पर्यटन' से "पारि पर्यटन" अपेक्षित है, जिसे पारिस्थितिकीय रूप से वहनीय प्राकृत्–पर्यटन होने की आवश्यकता है । यह पर्यटन उद्योग के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभर रहा है। व्याघ्र आरक्षों के सीमांत क्षेत्र में वास कर रहे स्थानीय, आश्रित समुदाय के जीवन स्तर में सुधार हेतु सामुदायिक प्रयास आधारित, वहनीय एवं न्यायसंगत व निष्पक्ष होने के कारण यह 'सामूहिक पर्यटन' से भिन्न है। बफर क्षेत्रों पर संकेन्द्रन सहित, वहन क्षमता के अनुसार विनियमन के अधीन, व्याघ्र संरक्षण योजना के भाग के रूप में, व्याघ्र आरक्ष विनिर्दिष्ट पर्यटन योजना के सादृश्य आश्रित स्थानीय समुदाय को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से पारिपर्यटन को बढ़ावा देना 'व्याघ्र परियोजना' के अंतर्गत प्रस्तावित है। चूंकि राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों, जो अब क्रोड एवं कांतिक व्याघ्र प्राकृत्वास के रूप में नामित है, में पर्यटन होता रहा है, स्थल विनिर्दिष्ट वहन क्षमता के अधीन उक्त क्षेत्रों में विनियमित निम्नसंघाती पर्यटन (अभ्यागमन) की अनुमति दी जायेगी। तथापि, कोई नई पर्यटन अवसंरचना ऐसे क्रोड या कांतिक व्याघ्र प्राकृत्वासों में अनुज्ञात नही की जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त, बफर वन क्षेत्रों को भी उक्त क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ, वन्यजीव प्राकृत्वासों के रूप में विकसित किया जाना चाहिये। लोगों की क्रोड और कांतिक व्याघ्र अंतरापृष्ठ संघर्षो को कम करते हुये इन क्षेत्रों में पारिपर्यटन गतिविधियों से स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाने के अतिरिक्त यह व्याघ्र आबादी के जीवन–चक्र गतिकी हेतु विस्तृत प्राकृत्वास उपलब्ध करायेगा। पणधारियों के लिए अवसरों में पर्यटकों के लिए कम लागत के आवासों का प्रबंधन, गाइड सेवा उपलब्ध कराना, विक्रय बाजार उपलब्ध कराना, भ्रमण का प्रबंध करना, विशिष्ट सांस्कृतिक नृत्यों को आयोजित करना एवं ऐसे ही अन्य घटक सम्मिलित होंगे।

16.18 आवर्ती व्ययों के लिए विद्यमान राज्यांश 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के साथ राज्यों का अंश दस प्रतिशत कर केन्द्रीय भाग को बढ़ाकर पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में वित्त पोषण की पद्धति में परिवर्तन करना और अनावर्ती व्ययों के लिए विद्यमान समर्थन सौ प्रतिशत जारी रखना,--

व्याघ्र परियोजना स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में केन्द्र से विनियोजन के बावजूद आवर्ती क्रियाकलापों हेतु अनुकूल अथवा समान राज्यांश की अनुपलब्धता के कारण क्षेत्र संरचनाओं (व्याघ्र आरक्ष) को केन्द्रीय सहायता अवमुक्त करने में काफी विलम्ब होता है। आवर्ती घटकों के वित्तपोषण हेतु केन्द्रांश वृद्धि की मांग की जाती रही है। तदनुसार, व्ययों के आवर्ती मद के लिये केन्द्रीय भाग को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया है।

16.19 मानव पशु संघर्षों के लिए मानव जीवन की हानि की दशा में प्रतिकर दो लाख रुपए तक बढ़ाना, गंभीर शारीरिक क्षति के लिए उपर्युक्त का तीस प्रतिशत और छोटी क्षतियों के लिए उपचार की लागत (अनावर्ती),--

व्याघ्र आरक्षितियों के कोड क्षेत्रों से वन्य पशुओं के बाहर निकलने के कारण बहुधा मानव–वन्यजीव अन्तरापृष्ठ अत्यन्त संवेदनशील होता है। विनाश के कारण हुई क्षति की पर्याप्तरूपेण क्षतिपूर्ति प्रतिशोधात्मक हत्याओं को रोकने के लिए आवश्यक है । मानव वन्यजीव संघर्षों की प्रतिपूर्ति मानव जीवन की क्षति/मृत्यु की दशा में यह राशि दुगुनी करते हुये एक लाख रुपए से दो लाख रुपए कर दी गयी है, जबकि गंभीर शारीरिक चोट अथवा क्षति हेतु प्रतिपूर्ति उपर्युक्त धनराशि को 30 प्रतिशत पर कायम रखी गयी है एवं वन्यजीव के कारण हुई छोटी क्षतियों के मामले में उपचार का व्यय वहन की व्यवस्था की गयी है।

16.20 कोड और क्रांतिक व्याघ्र प्राकृत्वास को अनतिक्रांत बनाने के लिए निजी भूमि का अर्जन (अनावर्ती)।

कई व्याघ्र आरक्षों में, कोड एवं क्रांतिक व्याघ्र प्राकृत्वास के अंतर्गत निजी भूमि धृति/सम्पदा है। उपरोक्त घटक को, कोड और क्रांतिक व्याघ्र प्राकृत्वास को अनतिक्रांत बनाने के लिये, राज्यों को, यदि आवश्यक हो तो ऐसे क्षेत्रों को अधिगृहीत/अर्जित करने हेतु, 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये 'व्याघ्र परियोजना' स्कीम में सम्मिलित किया गया है।

16.21 'मध्यवर्ती और सीमांत क्षेत्रों में सह-अस्तित्व कार्यावली' के विद्यमान घटक के अधीन व्याघ्र सफारी व्याख्या एवं जागरूकता केन्द्र **की स्थापना और संबंधित पंचायती राज्य संस्थानों के माध्यम से ऐसे केन्द्रों का प्रबंधन (सृजन-अनावर्ती, अनुरक्षण-आवर्ती),–**

ऐसे व्याघ्र आरक्षों, जिनके कोड/क्रांतिक व्याघ्र प्राकृत्वास में व्याघ्र दर्शन हेतु पर्यटकों का अपरिमित आगम होता है, के बफर क्षेत्र में, व्याघ्र सफारी स्थापित किये जा सकते है। ऐसे बफर क्षेत्र में जन सहयोग प्राप्ति हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिये व्याख्या एवं जागरूकता केन्द्रों को भी सहायता दी जायेगी। इन केंन्द्रों का प्रबंधन संबंधित पंचायती राज (पी.आर.) संस्थानों के माध्यम से होगा।

16.22 मध्यप्रदेश और राजस्थान राज्यों में स्कीम के अधीन 50 करोड़ रुपए की लागत पर चीता की अन्य मॉसभक्षियों, विशेषतया व्याघ्रों के साथ ऐतिहासिक सह-अस्तित्व को सुनिश्चित करने के पश्चात् पुनः प्रवेशन,–

वृहत मॉसभक्षियों के पुनः प्रवेशन को संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण और पारि–तंत्र कृत्यों को पुनर्स्थापित करने की रणनीति के रूप में उत्तरोत्तर मान्यता मिलती रही है। चीता एकमात्र वृहत मॉसभक्षी है जो ऐतिहासिक समय में भारत में अत्यधिक शिकार के कारण विलुप्त हो चुका है। भारतीय वन्य जीव संस्थान के साथ अंतवर्लित विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के आधार पर पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राजस्थान राज्य (शाहागढ़ क्षेत्र) और मध्य प्रदेश राज्य (कूनो-पालपुर और नोरा देई अभयारण्यों) में चीता का पुनः प्रवेशन विनिश्चित किया है । उक्त राज्यों को गांवों के पुनर्स्थापन, प्राकृत्वास प्रबंध और पुनर्स्थापन, धृति सुविधा, पशु चिकित्सा सुविधा, प्रशिक्षण वृत्तिकों, अनुश्रवण, चीता के प्रापण, सीमावर्ती क्षेत्र में पारि विकास और अनुरक्षण के मद में सौ प्रतिशत समर्थन प्राप्त होगा ।

राज्य द्वारा समझौता ज्ञापन

17. व्याघ्र आरक्षिति राज्यों को पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ **परिशिष्ट 'ग'** में यथा उपबंधित रूप विधान में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने की आवश्यकता होगी ।

18. व्याघ्र आरक्षिति वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, यथा संशोधित, 2006 की धारा 38फ के अधीन अपेक्षित आरक्ष विशिष्ट व्याघ्र संरक्षण योजना के आधार पर व्याघ्र परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन समर्थित वित्त पोषण प्राप्त कर सकेंगे । यह राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अंतर्गत होनी चाहिए । वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के सापेक्ष व्याघ्र संरक्षण योजना के तैयार होने और उसका अनुमोदन होने तक व्याघ्र राज्य से एक अंतरिम परिचयात्मक/निर्देशात्मक व्याघ्र संरक्षण योजना प्रेषण की अपेक्षा होगी जो व्याघ्र परियोजना के अंतर्गत वार्षिक कार्य प्रचालन हेतु वित्त पोषण समर्थन प्राप्ति का आधार होगी।

19. स्थानीय जनबल के अभियोजन, मानव वन्यजीव संघर्ष से संबंधित मुद्दे, आजीविका विकल्पों, ग्राम पुनर्स्थापन एवं पारि–पर्यटन हेतु विचार–विमर्श के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों की केन्द्रीयता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

पर्यावरण और वन मंत्रालय
(राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण)
बीकानेर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली
.....सरकार और क्षेत्र निदेशक.....व्याघ्र आरक्षिति
के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन

भारत सरकार ने राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के स्थापना के माध्यम से अपने व्याघ्र संरक्षण कार्यक्रम को पुनः तैयार किया है । भारत के राष्ट्रीय पशु व्याघ्र के संरक्षण की अत्यावश्यकता केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और व्याघ्र आरक्षिति प्रबंधन पर महती उत्तरदायित्व आदिष्ट करती है, जिसका प्रभावी उन्मोचन अनिवार्य है । यह त्रिपक्षीय ज्ञापन देश में प्रभावी व्याघ्र संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु क्रमशः अपने अपने उत्तरदायित्वों और पास्परिक वचन-बद्धताओं से संबंधित निधियों के प्रवाह को सुनिश्चित करता है ।

यह त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, एनेक्सी संख्या 5, बीकानेर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'रा.व्या.सं.प्रा.' कहा गया है) के माध्यम से पर्यावरण और वन मंत्रालय, प्रथम पक्षकार, (पदाभिधान और कार्यालय का पता)..... राज्य सरकार (जिसे इसके पश्चात् राज्य सरकार कहा गया है), द्वितीय पक्षकार और व्याघ्र आरक्षिति.....के क्षेत्र निदेशक (जिसे इसके पश्चात् क्षेत्र निदेशक कहा गया है), तृतीय पक्षकार के मध्य मास..... तारीख.....वर्ष .....को किया गया ।

राज्य सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को क्षेत्र निदेशक के माध्यम से व्याघ्र आरक्षिति .....जिसे इसमें इसके पश्चात् "....." के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के संरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

और पर्यावरण और वन मंत्रालय वर्ष 2009 -2010 और उसके पश्चात् के लिए नीचे दिए गए निबंधनों और शर्तों पर, उक्त कार्य के अनुमोदित मदों के लिए विस्तारित वित्तीय समर्थन देने के लिए तैयार और इच्छुक है ।

अतः, अब, पक्षकारों के मध्य निम्नलिखित सहमति हुई है :

अनुच्छेद 1

पर्यावरण और वन मंत्रालय (रा.व्या.सं.प्रा. के माध्यम से) की निम्नलिखित बाध्यताएं ।

पर्यावरण और वन मंत्रालय निम्नलिखित सहमति और अभिपुष्टि करता है कि :-

(1) व्याघ्र परियोजना के अधीन वित्त पोषण का समर्थन व्याघ्र आरक्षिति को "व्याघ्र संरक्षण योजना" विनिर्दिष्ट व्याघ्र आरक्षिति पर आधारित प्रस्तावित क्षेत्र की पहल के दिए लागत के प्रचालन के वार्षिक योजना की प्राप्ति पर दो चरणों में उपलब्ध होगा ।

(2) व्याघ्र परियोजना के अधीन वित्त पोषण की पहली किस्त निधि की उपलब्धता और वित्त मंत्रालय के निदेशों के अधीन संबंधित राज्य सरकार से प्रचालन की वार्षिक योजना की प्राप्ति के पश्चात् चार सप्ताह के भीतर देनी होगी।

(3) व्याघ्र परियोजना के अधीन वित्त पोषण की दूसरी किस्त राज्य सरकार से पूर्ववर्ती वर्ष के संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पहली किस्त के रूप में अवमुक्त वित्त पोषण के समर्थन की साठ

प्रतिशत उपयोगिता रिपोर्ट के साथ, और राज्य सरकार के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा सम्यक् रूप से अनुशंसित क्षेत्र निदेशक से वांछित प्रपत्र में प्रगति रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् दो सप्ताह के भीतर अवमुक्त होगी ।

(4) व्याघ्रों के संरक्षण और उनके प्राकृत्वास की बावत वन्य जीव (संरक्षण) अधनियम, 1972 के प्राविधानों की परिधि के भीतर राज्य सरकार को सूचना के अधीन व्याघ्र आरक्ष के क्षेत्र निदेशक को तकनीकी मार्गनिर्देश उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) आरक्षिति में किए गए विनिवेश के प्रभाव पर एक पारिस्थितिकीय सम्प्रेक्षण विहित मानदंडों के अनुसार करानी होगी ।

अनुच्छेद -2

.....**राज्य सरकार की बाध्यताएं**

राज्य सरकार निम्नलिखित सहमति और अभिपुष्टि करती है कि :-

(1) व्याघ्र आरक्ष, व्याघ्र संरक्षण योजना वन्य जीव, (संरक्षण) अधिनियम, 1972 यथा संशोधित 2006 की धारा 38 फ के अधीन यथा अपेक्षित व्याघ्र संरक्षण के लिए तैयार करेगा जिसके लिए ..... से छह मास के भीतर विहित मार्गनिदेशों के अनुसार,.....से वित्त पोषण है ।

(2) क्रोड या क्रांतिक व्याघ्र प्राकृत्वास और बफर अथवा उपान्त क्षेत्रों की रूपरेखा और अधिसूचना..... से छह मास के भीतर वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 यथा संशोधित, 2006 के अधीन यथा अपेक्षित अधिचिन्हित एवं अधिसूचित होगी ।

(3) कर्मचारीवृंद की रिक्तियां..... से छह मास के भीतर स्थान विज्ञान अथवा स्थलाकृति के साथ साथ नियत क्षेत्र मानकों के निर्धारण के पश्चात् प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और क्षेत्र संरक्षण के लिए.....द्वारा भरी जानी होंगी ।

(4) व्याघ्र परियोजना के अधीन अवमुक्त धन व्याघ्र आरक्षिति पहल के कार्यान्वयन के लिए प्रचालन की वार्षिक योजना में यथा प्रस्तावित, उक्त प्राधिकरण के नियामक मार्गनिर्देशों और परामर्शों के सम्यक् अनुपालन के साथ राज्य को इसकी प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर व्याघ्र आरक्षिति को उपलब्ध कराना होगा ।

(5) राज्य सरकार, व्याघ्र आरक्षिति के क्षेत्र निदेशक के रूप में अधिमानतः वन्य जीव प्रबंध में प्रशिक्षित और सिद्ध सेवा कीर्ति वाले प्रेरणादायक अधिकारी को नियुक्त करेगी जिसकी न्यूनतम पदावधि तीन वर्ष होगी (जिसे परिस्थितियों की मांग पर बढ़ाया जा सकेगा) ।

(6) राज्य सरकार, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता के अधीन,..... से एक वर्ष के भीतर समन्वय, अनुश्रवण, व्याघ्रों एवं सह परभक्षी और भक्ष्य पशुओं की सुरक्षा और संरक्षण, सुनिश्चित करने के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, 2006 में यथा संशोधित, की धारा 38 फ के अधीन यथा अपेक्षित अभिचालन/संचालन समिति का गठन करेगी।

(7) राज्य सरकार, किसी विनिर्दिष्ट व्याघ्र आरक्षिति के लिए स्वायत्त "लाभ केन्द्रों" के रूप में किसी व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना, व्याघ्र संरक्षण और पारिस्थितिकी विकास के लिए जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार इसके प्रबंध को प्रसुविधा और समर्थन देने के लिए करेगी, जिसमें स्थानीय लोग अंतवर्लित होंगे एवं जो सरकार द्वारा पर्यटन द्वार पर संग्रहण, राज्य सरकार से सहायता एवं शासन तथा योजना प्राधिकारियों से अन्य निधियां प्राप्त करने के लिए सशक्त होगा जिससे "विकास निधि" सृजित करेगा और.....से छह मास के भीतर आरक्षिति, स्थानीय व्यक्तियों और कर्मचारीवृंद के लाभ के लिये परिनियोजित करेगा ।

(8) राज्य सरकार, स्थानीय सतर्कता प्राप्त करने और व्याघ्र आरक्षितियों की सुरक्षा के लिए कार्यवाही को बढ़ावा देगी और आवधिक "सुरक्षा संपरीक्षा" के उपबंधों के साथ यह "सुरक्षा योजना" व्याघ्र संरक्षण योजना का भाग होगी।

(9) राज्य सरकार व्याघ्र संरक्षण योजना के भाग के रूप में बनाई गई किसी क्षमतावर्धन योजना पर आधारित कर्मचारीवृंद विकास और कर्मचारीवृंद कल्याणकारी उपाय के अतिरिक्त प्रभावी प्रवर्तन के लिए मुख्य धारा के कर्मचारीवृंदों की क्षमता वर्धन सुनिश्चित करेगी ।

(10) राज्य सरकार,.....से एक वर्ष के भीतर राज्य के आरक्षिति हेतु आगणित धारक क्षमता के अनुसार पर्यटन को विनियमित करेगी तथा वन एवं वन्य जीव पर्यटन नीति का विकास करेगी ।

(11) राज्य सरकार, समयबद्ध रूप से, व्याघ्र परियोजना के पुनरीक्षित मार्गनिर्देशों और वैधानिक प्राविधानों के अनुसार क्रोड/क्रांतिक व्याघ्र प्राकृत्वासों से ग्रामों के पुनः स्थान निर्धारण के लिए बढ़े हुये पुनर्स्थापन पैकेज के अनुसार सहायता प्राप्त करेगी।

(12) राज्य सरकार, प्रादेशिक वन प्रभागों अथवा मंडलों एवं राजस्व प्राधिकारियों की सक्रिय सहभागिता के साथ, जिसमें शासन तंत्र के बाहर विश्वास्य अभिकरणों अथवा संस्थाओं द्वारा आश्रयदान का अवसर हो, परिदृश्य में व्याघ्र संरक्षण को विभिन्न कार्यक्षेत्रों अथवा सैक्टरों के अंतर्गत मुख्य धारा से जोड़कर व्याघ्र आरक्षों से चिन्हित गलियारा संयोजकता को प्रत्यावर्तित करने हेतु कदम उठायेगी।

(13) यह सुनिश्चित करते हुये कि नियमित वन प्रभागों अथवा मंडलों एवं वैसे आसन्न व्याघ्र आरक्षों के वानिकी प्रचालन कार्य तथा व्याघ्र संरक्षण की आवश्यकतायें परस्पर विरोधी न हों, राज्य सरकार एक व्याघ्र आरक्ष को दूसरे व्याघ्र आरक्ष से जोड़ने वाले क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय रूप से उपयुक्त भूमि–उपयोग सुनिश्चित करेगी।

(14) राज्य सरकार, यह प्रमाणित करेगी कि पारिस्थितिकीय रूप से अधारणीय भूमि उपयोग जैसे खान, उद्योग और समान परियोजना का प्रचालन व्याघ्र आरक्षिति के भीतर नहीं होता है ।

(15) राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (व्याघ्र परियोजना) द्वारा जारी परामर्शी के अनुसार व्याघ्र आरक्षिति में, किसी अनुचित घटना की भविष्यवाणी की प्रसुविधा के लिए व्याघ्र अनुश्रवण संलेख/नयाचार का दिन प्रतिदिन पालन किया जाता है ।

(16) राज्य सरकार वन्य जीव मुद्दों को मुख्यधारा से जोड़ते हुये जनसहायता प्राप्त करने हेतु मानव वन्य प्राणी अन्तरापृष्ठ को सम्बोधित करने के अतिरिक्त स्थानीय लोगों एवं वन्य प्राणियों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से व्याघ्र आरक्ष से बफर क्षेत्र का सक्रिय प्रबन्धन सुनिश्चित करेगी।

(17) राज्य आरक्षिति, व्याघ्र संरक्षण योजना और निष्पादन के ब्यौरे..... से छह माह के भीतर अपनी शासकीय वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमिन पर रखेगा । इसके अतिरिक्त लोक जागरण के संवर्धन हेतु स्थानीय भाषा में उसे उपलब्ध कराएगा ।

(18) राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा अवमुक्त धन प्रचालन की वार्षिक योजना में प्रस्तावित कार्यों को करने के लिए, उक्त प्राधिकरण के नियामक मार्गनिर्देशों और परामर्शी के सम्यक् अनुपालन के साथ व्याघ्र आरक्षिति को तत्काल उपलब्ध कराना होगा ।

(19) व्याघ्र आरक्षिति का प्रभारी निदेशक/ अधिकारी राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और विहित प्रक्रिया के अनुसार योजना के तत्काल निष्पादन के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए धन को व्यय करने को सशक्त होगा ।

(20) राज्य सरकार, यह सुनिश्चित करेगी कि राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा अवमुक्त अनुदान के खाते वार्षिक आधार पर राज्य सरकार के कानूनी संपरीक्षा द्वारा संपरीक्षित होंगे और प्रत्येक वर्ष 31 मई तक वार्षिक रूप से राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को इससे संबंधित प्रमाण पत्र के साथ भेजने होंगे ।

अनुच्छेद III

क्षेत्र निदेशक ..... व्याघ्र आरक्षिति की बाध्यताएं

क्षेत्र निदेशक ..... व्याघ्र आरक्षिति ने सहमति दी है और यह अभिपुष्ट किया है कि :--

(1) आरक्षिति के लिए उसकी शक्ति, दुर्बलता, अवसर और खतरे को ध्यान में रखते हुए एक सुरक्षा योजना बनाई जाएगी, जो व्याघ्र, अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा और प्राकृत्वास के आसूचना आधारित प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए व्याघ्र संरक्षण योजना का भाग होगी ।

(2) व्याघ्र और अन्य वन्य जीवों के लिए दिन-प्रतिदिन प्राकृत्वास में अप्रिय घटना के पूर्वानुमान को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा यथाविहित अनुश्रवण नयाचार/संलेख का सम्यक् रूप से अनुसरण किया जाएगा ।

(3) व्याघ्र संरक्षण योजना क्रोड, बफर और निकटस्थ क्षेत्रों के लिए निर्धारण सहित राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार छः महीने की समयसीमा के भीतर तैयार की जाएगी ।

(4) आरक्षिति में फील्ड कार्य करने की सामर्थ्य सहित उचित आयु समूह में अग्रणी फील्ड कर्मचारीवृंद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक कर्मचारी विकास योजना तैयार की जानी चाहिए और उसे राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए ।

(5) बफर और बाह्य परिदृश्य में व्याघ्र संरक्षण को मुख्य धारा में लाने के लिए व्याघ्र की सुरक्षा के लिये लाभार्थियों से पारस्परिक वचनबद्धता सहित व्याघ्र आरक्षिति पर अनुषंगी निवासियों की निर्भरता को कम करने के लिए, उनको जीविका का विकल्प देने के लिए विभिन्न जिला स्तर स्कीमों के क्षेत्रीय समांकलन के माध्यम से पहल की जानी चाहिए ।

(6) व्याघ्र और अन्य वन्य जीवों को प्रतिशोध की भावना से मारने को रोकने के लिए मानव-वन्य जीव द्वंद्व के समय पर निपटारे को सुनिश्चित किया जाना होगा।

(7) स्थानीय कार्य करने के लिए राज्यों/केन्द्रीय सरकार से प्रवेश द्वार पर प्राप्त होने वाली प्राप्तियों और अन्य प्राप्तियों के लिए पात्र के रूप में आरक्षिति के लिए एक व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना की जाएगी ।

(8) प्रचालन की वार्षिक योजना में राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण से वित्त पोषण सहायता के लिए व्याघ्र संरक्षण योजना का सन्दर्भ होगा ।

(9) क्षेत्र निदेशक द्वारा तैयार किये गए व्यय प्राक्कलन राज्य सरकार की अनुमोदित दरों की अनुसूची पर आधारित होना चाहिए ।

(10) प्रचालन की वार्षिक योजना में प्राक्कलन के आधार सहित भौतिक लक्ष्य, वित्तीय लक्ष्य और इकाई दर के साथ नक्शे में प्रस्तावित अभिक्रम/अभिक्रमों का अवस्थान/क्षेत्र उपदर्शित होगा ।

(11) प्रगति रिपोर्ट में निरपवाद रूप से भौतिक उपलब्धि (जैसे मात्रा, संख्या, अवस्थान उपदर्शित करने वाला क्षेत्र) और प्रस्तावित क्रियाकलापों के कार्यान्वयन पर पूरे किए गए उद्देश्य उपदर्शित किए जाने चाहिए ।

(12) पर्यवेक्षण दौरों के दौरान सत्यापन को सुगम बनाने के लिए भौतिक लक्ष्यों की एक वर्षवार फोटो- विवरण पत्रिका रखी जाएगी ।

(13) निष्पादन के दौरान कार्यस्थल के निकट प्राक्कलन के ब्यौरे, उसमें लगे मानव दिवस आदि प्रदर्शित किए जाएंगे ।

(14) वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को वार्षिक रूप से अव्ययित शेष, यदि कोई हो, दर्शाते हुए उपयोगिता प्रमाणपत्र दिया जाएगा जिससे वह प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक इस कार्यालय में पंहुच जाए । कार्य की समाप्ति पर तुरंत पूर्ण उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा ।

(15) राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा दिए गए अनुदानों के लेखे संपरीक्षा की अपेक्षाओं के अनुसार रखे जाएंगे और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण/संपरीक्षा द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे । इन खातों की एक प्रति राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को भी जारी की जायेगी। निर्माण अथवा प्राकृत्वास सुधार कार्यों के प्रकरण में, मापन–पुस्तिकाओं की छायां प्रतियॉ (ऐसे कार्यों के लिये जिन्हें राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुदान से निष्पादित किया गया था) भी राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को प्रेषित की जायेंगी। अव्यतित राशि का विवरण, यदि कोई हो तो अव्यतित बचत या पुनर्वैधीकरण के रूप में समायोजन हेतु प्राधिकरण को सूचित किय जायेगा।

(16) निधियों का प्रयोग केवल उस प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए वह मंजूर की गई थी । निधियों का अपयोजन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञात नहीं होगा ।

(17) राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा दिए गए अनुदान से अर्जित सभी आस्तियों के अभिलेख संपरीक्षा की समीक्षा के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे । ऐसी आस्तियों का निपटान, विल्लंगम या उपयोग उस प्रयोजन से भिन्न, जिसके लिए अनुदान मंजूर किया गया है, किसी कार्य के लिए भारत सरकार/राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा ।

(18) राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा दिए गए अनुदान से सृजित आस्तियों के निष्कर्षण को दर्शाने वाला विवरण वार्षिक रूप से प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को दिया जाएगा ।

(19) स्थानीय कार्य बल को अभिनियोजित करते समय व्याघ्र आरक्षिति प्रबंधन को ग्राम सभा से परामर्श करना चाहिए जिससे सभा के सदस्य क्षेत्र के बारे में भौगोलिक और अन्य संबंधित सूचना से सुपरिचित हो जाए ।

(20) 1. मवेशी उत्थापन, फसल विध्वंस, मनुष्यों की क्षति या मृत्यु के लिए प्रतिकर, जिला परिषद् से परामर्श करके विनिश्चित किया जाना चाहिए ।

2. व्याघ्र आरक्षिति प्रबंधन को फसल सुरक्षा उपायों और मानव-वन्य जीव द्वंद्व से संबंधित अन्य अभिक्रमों को कार्यान्वित करते समय संबंधित ग्राम पंचायत से समन्वय करना चाहिए ।

(21) व्याघ्र आरक्षिति प्रबंधन को ग्रामीणों की वनों पर निर्भरता को कम करने के लिए पारिस्थितिकीय जीवन योग्य जीविका विकल्प देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं से परामर्श करना चाहिए । बाहरी क्षेत्रों से जाने वाले पशुओं के लिए पूरक प्राकृत्वास की व्यवस्था करने के क्रम में बफर क्षेत्रों में आने वाले वन को प्रत्यावर्तित करने के लिए ग्राम सभा को सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

(22) विकल्प -I या विकल्प-II के अधीन प्रतिकर पैकेज के भुगतान और उपयोगिता का अनुश्रवण करने के लिए जिला परिषद् को सम्मिलित करना चाहिए ।

(23) विकल्प-II की दशा में वन विभाग द्वारा संरक्षित क्षेत्र/ व्याघ्र आरक्षिति से पुनः अवस्थान/पुनर्वास ग्राम सभा से परामर्श करके करना चाहिए ।

(24) अन्य क्षेत्रों से समरूपता सुनिश्चित करने के लिए जिला परिषद् अध्यक्ष को जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति का सदस्य होना चाहिए ।

(25) पुनः अवस्थित गांव में जिला स्तर स्कीमों का कार्यान्वयन और अनुश्रवण ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के माध्यम से करना चाहिए ।

(26) पुनः अवस्थान प्रक्रिया से संबंधित श्रमिक अभिमुखी कार्यों की पहचान करने में यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुनः अवस्थित ग्रामीणों को उनके श्रम के लिए यथोचित पारिश्रमिक मिला है, ग्राम पंचायत/ग्राम सभा को सम्मिलित करना चाहिए ।

(27) वन भूमि पर पुनः परिनिर्धारण की दशा में नया परिनिर्धारण ग्राम सभा द्वारा यथा प्रमाणित उनके पारंपरिक वन अधिकारों पर आधारित वन संसाधनों की पहुंच के योग्य होना चाहिए ।

(28) पुनः अवस्थित गांव के नजदीक उचित मूल्य की दुकानों, विद्यालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों आदि के लिए स्थान विनिश्चित करते समय ग्राम पंचायत/ग्राम सभा की सिफारिशें ली जानी चाहिए ।

(29) सेवाओं, कार्यकलापों और पारि-पर्यटन में लगे कार्मिकों की पहचान करने के लिए ग्राम पंचायत/ग्राम सभा से परामर्श करना चाहिए ।

(30) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का प्रसार) अधिनियम, 1996 के अधीन पुनर्वास/कल्याण पैकेज पर, यथास्थिति, स्थानीय पारंपरिक ग्राम परिषद् या ग्राम सभा से यह सुनिश्चित करने के लिए परामर्श करना चाहिए कि ऐसे जनजातीय व्यक्तियों को जीविका विकल्पों के साथ ही 2006 में यथासंशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में अंतर्विष्ट कानूनी उपबंधों के अनुरूप स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आवास सुविधाएं दी गई है ।

अनुच्छेद IV

(स्थल-विनिर्दिष्ट कार्रवाई)

कुछ व्याघ्र आरिक्षिति में उनके अद्वितीय भौगोलिक और अन्य विशेषताओं के लिए विशेष हस्तक्षेप आवश्यक हो सकेगा ।

उदाहरण :

1. सीमा पर अवस्थित आरक्षिति और संवेदनशील क्षेत्रों में आसूचना आधारित प्रवर्तन/अवैध शिकार रोधी संक्रियाओं पर सकारात्मक क्रियाशील कदम ।

2. काजीरंगा में वन्य जीवों के मृत्यु की रोकथाम करने के लिए सकारात्मक क्रियाशील कदम ।

3. अग्नि संभावित प्राकृत्वासों के लिए सकारात्मक क्रियाशील कदम ।

4. सूखा संभावित प्राकृत्वासों के लिए सकारात्मक क्रियाशील कदम ।

5. विप्लव/ विद्रोह और उससे संबंधित समस्याओं से प्रभावित क्षेत्रों के लिए अभिनव कदम ।

6. सुंदरवन जैसे प्राकृत्वास–स्थलों में व्याघ्रों के मानव बस्तियों में बारंबार भटकने जैसे विवाद्यकों पर संबोधन आदि के लिए अभिनव कदम ।

अनुच्छेद V

समझौता ज्ञापन के निबंधनों के अननुपालन के परिणाम

(राज्य सरकार और फील्ड निदेशक द्वारा समझौता ज्ञापन के निबंधनों के अननुपालन की दशा में)

1. व्याघ्र परियोजना के अधीन वित्त पोषण सहायता को रोकना ।

2. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रथम किस्त से संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए जाने की दशा में द्वितीय किस्त नहीं दी जाएगी ।

3. समझौता ज्ञापन की अननुषक्ति/अननुपालन ऐसे अभिक्रमों को रोकने का कारण हो सकेगी, जो व्याघ्र आरक्षिति के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को दी जाए ।

4. समझौता ज्ञापन के अननुपालन पर व्याघ्र और उसके आवास का नुकसान और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के कानूनी उपबंधों के अतिक्रमण पर राज्य सरकार के माध्यम से क्षेत्र निदेशक पर दांडिक कार्रवाई हो सकेगी ।

साक्षी जिसके समक्ष, इस अवबोध ज्ञापन के सम्यक् रूप से प्राधिकृत पक्षकारों के प्रतिनिधियों ने आज ..... दिन, ... मास और ..... वर्ष को इस प्रथम बार पूर्वोक्त लिखित अवबोध ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है ।

राष्ट्रीय व्याघ्र सरंक्षण प्राधिकरण के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षरित	**सरकार** **के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षरित**	**फील्ड निदेशक.....** **व्याघ्र आरक्षिति**
नाम और पदनाम **(मुहर सहित)** **तारीख :**	**नाम और पदनाम** **(मुहर सहित)** **तारीख :**	**नाम और पदनाम** **(मुहर सहित)** **तारीख :**

भाग -ख

व्याघ्र आरिक्षितियों और उनके आसपास पर्यटन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

प्रस्तावना.--

स्वस्थ प्राकृतिक पारि-तंत्र सभी जीवित सत्ताओं के पारिस्थितिकीय कल्याण के लिये गुणागुणज्ञ है और विशेषकर जनता की आर्थिक सुरक्षा के लिए । पारि-पर्यटन के रूप में पर्यटन प्राकृतिक पारि–तंत्र के आसपास बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों के लिए प्रकृति के अनुकूल स्थानीय जीविका और अधिक आय की व्यवस्था करके उससे स्थानीय समुदाय, पणधारी और स्वामियों को इस प्रक्रिया में लाकर वन्य जीव या वन क्षेत्रों की सुरक्षा में प्रत्यक्षतः योगदान पहुँचाने में सक्षम है।

केंद्रीय सरकार, यह पहचान करने की दृष्टि से कि व्याघ्र आरक्षिति और उनके परिदृश्य विविध है, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विकसित किए जाने वाले विनिर्दिष्ट राज्य पर्यटन/पारि-पर्यटन रणनीतियों और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा विकसित किए जाने वाले पर्यटन/पारि-पर्यटन योजनाओं के लिए व्याघ्र आरक्षितियों में पर्यटन का चयन, योजना निर्माण, विकास, कार्यान्वयन और अनुश्रवण करने की रूपरेखा मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करना आवश्यक समझती है ।

इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का गठन अन्य प्रवृत्त कानून के अतिरिक्त वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (डब्लू. एल.पी.ए.) की धारा 38–ण (1) (ग), अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्राविधानों (एफ.आर.ए.), पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिये विस्तार) अधिनियम, 1996 (पी.ई.एस. ए.) एवं भारतीय संविधान के नवें भाग के अंतर्गत किया गया है। ये मार्गदर्शक सिद्धांत व्याघ्र परियोजना की केन्द्र प्रवर्तित योजना के मार्ग निर्देशों से आनुरूप्यता रखते हैं।

1. मार्गदर्शक सिद्धांतों की आवश्यकता

1.1 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का उद्देश्य वन्य जीव पर्यटन से पारि-पर्यटन की ओर उन्मुख होना है, जिसे उन प्राकृतिक क्षेत्रों में दायित्वपूर्ण यात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है जिससे पर्यावरण का संरक्षण और स्थानीय व्यक्तियों के कल्याण में सुधार होता है । भारत की विद्यमान परिस्थितियों में, यह प्रस्तावित है कि पर्यटन में ऐसा पारि-पर्यटन सम्मिलित है जो समुदाय आधारित या समुदाय चालित है । लक्ष्य, व्याघ्र आरक्षिति के आसपास ऐसे पर्यटन तंत्र की तरफ जाने का होना चाहिए जो प्राथमिक रूप से समुदाय आधारित पर्यटन हो । ऐसा पर्यटन स्थानीय समुदायों के आर्थिक कल्याण को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करते हुए, कम संघात वाला, शैक्षणिक और पारिस्थितिकी और पर्यावरण के संरक्षण वाला होना चाहिए ।

1.2 व्याघ्र आरक्षिति का प्राथमिक उद्देश्य ऐसे व्याघ्र स्रोत आबादी का संरक्षण करना है जो जैव विविधता संरक्षण के लिए छत्र के रुप में काम करता है । यह क्षेत्र पर्यटन के लिये पारि-तंत्र सेवाओं और अवसरों का पूर्ण समूह उपलब्ध कराता है। ऐसे परिदृश्यों में गैर योजनाबद्ध और अनियंत्रित पर्यटन ऐसे पर्यावरण का विनाश कर सकता है जो प्रथम स्थान में ऐसे पर्यटन को आकर्षित करता है । परिणामस्वरूप, पर्यटन के ऐसे प्रकार की ओर जाने की आवश्यकता है जो दायित्वपूर्ण और इन सुकुमार परिदृश्यों के अनुरूप हो ।

1.3 पर्यटन का व्यवसाय जब समुचित रूप से किया जाए तो एक महत्वपूर्ण आर्थिक और शैक्षिक क्रियाकलाप है । इसमें वृहतर चयनित क्षेत्र को जोड़ने की गुंजाइश है और इससे बड़े पैमाने पर जनता में ऐसे पारिस्थितिक तंत्रों के महत्व और सुकुमार्य के बारे में जागरुकता पैदा करते हुए संरक्षण सहायता मिलती है । यह इन सुकुमार परिदृश्यों के आसपास और उन पर निर्भर स्थानीय समुदायों के फायदे के लिए आरण्य क्षेत्रों के गैर विनाशक उपयोग में भी अभिवृद्धि करता है ।

1.4 समुचित योजना निर्माण और विनियम के अभाव में ऐसे व्याघ्र आरक्षितियों के आसपास हाल के वर्षों में पर्यटन सुविधाओं का अल्प अवधि में तेजी से विस्तार हुआ है जिससे सुकुमार पारिस्थितिक तंत्रों का शोषण, तिरस्कार, शांतिभंग और दुरुपयोग हुआ है । इससे प्रायः पारिस्थितिक तंत्रों का अहित और स्थानीय जनता और समुदायों के और विरक्ति के प्रति शब्द 'पारि–पर्यटन' का दुरूपयोग भी हुआ है ।

1.5 ये मार्गदर्शक सिद्धांत व्याघ्र आरक्षितियों में और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए लागू हैं ।

1.6 व्याघ्र आरक्षितियों में और उनके आसपास पर्यटन के सिद्धांत

वे लोग जो पर्यटन क्रियाकलापों को कार्यान्वित करते है और उसमें भाग लेते है, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सिद्धांतों को कार्यान्वित करेंगे :–

(क) कम संघाती वन्य जीव पर्यटन अपनायें जिससे वन और वन्य जीव क्षेत्रों की पारिस्थितकीय अखंडता संरक्षित होती है, गंतव्य और इसके आसपास के क्षेत्रों के वन्य जीव मूल्य सुनिश्चित होते हैं ।

(ख) निर्णय लेना सुकर बनाने के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्राविधानों (एफ.आर.ए.) और/या पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिये विस्तार) अधिनियम, 1996 (पी.ई.एस.ए.) में यथा परिभाषित ग्राम सभाओं को साथ ले ।

(ग) ग्राम सभाओं और अन्य सभी पणधारियों की मुक्त सहभागिता और पूर्व सूचित सहमति सुनिश्चित करें ।

(घ) स्थानीय समुदायों के कल्याण और आर्थिक उत्थान के लिए वन्य जीव पर्यटन से राजस्व पैदा करने की क्रिया विधि विकसित करें ।

(ङ) जैव विविधता समृद्धि, उनके मूल्यों और जनता के लिए उनके पारिस्थितिकीय सेवाओं को उजागर करें ।

(च) भारत का आरण्य और व्याघ्र आरक्षितियों के धरोहर मूल्य को उजागर करें ।

(छ) पर्यावरणीय, सांस्कृतिक जागरुकता और सम्मान पैदा करें ।

(ज) पर्यटन उपक्रमों और क्रियाकलापों के पोषण को सुकर बनायें ।

(झ) स्थानीय समुदायों को जीविका अवसर दें ।

(ञ) पर्यटन क्रियाकलापों के लिए देशी सामग्रियों के वहनीय उपयोग में अभिवृद्धि करें ।

(ट) वन निवासियों के संसाधनों, संस्कृति और अधिकारों को नियंत्रित और अनुरक्षित करने की प्रक्रियाओं में अभिवृद्धि करें जिससे नकारात्मक संघातों को कम किया जा सके ।

2. व्याघ्र आरक्षिति हेतु राज्य पर्यटन रणनीति विकसित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

निम्नलिखित अनुच्छेदों में प्रत्येक पणधारी के लिए विस्तृत रूपरेखा का उपबंध है :--

केंद्रीय सरकार, और सुसंगत राज्य सरकार के विभाग, वन निवासियों, स्थानीय समुदायों और सिविल सोसाइटी संस्थाओं के बीच सहक्रिया और सहयोग मार्गदर्शक सिद्धांतों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अत्यावश्यक हैं ।

2.1 राज्य सरकारें–

2.1.1 व्याघ्र आरक्षितियों के लिए राज्य स्तरीय पर्यटन/पारि-पर्यटन रणनीति यहां उपबंधित मार्गदर्शक सिद्धांतों की रूपरेखा के अनुकूल होंगी । व्याघ्र आरक्षितियों के आसपास के परिदृश्य के लिए पर्यटन से संबंधित पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील भूमि उपयोग नीतियां विहित की जायेगी । यह सुनिश्चित करने के लिए यथोचित उपबंध किए जाएंगे कि पारि-पर्यटन स्थानीय समुदायों को छोड़ते हुए शुद्ध रूप से उच्च सीमा, अपवर्जित पर्यटन में हस्तांतरित नहीं हो । पर्यटन विकासकर्ताओं और प्रचालकों द्वारा इन मानकों का अवलम्बन सुनिश्चित करने के क्रम में राज्य नियमों और विनियमों में सुसंगत आशोधन किए जाने चाहिए । राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण/पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा इन मार्गदर्शक सिद्धांतों की अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर सभी राज्य सरकारें राज्य स्तरीय पर्यटन एवं पारि-पर्यटन रणनीति अधिसूचित करेंगी ।

2.1.2 राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्याघ्र संरक्षण के प्राथमिक उद्देश्य के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है, व्यापक योजना के रूप में वन्य जीव पर्यटन के स्थान पर पारि-पर्यटन के पक्ष में एक राज्य स्तरीय विधान और नीति के विकास का प्रयास करेंगी, जिसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित होने चाहिए :--

(i) व्याघ्र आरक्षितियों की अखंडता और संयोजन को बनाये रखना ;

(ii) स्थानीय समुदायों के अधिकार, उनकी सहभागिता और लाभ में हिस्सेदारी ;

(iii) सुदृढ़ पर्यावरणीय डिजाइन और देशी सामग्रियों का वहनीय उपयोग ;

(iv) संरक्षण शिक्षा और प्रशिक्षण ;

(v) वन्य जीव संरक्षण और स्थानीय समुदायों पर पारि-पर्यटन क्रियाकलापों के संघात का अनुश्रवण और मूल्यांकन के लिए यथोचित तंत्र ;

(vi) योजना निर्माण, व्यवस्था और पारि-पर्यटन सुविधाओं के प्रबंध में स्थानीय समुदायों का सामर्थ्य निर्माण ;

(vii) समुचित भूमि उपयोग और जल प्रबंध को विकसित करना और व्याघ्र आरक्षिति में और उसके आसपास के परिदृश्य की पारिस्थितिकीय अखंडता अनुरक्षित करने के लिए नियमन ।

2.1.3 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों की अनुपालना में व्याघ्र आरक्षितियों के क्रोड अथवा क्रांतिक प्राकृत्वास के भीतर कोई नई पर्यटन अवसंरचना स्थापित नहीं की जायेगी ।

2.1.4 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 प के अधीन राज्य स्तरीय संचालन समिति व्याघ्र आरक्षितियों में राज्य स्तरीय पर्यटन एंव पारि-पर्यटन रणनीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी ।

2.1.5 राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली का विकास करेगी जिससे व्याघ्र आरक्षितियों से द्वार प्राप्तियों का उपयोग उनके प्रबंध द्वारा विनिर्दिष्ट संरक्षण प्रयोजनों के लिए किया जाये एवं राज्य के राजकोष के राजस्व के रूप में नहीं किया जाये । इससे यह सुनिश्चित होगा कि पर्यटन से उत्पन्न संसाधनों, सुरक्षा, संरक्षण और स्थानीय जीविका विकास, मानव वन्यजीव संघर्ष का सामना करने एवं फील्ड कर्मचारीवृंद के कल्याणार्थ उपयोग निर्धारित हो।

2.1.6 चूंकि व्याघ्र आरक्षितियों में और उसके आसपास का पर्यटन उद्योग वन्य जीव संसाधनों के गैर विनाशक उपयोग से प्राथमिक रूप से वहनीय है और स्थानीय समुदाय ही ऐसे हैं, जो संरक्षणजन्य प्रभावों का सामना करते हैं इसलिए, राज्य सरकारें पारि-विकास और स्थानीय समुदाय के उत्थान कार्यों के लिए पर्यटन उद्योग से संरक्षण फीस प्रभारित कर सकेगी । संरक्षण फीस, किसी सुविधा में बिस्तरों की संख्या, सुविधा के प्रचालन की अवधि (मौसमानुसार या वर्षभर) और विलासी वर्गीकरण तंत्र पर, जैसे गृहवास (जिसके लिए 6 बिस्तरों की सुविधा तक फीस प्रभारित नहीं की जाएगी) से उच्च सीमा तक (जिसकी फीस की मात्रा अधिकतम होगी), पर विनिश्चित की जा सकती है । सुझाई गई फीस संरचना 500/- रुपए से 3000/- रुपए प्रति कमरा प्रति माह के बीच हो सकेगी । संरक्षण फीस की दर और पर्यटक सुविधा स्तर राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जायेगी और इस प्रकार एकत्रित निधि को स्थानीय आजीविका विकास, मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंध और पारि-विकास के माध्यम से संरक्षण के लिए निश्चित किया जायेगा, न कि राज्य के राजकोष के लिए, जैसे कि ऊपर 2.1.5 में चर्चा की गई है ।

2.1.7 निधि का प्रशासन व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान द्वारा किया जाएगा और इसमें पर्यटन उद्योग की, इस निधि का कहां और कैसे उपयोग किया जाएगा, में भूमिका होगी और विशिष्ट व्याघ्र आरक्षितियों में इसके लिए तंत्रों की आवश्यकता का पता लगाया जाएगा । निधि का उपयोग व्याघ्र आरक्षितियों के भीतर अवस्थित या उनसे लगे हुए सभी गांवों के लिए किया जाएगा । प्रत्येक राज्य सरकार इन मार्गनिर्देशों के अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर स्थानीय संरक्षण फीस की दर को अधिसूचित करेगी । प्रचालन की लागत पर विचार करते हुए फीस की दर का आवधिक रूप से पुनरीक्षण किया जाएगा । स्थानीय पर्यटक सुविधाओं के पास पहचान सूचक बोर्ड के माध्यम से अधिकांश जनता को स्थानीय संरक्षण फीस के औचित्य को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए । राज्य सरकार व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठानों और ग्राम सभाओं के माध्यम से व्याघ्र संरक्षण प्रबंधन से संबंधित इन निधियों के उपयोग के लिए पारदर्शी तंत्र का निर्माण करेगी ।

2.1.8 स्थानीय सलाहकार समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् एलएसी कहा गया है) का प्रत्येक व्याघ्र आरक्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा गठन किया जाएगा । एलएसी के निम्नलिखित कार्य होंगे, अर्थात् :

(क) व्याघ्र आरक्ष के संबंध में पर्यटन रणनीति का पुनरीक्षण करना और राज्य सरकार को सिफारिशें करना ;

(ख) आरक्ष विनिर्दिष्ट वहन क्षमता की संगणना का सुनिश्चय करना और आवधिक पुनरीक्षणों के माध्यम से इसका कार्यान्वयन ;

(ग) गलियारे का महत्त्व और पारिस्थितिकीय सौन्दर्यबोध को ध्यान में रखते हुए व्याघ्र आरक्षितियों के भीतर और उसके निकट भवनों और अवसंरचनाओं पर स्थल विनिर्दिष्ट मानकों का सुनिश्चय करना ;

(घ) व्याघ्र आरक्षितियों के भीतर और उसके चारों ओर पर्यटन विकास से संबंधित मुद्दों पर स्थानीय स्वशासन और राज्य सरकारों को सलाह देना ;

(ङ) न्यूनीकृत और पश्चात्वर्ती उपाय, यदि आवश्यकता हो तो, सुझाने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी, आच्छादित क्षेत्र, स्वामित्व, सन्निर्माण का प्रकार, कर्मचारियों आदि की संख्या के संबंध में व्याघ्र आरक्षितियों के भीतर और उसके चारों ओर सभी पर्यटक सुविधाओं का नियमित रूप से (कम से कम अर्द्धवार्षिक रूप से) अनुश्रवण करना ;

(च) यात्रा प्रचालकों की गतिविधियों का यह सुनिश्चय करने के लिए नियमित अनुश्रवण करना कि वे आगंतुकों को व्याघ्र आरक्षितियों में ले जाते समय प्राणियों को कोई व्यवधान न कारित करें ;

(छ) पर्यटन उद्योग को स्थानीय समुदाय के सदस्यों को नियोजन अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना ;

2.1.9 स्थानीय सलाहकार समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

(क) राज्य सरकार द्वारा नामित मंडलीय आयुक्त या राज्य सरकार का समकक्ष श्रेणी का अधिकारी (अध्यक्ष)

(ख) राज्य विधानमंडल के सदस्य जो व्याघ्र आरक्षिति संरक्षण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं/करते हों

(ग) जिला कलक्टर

(घ) क्षेत्र निदेशक, व्याघ्र आरक्षिति, (सदस्य सचिव)

(ङ) स्थानीय प्रादेशिक उप वन अधिकारी

(च) मानद् वन्यजीव प्रतिपालक (यदि हो)

(छ) राज्य पर्यटन विभाग का अधिकारी

(ज) राज्य जनजातीय विभाग का अधिकारी

(झ) एक खंड विकास अधिकारी या उपमंडल दण्डाधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाना है

(ञ) स्थानीय पंचायतों के दो सदस्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाना है

(ट) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक वन्यप्राणी वैज्ञानिक

(ठ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक सामाजिक वैज्ञानिक

(ड) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला पर्यटन सेक्टर का एक प्रतिनिधि

(ढ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले दो स्थानीय संरक्षणविद्

(ण) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक स्थानीय, रजिस्ट्रीकृत सिविल सोसाइटी संस्था का प्रतिनिधि

(त) परन्तु ग्राम सभा और पूर्वोत्तर राज्यों की दशा में, जहां ऐसी परिषदें विद्यमान हैं, पारंपरिक ग्राम परिषदों को पंचायत सदस्यों के समकक्ष मान्यता दी जाएगी ।

2.1.10 व्याघ्र आरक्षितियों के लिए व्याघ्र आरक्षिति प्रतिष्ठान पर्यवेक्षण प्राधिकरण होगा ।

2.1.11 निबंधन की शर्तें और स्थानीय सलाहकार समितियों की अवधि का अवधारण राज्य द्वारा किया जाएगा ।

2.2 पर्यटन के परिप्रेक्ष्य में व्याघ्र आरक्षिति प्रबंधन

2.2.1 राज्य का मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक व्याघ्र आरक्षिति राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के तकनीकी मार्गनिर्देशों के सापेक्ष, व्याघ्र संरक्षण योजना के एक भाग के रूप में पर्यटन योजना तैयार करे । योजना में अन्य बातों के साथ-साथ गलियारा संयोजकता एवं/महत्वपूर्ण वन्य जीव प्राकृत्वासों की पहचान और उन्हें सुरक्षित करने के तंत्र सम्मिलित होंगे । व्याघ्र संरक्षण योजना का एक भाग बनने वाली इस स्थल विनिर्दिष्ट पर्यटन योजना को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा । इस अनुमोदन से पूर्व पर्यटन के लिए (विद्यमान साधारण घरेलू ठहरावों में गौण परिवर्तन के सिवाय) व्याघ्र आरक्षितियों के भीतर और उसके चारों ओर किसी नई अवसंरचना को विकसित करने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

2.2.2 पर्यटन योजना में अन्य बातों के साथ-साथ अनुश्रवण तंत्र, अनुमानित वहन क्षमता (वहन क्षमता का आंकलन करने के लिए एक मॉडल तंत्र का उपाबंध 1 और उपाबंध 2 में उपबंध किया गया है, जिसे स्थल विनिर्दिष्ट आधार पर उपांतरित किया जा सकेगा), पर्यटन जोन और पर्यटन के लिए खुले क्षेत्र का चिन्हांकन वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक मानदंड के आधार पर शामिल होगा ।

2.2.3 पर्यटन योजना को राज्य पर्यटन और पर्यटन रणनीति संगत होना चाहिए और यह स्थानीय सलाहकार समिति (एलएसी) और राज्य सरकार द्वारा भी अनुमोदित होगा ।

2.2.4 योजना में निम्नलिखित होंगे :

(i) गलियारा और बफर क्षेत्रों की पारिस्थतिकीय अखंडता का सुनिश्चय करने के लिए और गलियारा अतिक्रमण रोकने हेतु व्याघ्र आरक्षिति के चारों ओर के पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान (भू-दृश्य पारिस्थितिकीय सिद्धांतों और साधनो का उपयोग करते हुए) और अनुश्रवण करना ;

(ii) आगंतुकों और वाहनों के तीन स्तरों : भौतिक, वास्तविक और प्रभावी या अनुज्ञेय वहन क्षमता का व्याघ्र आरक्षितियों की वहन क्षमता के साथ-साथ व्याघ्र आरक्षितियों में और उसके चारों ओर आवासीय सुविधाओं का पता लगाना (उपाबंध 1, उपाबंध 2 के अनुसार)। पर्यटन वाहन भ्रमण के लिए उपबंध की गई उपदर्शित संगणना के अनुसार हाथी और नाव और पैदल यात्रा को सम्मिलित करते हुए पर्यटन भ्रमणों के लिए स्थल विनिर्दिष्ट आधार पर वहन क्षमता की संगणना करने की आवश्यकता है । व्याघ्र आरक्षितियों के भीतर यातायात और पर्यटन वाहनों में दूरी के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकीय उपकरणों (जीपीएस, बेतार आदि) की संभावना का पता लगाना ।

(iii) प्राकृत्वास की वहन क्षमता के आधार पर किसी दिए गए समय पर किसी व्याघ्र आरक्षिति में अनुज्ञात आगंतुकों को संख्या की ऊपरी सीमा निर्धारित करना ;

(iv) 'पारि-पर्यटन जोन' के रूप में अभिविहित किए जाने वाले अभयारण्यों में पर्यटन के लिए खुले क्षेत्र को उपदर्शित करना;

(v) व्याघ्र आरक्षिति प्रबंधन के पास प्राधिकृत मार्गदर्शकों के साथ रजिस्ट्रीकृत वाहनों के माध्यम से व्याघ्र आरक्षितियों में आगंतुकों के प्रवेश का सुनिश्चय करना ;

(vi) दीर्घावधि स्थानीय समुदाय अभिलाभ सहभाजन और स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों का संवर्द्धन करने का सुनिश्चय करने के लिए स्थानीय समुदायों के सहयोग से सहभागी समुदाय आधारित पर्यटन कार्यनीति का विकास करना ;

(vii) क्रोड या क्रांतिक व्याघ्र प्राकृत्वास, पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील जोनों या बफर क्षेत्रों की परिधि में अवस्थित निजी रूप से प्रचालित पर्यटन प्रसुविधाओं के लिए संहिता और मानकों के विकास के लिए अन्य बातों के साथ-साथ स्थानीय समुदायों को अभिलाभ और आय का सुनिश्चय करना ;

(viii) वन्य प्राणी और उसके प्राकृत्वास पर पर्यटन गतिविधियों के संघात का पता लगाने के लिए अनुश्रवण तंत्रों का विकास करना, जिससे कि उन्हें न्यूनतम किया जा सके ;

(ix) पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य और सांस्कृतिक रूप से यथोचित पद्धतियों के लिए और सभी नए सन्निर्माणों के लिए साधारण मार्गनिर्देशों का विकास करना;

(x) आंगतुकों के लिए क्या करें और क्या नहीं करें की सूचियों का गठन ;

(xi) शैक्षिक विकास कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों के लिए रियायती भ्रमणों का उपबंध ।

2.2.5 मानव और वन्यजीव संघर्षों की दशा में तत्काल अनुग्रह सहायता के अतिरिक्त नागरिक चार्टर के अनुसार तय अवधि के दौरान प्रतिकर का संदाय किया जाएगा ।

2.2.6 पर्यटन योजना में उपदर्शित अंकित 'पर्यटन जोनों' में ही सभी पर्यटन गतिविधियां की जाएंगी । व्याघ्र आरक्षितियों में रिक्त पदों को भरा जाएगा चूंकि अपने नियमित कर्तव्यों के अतिरिक्त कतिपय पर्यटन का प्रबंध करने के लिए भी कर्मचारीवृंद की आवश्यकता होगी ।

2.2.7 व्याघ्र भारत में विभिन्न प्राकृत्वासों में मिलते हैं जो ऊंचे पर्वतीय उष्ण उपकटिबंधीय वनों, कटिबंधीय वर्षाकालीन हरित वनों, कुछ वनस्पति दलदली भूमि, उष्ण उपकटिबंधीय आर्द्र या शुष्क पर्णपाती वनों और जलोढ़ जलप्लावित घास के मैदानों तक फैले हैं । बड़े खुरदार प्राणी जो व्याघ्र का मुख्य शिकार/भक्ष्य हैं, इन विभिन्न पर्यावासों में प्रति वर्ग किलोमीटर दो से साठ के बीच पाए जाते हैं । प्रजननशील बाघिनें प्रादेशिक होती हैं और उनके क्षेत्र का आकार उनके भक्ष्य के घनत्व से समायोजित होता है जिससे कि वह सफलतापूर्वक अपने शावकों को बड़ा कर सकें । नर व्याघ्र का इलाका दो से चार प्रजननशील बाघिनों के क्षेत्र से मिलकर बनता है । प्राकृत्वास विनिर्दिष्ट भक्ष्य के घनत्व में भिन्नता के कारण प्रजननशील बाघिनों का इलाका भारत में बीस से दो सौ वर्ग किलोमीटर की रेंज में होता है । आबादी के दृष्टिकोण से जीवनक्षम/वर्धनक्षम आबादी के लिए यह अनिवार्य है कि ऐसा क्रोड क्षेत्र हो जिसमें कम से कम बीस से पच्चीस प्रजननशील बाघिनों का पोषण हो सके । दीर्घकालीन अनुवांषिकी पोषणीयता के लिए न्यूनतम प्रभावी आबादी का आकार लगभग पांच सौ व्यष्टिक हैं । प्रजननशील बाघिनों के इलाके के आकार में भिन्नता के कारण और प्रजननशील व्याघ्र घनत्व के लिए साधारणतया आठ सौ से बारह सौ वर्ग किलोमीटर के क्रोड क्षेत्र की आवश्यकता होती है । यह क्रोड क्षेत्र और चारों ओर का बफर क्षेत्र तब पचहत्तर से सौ व्यष्टिक व्याघ्रों की आबादी का पोषण कर सकता है जिससे कि आबादी के दृष्टिकोण से पोषणीयता प्राप्त की जा सके । तथापि, आनुवांषिक पोषणीयता केवल वृहत्तर परिदृश्य के भीतर गलियारा संयोजकता के माध्यम से ही संभव है जहां चारों ओर फैले व्यष्टिक व्याघ्र विभिन्न स्त्रोत जनसंख्याओं के बीच (व्याघ्र आरक्षिति) आनुवांषिक मेल का आबादी परिवर्तन ढांचे में सुनिश्चय कर सकें । वर्तमान पर्यटक जोन में, जहां केवल पर्यटन भ्रमण अनुज्ञात हैं और कोई अन्य उपभोक्ता उपयोग नहीं है, व्याघ्र घनत्व और नवशावकों के आगमन के बीच कोई प्रभाव पड़ा हुआ प्रतीत नहीं होता है। इस कारण से क्रोड अथवा क्रांतिक व्याघ्र प्राकृत्वास को बीस प्रतिशत तक पर्यटन जोन के रूप में अनुज्ञात करने से व्याघ्र की जैविक आवश्यकता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जो कि इन मार्गनिर्देशों में विहित अनुपालन की शर्त के अधीन है ।

2.2.7.1 स्थानीय समुदायों को लाभान्वित करने हेतु पारि-पर्यटन के एक वृहत्तर भाग को पूरा करने के लिए बफर और उपान्त के क्षेत्रों का पोषण करने की भी आवश्यकता है ।

2.2.8 हमारे राष्ट्रीय प्राणी व्याघ्र का संरक्षण व्याघ्र आरक्षितियों का सर्वप्रमुख ध्येय है और विनियमित पर्यटन के माध्यम से व्याघ्र संरक्षण के लिए लोक और समुदायिक समर्थन जुटाना एक अमूल्य साधन है । विनियमित पर्यटन का परिणाम एक संवर्धित जागरूकता होता है और इसका एक शैक्षिक महत्व है, विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए । गैर उपभोक्ताकृत विनियमित निम्नसंघात पर्यटन को क्रोड अथवा क्रांतिक व्याघ्र प्राकृत्वास के भीतर इसकी भावना को व्याघ्र संरक्षण के लिए संकट में डाले बिना अनुज्ञात किया जा सकता है । व्याघ्र संरक्षण के लिए पर्यटन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश की जाती है कि क्रोड अथवा क्रांतिक व्याघ्र प्राकृत्वास उपयोग के अधिकतम बीस प्रतिशत को (वर्तमान उपयोग से अनाधिक) विनियमित, निम्नसंघात पर्यटन भ्रमणों के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है । वर्तमान उपयोग के बीस प्रतिशत से अधिक होने की दशा में स्थानीय सलाहकार समिति (एलएसी) उपयोग को बीस प्रतिशत से कम करने के लिए समयसीमा का विनिश्चय कर सकती है । ऐसे क्षेत्र को पर्यटन जोन के रूप में चिन्हांकित किया जा सकेगा और स्थल विनिर्दिष्ट वाहन क्षमता का कठोरता से पालन किया जाएगा । व्याघ्र परियोजना या राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए संबंधित व्याघ्र आरक्षिति क्षेत्रीय निदेशक के अधीन एकीकृत नियंत्रण के माध्यम से बफर वन क्षेत्रों का पुनरूद्धार किया जाएगा । इसके अतिरिक्त क्रोड क्षेत्रों में किसी नई पर्यटन अवसंरचना का सृजन नहीं किया जाएगा । क्रोड अथवा क्रांतिक व्याघ्र प्राकृत्वास के भीतर विद्यमान आवासीय अवसंरचना का कठोरता से स्थल विनिर्दिष्ट आधार पर स्थानीय सलाहकार

समिति (एलएसी) द्वारा विनिश्चय किए गए पारिस्थितिकीय निम्नसंघातों का अनुपालन करने के लिए विनियमन किया जाएगा ।

2.2.8.1 किसी व्याघ्र आरक्षिति में कोई क्रोड क्षेत्र, जहां से विस्थापन किया गया है, का पर्यटन अवसंरचना के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा ।

2.2.9 ऐसे वनवासी जिन्हें क्रोड अथवा क्रांतिक व्याघ्र प्राकृत्वास से बफर क्षेत्र में पुनःआवस्थित किया गया है, को व्याघ्र आरक्षिति में समुदाय आधारित पारि-पर्यटन से संबंधित जीवनयापन सृजन गतिविधियों में वरीयता दी जाएगी । व्याघ्र आरक्षिति प्रबंधन इस संबंध में अनुपालना का सुनिश्चय करने के लिए आवधिक पुनरीक्षण के अतिरिक्त विशेष प्रयास करेगा ।

2.2.10 पर्यटन अवसंरचना पर्यावरण हितैषी, निम्नसंघात सौन्दर्यशील स्थापत्य जिसके अंतर्गत सौर ऊर्जा, अपशिष्ट पुनरार्वतन, वर्षा जल संग्रहण, प्राकृतिक संपूर्ण वायु संवातन, उचित अपशिष्ट व्ययन और चारों ओर के प्राकृत्वास से मेल भी है, का अवश्य पालन करेगी । इन मानकों के उल्लंघन के प्रकरणों से स्थानीय सलाहकार समिति (एलएसी) समुचित रूप से निपटेगी । मार्गनिर्देशों के किसी उल्लंघन को राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) को सूचना के अधीन समुचित प्राधिकरणों को विधि के सुसंगत उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा ।

2.2.11 जिला राजस्व और व्याघ्र आरक्षिति प्राधिकरी इस बात का सुनिश्चय करेंगे कि व्याघ्र आरक्षितियों में क्रोड अथवा क्रांतिक व्याघ्र प्राकृत्वास के परिप्रेक्ष्य में प्रभाव क्षेत्र के भीतर (जिनकी स्थानीय सलाहकार समिति/एलएसी द्वारा पहचान की जानी है) सभी पर्यटन सुविधाएं पर्यावरणीय अनुमति, ध्वनि प्रदूषण मानकों का पालन करें और प्रदूषणकारी न हों, और अपने चारों ओर के वातावरण के समरूप हों । इसके अननुपालन पर कठोर दंड का अवश्य अधिरोपण किया जाए ।

2.2.12 क्रोड अथवा क्रांतिक व्याघ्र प्राकृत्वास के भीतर अवस्थित स्थायी पर्यटन सुविधाएं जिनका उपयोग वन्यप्राणी पर्यटन के लिए किया जा रहा है, को स्थानीय सलाहकार समिति (एलएसी) द्वारा विनिश्चय की गई समयसीमा के भीतर चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिया जाएगा । इसी बीच कियान्वयन हेतु इन प्रसुविधाओं को एलएसी द्वारा अनुमोदित निम्नसंघात सुविधाओं के अनुपालन का विकास करने की आवश्यकता है और इन्हें कठोरता से कार्यान्वित किया जाए । क्रोड अथवा क्रांतिक व्याघ्र प्राकृत्वास के भीतर जहां रात्रि ठहराव अनुज्ञात है, वहां निजी रूप से कोई खानपान आदि सेवाएं नहीं चलाई जाएगी । ऐसी विद्यमान सुविधाएं, यदि कोई हैं, को व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठानों द्वारा चलाया जाएगा।

2.2.13 व्याघ्र आरक्षिति के परिप्रेक्ष्य में प्रभाव क्षेत्र (एलएसी द्वारा अवधारित किए गए) के भीतर अवस्थित सभी पर्यटन सुविधाओं को तत्समय प्रवृत्त विधियों और नियमों के अधीन प्रदूषण मानकों (कोलाहल, ठोस अपशिष्ट, वायु और जल), नियमों का पालन करना होगा । बाहरी उच्च घनत्व की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग नहीं किया जाएगा, चूंकि इससे रात्रिकालीन वन्यप्राणी गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न होता है ।

2.2.14 व्याघ्र आरक्षिति में और इसके चारों ओर गैर जैविकीय नष्ट न किए जा सकने वाले या विषाक्त अपशिष्ट को दबाने, जलाने या अन्यथा नष्ट करने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा । जैविकीय रूप से नष्ट किए जा सकने वाले अपशिष्ट के निपटान के लिए समुचित योजना का विकास किया जायेगा और इसे कठोरता से कार्यान्वित किया जाएगा ।

2.2.15 पर्यटन प्रयोजनों के लिए प्राणियों के बहुतायत को बढ़ा–चढ़ाकर दिखाने के उद्देश्य से प्राकृत्वास प्रबंधन का उपयोग क्रोड अथवा क्रांतिक व्याघ्र प्राकृत्वास के भीतर नहीं किया जायेगा । आगंतुकों को सभी वन्यप्राणियों से न्यूनतम बीस मीटर की दूरी रखनी होगी । किसी वन्यप्राणी की घेराबन्दी या उसको आकृष्ट करने या पोषित करने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा । किसी वन्यप्राणी को वाहनों से देखने के लिए उनके मध्य पचास मीटर की दूरी बनाई रखी जानी होगी । वाहनों को किसी वन्यप्राणी को देखने के लिए पंद्रह मिनट से अधिक का एकाधिकार नहीं रखना चाहिए ।

2.2.16 वहन क्षमता से अनधिक आगंतुकों और वाहनों की संख्या से बचने के लिए व्याघ्र आरक्षिति प्रबंधक पर्यटक और वाहन संख्या का नियंत्रण करने के लिए एक अग्रिम बुकिंग व्यवस्था स्थापित करेंगे । बुकिंग के नियम आवश्यक रूप से पारदर्शी होंगे और उल्लंघनकर्ताओं को दंडित किया जायेगा ।

2.2.17 व्याघ्र आरक्षिति प्राधिकारियों को संरक्षित क्षेत्र से बाहर आगंतुक सुविधाओं के लिए एक पर्याप्त और समुचित क्षेत्र को अवश्य चिन्हांकित करना होगा ।

2.2.18 व्याघ्र आरक्षिति में पर्यटन कार्यकलाप व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठानों और स्थानीय सलाहकार समिति (एलएसी) के समग्र मार्गनिर्देश के अधीन होंगे ।

2.3 पर्यटक सुविधाएं और यात्रा प्रचालक

2.3.1 पर्यटन अवसंरचना को पर्यावरण हितैषी, निम्नसंघाती, निम्न उंचाई के सौंदर्यशील स्थापत्य, नवीकरणीय जिसके अंतर्गत सौर ऊर्जा है, अपशिष्ट पुनरावर्तन, जल प्रबंधन, प्राकृतिक समग्र वायुगमन सहित होना चाहिये, अदह का उपयोग नहीं हो, उपचार किए गए अपशिष्ट को ही केवल प्रवाहित किया जाए, किसी प्रकार का वायु प्रदूषण नहीं होना चाहिए । बाहरी प्रकाश व्यवस्था न्यूनतम हो और आस-पास के परिदृश्य के अनुरूप होना चाहिए ।

2.3.2 जहां भू–भाग अथवा पथ अनुज्ञात करें, वहां प्रदूषण को न्यूनतम करने के लिए बैटरी प्रचालित वाहनों के उपयोग को बढावा दिया जाएगा ।

2.3.3 वन्यप्राणी पर्यटन की कला, कौशल और पद्धतियों में मार्गदर्शकों और चालकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम विकसित किया जाएगा जो प्रमाणन प्रदान करता हो । सभी मार्गदर्शकों और चालकों को अनिवार्यतः नियमों और विनियमों के निर्वचन के लिए एक लघु पाठ्यक्रम करना होगा, जिसके पश्चात् एक मौखिक परीक्षा होगी, जिसके पश्चात् ही उन्हें व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान द्वारा प्रमाणपत्र दिया जाएगा । पाठ्यक्रमों का आयोजन गैर पर्यटन सत्र के दौरान किया जाए । सभी प्रमाणित मार्गदर्शकों और चालकों को समुचित रूप से तैयार की गई/डिजाइन की गई वर्दियां जिनपर नाम और बिल्ला हो, धारण करनी होगी। इससे उनमें गर्व, अनुशासन और जवाबदेही की भावना सृजित होगी । प्रत्येक पर्यटन सत्र से पूर्व प्रमाणित मार्गदर्शक और चालकों को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम या कार्यशाला में भाग लेना होगा। इनसे उनमें पक्षियों की पहचान करने की क्षमता उत्पन्न होगी और अन्य प्रजातियों के विषय में प्राकृतिक इतिहास की सूचना बढ़ेगी, जिससे धीरे-धीरे वह व्याघ्र पर केन्द्रित ग्रस्तता से भी दूर होंगे । उनके कार्य निष्पादन का आवधिक मूल्यांकन स्थानीय सलाहकार समिति (एलएसी) द्वारा उन्हें पुनः अनुज्ञप्ति प्रदान करने से पूर्व किया जाएगा ।

2.3.4 व्याघ्र आरक्षिति के प्रभाव क्षेत्र के भीतर आने वाली सभी पर्यटन प्रसुविधाओं का स्थानीय सलाहकार समिति द्वारा पर्यावरण अनुमति, आच्छादित किए जाने वाले क्षेत्र, स्वामित्व, सन्निर्माण का प्रकार, कर्मचारियों की संख्या आदि को दृष्टि में रखते हुए नियमित रूप से पुनरीक्षा की जानी चाहिए जिससे वह न्यूनकारी/पश्चात्वर्ती (पुनर्स्थापन) उपाय यदि आवश्यक हों, का सुझाव दे सके ।

2.3.5 सभी पुरानी और नई पर्यटन सुविधाओं को अपनी कुल ऊर्जा और ईंधन आवश्यकताओं का पचास प्रतिशत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों जिसमें वायु, सौर और जैविक गैस भी हो सकेगी, से सृजित करने का उद्देश्य रखना होगा ।

2.3.6 ईंधन के रूप में, सिवाय कैम्पफायर के, लकड़ी के उपयोग का प्रतिषेध किया जाएगा,, जिसके लिए लकड़ी राज्य वन विभाग या वन विकास निगम डिपो से ही क्रय की जायेगी ।

2.3.7 वन्यप्राणियों को मुक्त रूप से मार्ग प्रदान करने के लिए विकास, वनस्पति और प्राणियों के संरक्षण और व्याघ्र आरक्षितियों में और उसके आसपास के क्षेत्र के गलियारे के महत्व के प्रति संवेदनशील होगा ।

2.3.8 पर्यटक सुविधाएं और पर्यटक प्रचालक प्राकृतिक पथों पर आगंतुकों को ले जाते समय प्राणियों को किसी भी दशा में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे ।

2.3.9 मार्गनिर्देशों के किसी उल्लंघन को राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को संसूचना के अधीन विधि के सुसंगत उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए समुचित प्राधिकारियों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

2.4 मंदिर और तीर्थयात्रा बोर्ड

2.4.1 व्याघ्र आरक्षितियों के भीतर अवस्थित तीर्थ यात्रा स्थल वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुरूप होगा ताकि उनके और विस्तारण को निवारित किया जा सके । इसका आवधिक रूप से स्थानीय सलाहकार समिति द्वारा पुनरीक्षण किया जाएगा ।

2.4.2 ऐसी तीर्थयात्राओं के लिए अंतरण शिविर और ठहरने के स्थानों को किसी वर्ष में नामनिर्दिष्ट दिनों तक ही निर्बंधित किया जाए । संरक्षित क्षेत्र प्रबंधकों को मंदिर प्राधिकारियों के साथ तीर्थयात्रियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली के विकास के लिए कार्य करना होगा ताकि क्षेत्र की पारिस्थितिकीय अखंडता का अनुरक्षण किया जा सके । इस तंत्र का विकास इन मार्गनिर्देशों की अधिसूचना से तीन वर्षों के भीतर किया जाएगा ।

2.4.3 पर्यटन सुविधाओं से संबंधित सभी नियम जिसके अंतर्गत कोलाहल, भवन, रचना अथवा डिजाइन, वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग और वन्य जीव का मुक्त मार्ग सन्निहित है, ऐसी तीर्थयात्रा सुविधाओं पर लागू होंगे।

2.4.4 मंदिर बोर्ड स्थानीय समुदायों के साथ राजस्व वितरण के निबंधनों अथवा शर्तो पर बातचीत करेंगे और संग्रहित राजस्व के न्यूनतम दस प्रतिशत को ग्राम समुदायों के माध्यम से विकास के लिए प्रदान करेंगे ।

2.4.5 पर्यटन प्रचालक, चालक और मंदिर नियंत्रण प्राधिकारियों को वन पारिस्थितिकीय तंत्र की महत्ता और उनकी पारिस्थितिकीय सेवाओं के साथ वनों/आरक्षित क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, से परिचित कराया जायेगा।

2.5 ये मार्गनिर्देश वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 फ के अधीन अधिसूचित व्याघ्र आरक्षितियों, जिन्हें राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण से विधिवत स्वीकृति प्राप्त है, पर लागू होंगे । राज्य सरकार अन्य संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन के लिए समान मार्गनिर्देश बनायेगी ।

2.6 इन मार्गनिर्देशों के किसी उपबंध का या उनमें अधिकथित शर्तों का किसी व्यक्ति या व्यष्टि द्वारा उल्लंघन वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ण की उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध का दायी होगा ।

उपाबंध -1

वहन क्षमता का ऑकलन[1]

(वाहन आधाति पर्यटन प्रवसन के लिए दृष्टांत स्वरूप परिगणना : कान्हा व्याघ्र रिजर्व)

(क) भौतिक वहन क्षमता (पीसीसी) : यह "आगन्तुकों की अधिकतम संख्या है जो विशिष्ट समय में निश्चित किए गए स्थान पर भौतिक रूप से समावेशित हो सकती है"। यह निम्नानुसार अभिव्यक्त है :

PCC = A XV/a X RF

जहॉ A= सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध क्षेत्र है

V/a = एक आगंतुक/M^2

RF= चक्रानुक्रम कारक (प्रतिदिन दौरों की संख्या)

कान्हा में PCC की माप करने के लिए निम्नलिखित मानदंड ध्यान में रखने चाहिए :

वन की सड़कों पर वाहन द्वारा संचलन मात्र अनुज्ञात किया जाए ।

"अवस्थित क्षेत्र" सुसंगत नहीं हैं किन्तु वाहनों के बीच "सामीप्यता" महत्वपूर्ण है ।

धूल से बचने के लिए 2 वाहनों के बीच कम से कम 500 मीटर (1/2 किमी) की दूरी अपेक्षित है (2 वाहनों/ किमी.) ।

एकल पार्क भ्रमण के लिए कम से कम $3^{1/2}$ घंटे आवश्यक हैं ।

संरक्षित क्षेत्र वर्ष में 9 मास पयर्टकों के लिए खुला है और 9 घंटे प्रतिदिन के लिए है ।

पर्यटन जोन के भीतर रेखीय सड़क की लंबाई क्षेत्र की अपेक्षा अधिक सुसंगत है और कुल लंबाई निम्नानुसार है :

कान्हा	107.20 किमी.
किसली	72.56 किमी.
मुक्की	103 किमी.
कुल	282.76 या 283 किमी.

वाहन उपयोग के लगातार बने रहने के कारण 283 किमी. की संपूर्ण लंबी सड़क भूक्षरण के लिए संभावित है जिसमें से लगभग 90 किमी. अधिक प्रभावित है

चक्रानुक्रम कारक (RF) = $\frac{\text{चालू अवधि}}{\text{एक दौरे का औसत समय}}$

भौतिक वहन क्षमता (PCC) = 283 किमी. x 2 वाहन/ किमी. x 2.6

= 1471.6 या 1472 दौरा/दिन

[1] हेक्टर सिबैलौस -लसक्यूरेन 1992-पर्यटन, पारिस्थितिकी पर्यटन और संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क और संरक्षित क्षेत्रों पर IV विश्व कांग्रेस, आईयूसीएन, ग्लैड, स्विटजरलैंड ।

(ख) वास्तविक वहन क्षमता (RCC): RCC स्थल पर दौरों की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या है, एक बार स्थल की विशिष्टता से व्युत्पन्न "लघुकारक" (सुधारात्मक) भौतिक वहन क्षमता पर लागू किया गया है । ये "लघुकारक" (सुधारात्मक) जैव भौतिकी, पर्यावरणीय, पारिस्थितकीय, सामाजिक और प्रबंधन परिवर्तनशील कारको पर आधारित हैं।

$RCC= PCC- Cf^1-Cf^2----------Cf_n,$

जहां Cf प्रतिशत के रूप में सुधारात्मक कारक के रूप में अभिव्यक्त है । इस प्रकार RCC की गणना का सूत्र निम्न है :

$$RCC= \frac{PCC- Cf^1}{100} \times \frac{100- Cf^2}{100} \times \ldots\ldots\ldots Cf_n$$

सुधारात्मक कारक "स्थल- विनिर्दिष्ट" हैं, और प्रतिशत में निम्नानुसार अभिव्यक्त हैं :

नीचे : $Cf = \frac{M_1}{M_t} \times 100$

जहां : Cf = सुधारात्मक कारक

M_1= परिवर्तनशीलता की सीमित महत्ता (परिमाण)

M_t परिवर्तनशीलता की कुल महत्ता (परिमाण)

(i) सड़क भूक्षरण : यहां स्थल की अतिसंवेदनशीलता को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

सड़क की कुल लंबाई =283 किमी. (M_t)

मध्यम भूक्षरण डुबाव= 50 किमी.(भारकारक : 2)

अधिक भूक्षरण जोखिम = 40 किमी.(भारकारक :3)

M_1= 50 x 2 + 40 x 3 = 100 + 120 = 220 किमी.

M_t = 283 किमी.

$$Cfe = \frac{220}{283} \times 100 = 77.8 \text{ या } 78\%$$

(ii) वन्यजीव को व्यवधान : यहां, उन प्रजातियों पर जिन्हें प्रवसन के कारण व्यवधान पड़ने की संभावना रहती है, का विचार किया गया है। मध्य भारतीय बारहसिंघा अत्यधिक संकटापन्न, स्थानीय प्रजाति है जो केवल कान्हा में पाई जाती है जिनकी शीतकाल में लगभग एक मास की अवधि की प्रणयनिवेदन अवधि है जिस समय यह व्यवधान के प्रति अत्यंत संवेदनशील है । इसी तरह नियमित मानसून आगमन के पूर्व दो मास चीतल के लिए चरम प्रणयनिवेदन क्रियाकलाप अवधि है । जहां तक व्याघ्र का प्रश्न है, नवजातों को मार्च और मई के बीच में देखा जा सकता है और वर्षा के दौरान भी ; इस लिए वर्ष में दो मास के औसत मान को विषय चरण के रूप में विचार किया जा सकता है।

$$\text{सुधारात्मक कारक (Cf)} = \frac{\text{सीमित मास/वर्ष}}{\text{12 मास/वर्ष}} \times 100$$

<u>बारहसिंघा के लिए सुधारात्मक कारक</u>

Cfw_1= 1/9 x 100= 11.1%

चीतल के लिए सुधारात्मक कारक

Cfw_2= 2/9 x 100= 22.2%

व्याघ्र के लिए सुधारात्मक कारक

Cfw_2= 2/9 x 100= 22.2%

कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव के व्यवधान के लिए समस्त सुधारात्मक कारक =Cfw

= Cf + Cf + Cf

=11.1+ 22.2 + 22.2 = 55.5% या 55%

(iii) सड़कों का अस्थायी रूप से बंद होना : अनुरक्षण या अन्य प्रबंधकीय कारण वश कतिपय सड़कों में प्रवसन को संरक्षित क्षेत्र के भीतर अस्थायी रूप से निर्बंधित किया जा सकेगा । इस संबंध में सुधारात्मक कारक को निम्नानुसार परिगणित किया गया है :

$$Cf_t = \frac{\text{सीमित सप्ताह/वर्ष}}{\text{कुल सप्ताह/वर्ष}} \times 100$$

कान्हा में प्रतिवर्ष दो सीमित सप्ताहों के औसत मान पर "सीमित सप्ताह" के रूप में विचार किया जा सकेगा और इस प्रकार सुधारात्मक कारक निम्नलिखित के संबंध में परख करता है :

$$Cf_t = \frac{\text{2 सप्ताह/वर्ष}}{\text{36 सप्ताह/वर्ष}} \times 100 = 5.5\%$$

RCC की संगणना

$$RCC = 1472 \times \frac{100-78}{100} \times \frac{100-55}{100} \times \frac{100-5.5}{100}$$

= 1472 (0.22 x 0.45 x 0.95)

= 138.4 या 138 दौरा/दिन

(ग) प्रभावी अनुज्ञेय वहन क्षमता (ECC) : ECC परिदर्शकों की अधिकतम संख्या है जिसे स्थल उपलब्ध दी गई प्रबंधन क्षमता (MC) में जारी रख सकता है । ECC को प्रबंधन क्षमता (MC) के साथ वास्तविक वहन क्षमता (RCC) के गुणन द्वारा अभिप्राप्त किया जाता है । MC को सभी दशाओं के जोड के रूप में पारिभाषित किया गया है जिसकी संरक्षित क्षेत्र के प्रशासन को आवश्यकता होती है, यदि इसे अनुकूलतम परिस्थिति में इसके कृत्यों को क्रियान्वित करना है । कर्मचारीवृंद की कमी और RCC की सीमित अवसंरचना जैसे प्रबंधन में परिसीमा है ।

कान्हा के लिए, कर्मचारीवृंद की कमी के कारण MC लगभग 30% है । इसलिए ECC = 138 x 0.30 = 41.4 या 40 वाहन/दिन ।

इस प्रकार किसी एकल दिन पर प्रभावी अनुज्ञेय वहन क्षमता केवल 40 वाहन है जिसे निम्नानुसार प्रवेश के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए :

(पूर्वाह्न) = 25 वाहन (दोनों प्रवेश बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए)

(अपराह्न) = 15 वाहन (दोनों प्रवेश बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए)

पर्यटकों की अधिकतम आमद अवधि के दौरान (सर्दी के महीने/गर्मी की छुट्टियां), कर्मचारीवृंद की संख्या "विशेष कर्तव्य" कार्मिकों को अभिविनियोजित करके बढ़ाई (केवल 10%) जा सकेगी ; यह प्रभावी अनुज्ञेय वहन क्षमता को 55 वाहन प्रतिदिन बढ़ा पायेगा । इसके अतिरिक्त वाहनों की बढ़ती संख्या प्राकृतिक वास पर हानिकर प्रभाव डालेगी।

स्वीकार्य परिवर्तन की सीमाओं पर संक्षिप्त टिप्पण

(1) पारि-पर्यटन संबंधित विश्वकोश वहन क्षमता को "पर्यटन संबधी क्रियाकलाप की मात्रा जो स्थल या गंतव्य स्थान लगातार समायोजित कर सकता है ; बहुधा परिदर्शकों की संख्या या परिदर्शकों को रात्रियों के लिए दी गई समावधि या उपलब्ध स्थान इकाईयों की संख्या द्वारा ; या प्रबंधन तकनीक जैसे स्थल की वहन क्षमता बढ़ा करके स्थल दृढ़ाभूत करके नियोजित किया जा सकता है", के रूप में परिभाषित करता है ।

(2) समय के साथ वहन क्षमता फ्रेमवर्क, वन्य जीव/प्रकृति आधारित या पारि-पर्यटन के प्रसंग में विशेष रूप से आलोचना के लिए सामने आया है । उनमें से एक प्रमुख आलोचना यह होती रही है कि वहन क्षमता माडल में संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुज्ञात परिदर्शको की संख्या निर्धारण करते समय सामाजिक विवक्षाओं को ध्यान में नहीं रखा गया है।

(3) गत लगभग 10 वर्षों से स्वीकार्य परिवर्तन की सीमाओं की अवधारणा विकसित हुई है और पारि-पर्यटन के प्रकरण में कहीं अधिक सुसंगत पायी गयी है ।

(4) पारि-पर्यटन संबंधित विश्वकोश द्वारा यथा परिभाषित स्वीकार्य परिवर्तन की सीमाओं की परिभाषा "कोई भूमि प्रबंधन दर्शन जो पर्यावरणीय गुणवत्ता के विनिर्दिष्ट उपदर्शकों और पर्यटन प्रभावों की पहचान करता है और प्रारम्भिक सीमा को पारिभाषित करता है जिसके अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र के संरक्षण ध्येय पूरे किए जाते हैं" ।

(5) स्वीकार्य परिवर्तन की सीमाएं एक योजनाकारी माडल है और ये केवल पर्यटन के उपयोग और प्रभाव स्तर को ही नहीं देखती अपितु परिदर्शक क्रियाकलाप के लिए वांछनीय पर्यावरणीय और सामाजिक दशाओं की पहचान करती है । प्रक्रिया विद्यमान शर्तों की सूची को आवश्यक बनाती है और भौतिक और सामाजिक दशाओं दोनों के लिए अनुकूलतम सीमाओं की पहचान करती है ।

(6) माडल में 9-चरणीय प्रक्रिया अंतर्वलित है जिसे विश्व भर में विभिन्न नीति निर्माण निकायों द्वारा विभिन्न रूप से जोड़ा गया है । नीचे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी)2 द्वारा यथा रूप से प्रस्तुत की गई 9-चरणीय प्रक्रियाएं हैं :

(i) क्षेत्र में विशेष मूल्य मुद्दों की पहचान करना और संबद्ध विषयों का योगदान

(ii) पुनर्सृजन अवसर वर्गों या जोनों की पहचान और वर्णन

(iii) संसाधनों और सामाजिक दशाओं के उपदर्शनों का चयन

(iv) विद्यमान सामाजिक संसाधन और शर्तों की तालिका

(v) प्रत्येक अवसर वर्ग में संसाधन और सामाजिक दशाओं के लिए मानक विनिर्दिष्ट करना

(vi) वर्ग आवंटन में वैकल्पिक अवसर की पहचान करना

(vii) प्रत्येक अनुकल्पी के लिए प्रबंधन कार्यों की पहचान

(viii) अधिमान विकल्प का मूल्यांकन और चयन

(ix) कार्यों का क्रियान्वयन और अनुश्रवण की शर्तें

(7) ध्यान देने के लिए जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि माडल ऐसी प्रक्रिया का उपयोग करता है जो क्रमबद्ध समीचीन सुरक्षायोग्य और युक्तियुक्त है और इसमें लोक भागीदारी अंतर्वलित है । यह अंतिम तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है यदि समुदायों को पारि-पर्यटन के लाभ उद्भूत होते हैं ।

(8) यह सुझाव दिया जाता है कि व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान, स्थानीय सलाहकार समिति से परामर्श करके व्याघ्र आरक्षों एव उनके आसपास स्वीकार्य परिवर्तन सीमाओं संबंधी माडल अथवा प्रतिरूप के क्रियान्वयन पर उपयुक्त विनिश्चय करे ।

अंतिम टिप्पण

1. डेविड बी वीवर (संस्करण) (2001), इनसाइक्लोपीडिया आफ इकोटूरिज्म, सीएबीआई पब्लिसिंग, यूके

2. ईगल्स, पाल एफ.जे.मैकल, स्टीफन एफ एंड हेंस क्रिस्टोफर डी (1998) सस्टेनेबल टूरिज्म इन प्रोटेक्टेड एरियाज : गाइडलान्स फार प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, यूएनईपी

   http://www.unep.fr/shared/publications/other/3064/BP6-6.pdf.

[फा0सं0 15-31/2012-एनटीसीए]

(डा0 राजेश गोपाल)
सदस्य-सचिव,
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण